

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

28 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-9

अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 28 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना	(9) 1
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों/मंत्रियों का अभिनन्दन	(9) 3
सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना(पुनरारम्भ)	(9) 4
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 6
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 22
हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बरसी पर श्रद्धांजलि देना	(9) 30
सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना (पुनरारम्भ)	(9) 30
मूल्य :	

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण संबंधी वक्तव्य	(9) 37
विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना	(9) 38
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
हाल ही में तेज हवाओं तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने से संबंधित	(9) 38
वक्तव्य-	
वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(9) 41
संसद के सदस्य का अभिनन्दन	(9) 43
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(9) 43
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(9) 56
वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ	(9) 58
बैठक का समय बढ़ाना	(9) 87
वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9) 87
हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के सम्बन्ध में मामला उठाना	(9) 90
बैठक का समय बढ़ाना	(9) 90
हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के सम्बन्ध में मामला उठाना (पुनरारम्भ)	(9) 91

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हाउस में आने से पहले ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर पर साईन करके नहीं आये हैं। आप इनसे कहिए कि पहले ये ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर पर साईन करके आएँ। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री करण सिंह दलाल प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अपनी बात कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्रश्न काल के समाप्त होने के बाद आपकी बात सुनी जायेगी।

श्री करण सिंह दलाल : ***

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद आपकी पार्टी के सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियों को फाड़ा था। इसकी विडियो देखने के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया था।

श्री करण सिंह दलाल : ***

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर साईन करके आएँ और उसके बाद ही आप अपनी बात यहां पर कहें क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस रजिस्टर पर साईन करके नहीं आएंगे तब तक आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी।

खान एवं भूगर्भ राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष जी, हाउस कोई भी निर्णय ले सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : ***

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इतना बड़ा अपराध किया है। क्या यह काम गैर-कानूनी नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय ***

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल इस सदन के बहुत वरिष्ठ विधायक है। जहां तक कानून की बात है, तो हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और परम्परा के हिसाब से काम करता है। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल कि यदि कानून से ही संतुष्टि होती है तो मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, प्रतिपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला और हमारे आजाद विधायक श्री जयप्रकाश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11 माननीय सदस्यों का निलंबन रद्द होना चाहिए और उसके बाद सदन ने सुओ-मुटो निष्कासन को वापस ले लिया। हमने उन सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया लेकिन वे नहीं आए। हमें पता नहीं कि उनके कदम के पीछे क्या कारण थे। अध्यक्ष महोदय, कई बार आदमी से गलती हो जाती है और उसे शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : गीता भुक्कल जी, आप तो हमारी बहन है और आप पर इन भाइयों की संगति का असर नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी आज फिर मन बनाकर आए हैं कि हाउस की कार्यवाही को नहीं चलने देना। मैं इनको बुलाने का रास्ता बता रहा हूँ लेकिन आज ये फिर बाहर रहना चाहते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, it is relevant to state here that as provided at page 290-291 of the Book 'Kaul and Shakhder' - Disrespect to the House collectively is the original and fundamental form of breach of privilege, and almost all breaches can be reduced to it. अध्यक्ष महोदय, यह सदन की अवमानना है लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डा. रघुबीर सिंह कादियान, भाई करण सिंह दलाल और बहन गीता भुक्कल जी आज यहां उपस्थित हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि यह प्रश्न काल है इसलिए इसको चलने दिया जाए और प्रश्न काल के बाद इनको अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, पहले आप सब लोग अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करके आएं। उसके बाद आप अपनी बात प्रश्न काल के बाद रख लेना, तब आपकी बात सुनी जाएगी। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग आपकी लीनियंसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप प्रश्न काल के बाद अपनी बात रख लेना।

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, आपने सोच समझकर फैसला लिया था और बहुत लम्बे समय के बाद ये आज हाउस में आए हैं। इन्होंने हाउस की अवमानना की और ये लोग सदन के बाहर सेशन भी लगाते थे। आज ये लोग हाउस में आकर प्रश्न काल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना हर विधायक का अधिकार है इसमें वे अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधी सवाल पूछते हैं। आज विधायकों के उस अधिकार के हनन की कोशिश इन्होंने की है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप प्रश्न काल की सैंक्टिटी को बचाकर रखें और प्रश्न काल को प्रोसीड करवाएं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने कांग्रेस के 11 सदस्यों की सस्पेंशन कितने दिन पहले ही वापिस ले ली थी, उस समय ये क्यों नहीं आये ? क्या ये बाहर धूप में बैठकर अपनी बैटरी चार्ज कर रहे थे ? (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * *(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी फिर से सदन का वातावरण खराब करने के उद्देश्य से वापिस आये हैं। डा. कादियान तो इस विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको मैं हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के चैप्टर 5 के रूल 17 के बारे में बताना चाहता हूँ कि गवर्नर एड्रेस के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार का व्यवधान डाला जाता है तो वह contempt of the House होता है। जो बात माननीय साथी आज कह रहे हैं, यह बात ये पहले भी आकर कह सकते थे। लेकिन मेरे साथी जानते हैं कि आपने कानून के अनुसार सही निर्णय लिया है। विपक्ष के साथी सदन का समय जाया करने के लिए आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से सदन का समय जाया न किया जाये।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * (शोर एवं व्यवधान)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों/मंत्रियों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे पूर्व मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही देखने के लिए अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं। मैं सर्वश्री सुभाष कतियाल, रण सिंह मान, नफे सिंह राठी, धर्मपाल ओबरा, डा. धर्मबीर यादव, भाग सिंह छात्तर, रणबीर मंडौला, राम कुमार कटवाल, जिले सिंह, जसबीर मलौर और पूर्ण सिंह डाबड़ा का पूरे सदन की तरफ से अभिनंदन करता हूँ।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

**सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय
उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना (पुनराारम्भ)**

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे कांग्रेस के साथी फिर आज क्यों आ गये । अगर इन्होंने यही बात कहनी थी तो ये पहले भी आकर कह सकते थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थिति सभी सदस्य सदन से चले गए।)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, यह क्वेश्चन ऑवर है और यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस क्वेश्चन ऑवर को सुचारु रूप से चलाया जाए। माननीय साथियों ने अपने-अपने हल्के की समस्याओं से सम्बंधित सवाल दिये हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन उसके बाद भी आपने श्री करण सिंह दलाल को अपनी बात रखने के लिए समय दिया और उन्होंने यहां पर अपनी बात कही। स्पीकर सर, जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई करण सिंह दलाल जी ने अपनी पीड़ा ज़ाहिर की। उन्होंने अपनी बात कहते हुए आपको रूल्ज़ का वास्ता भी दिया और कानून का वास्ता भी देने का प्रयास किया। स्पीकर सर, जब आपने उनको सदन से निष्कासित कर दिया तो मैंने और श्री जय प्रकाश जी ने इस सदन के अंदर आपसे यह प्रार्थना की थी कि चलो चाहे उन्होंने कोई भी गलत स्टेप उठाया, लेकिन उसके लिए उनको इतनी बड़ी सज़ा न दी जाये। उनका दी गई सज़ा ज्यादा है, इसलिए उनकी सज़ा को रद्द करके उनको हाउस में बुलाया जाये। हमने उनको यहां पर बुलाने के लिए इसलिए आपसे अनुरोध किया था कि जो हमने यहां पर काम रोको प्रस्ताव दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस काम रोको प्रस्ताव के ऊपर, जिन बातों पर, यहां डिस्कशन होना था उसके लिए ये कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य भी कहीं न कहीं दोषी थे। इसीलिए हमने यह कहा था कि आप कांग्रेस के विधायक साथियों को सदन के अंदर जरूर बुला लें। हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए आपने कांग्रेस के माननीय सदस्यों को हाउस में बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वे यहां पर नहीं आये। वे यहां पर यह कह रहे थे कि उनको आपने किस रूल के तहत निष्कासित किया था। अब वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं। अगर वे यहां पर होते तो मैं उनसे यह पूछता कि उनकी सरकार के दौरान हमें किस रूल के तहत बाहर किया जाता था, अर्थात् हमें कौन से रूल और कौन से कायदे-कानून के तहत बाहर किया जाता था? अगर हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़ा हो जाता था तो उस समय के स्पीकर साहब उसको बाहर कर देते थे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी की बात के साथ अपनी बात जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के किसी सदस्य को महज़ इसलिए हाउस से बाहर कर दिया जाता था कि अगर वह अपनी कोई बात कहने के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे तो बैठे-बैठे ही सदन से बाहर कर दिया जाता था। उस समय इस प्रकार के तानाशाही तरीके से सदन की कार्यवाही चलाई जाती थी।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं प्रैस गैलरी में होता था फिर भी मुझे सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया जाता था। इस प्रकार से तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे सारे के सारे सदस्यों को सदन से निकाल दिया जाता था। मैं तो केवल उन लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपने समय के दौरान कैसे तानाशाह रवैये के तहत इस सदन की कार्यवाही को चलाने का काम किया था। लेकिन हमने तो इसके बावजूद भी आपसे उनको सदन में बुलाने के लिए कहा क्योंकि वे लोग भी चुनकर आये हुए हैं और उनके विधान सभा क्षेत्रों की भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनको वे यहां पर रखना चाहते हैं। मैंने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कड़वा घूंट पीकर आपसे प्रार्थना की थी कि आप उनको सदन में बुलायें। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि आप उन तीनों सदस्यों को भी सदन में बुला लें ताकि सारी की सारी बातें यहां पर खुलकर उनके सामने हों। इससे उन लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों ने किस तरह से इस हरियाणा प्रदेश को आग हवाले करने का काम किया है। किस प्रकार से उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के भाई-चारे और सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब किया। मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप आज ज़ीरो ऑवर में कांग्रेस के सभी माननीय साथियों को सदन में बुलाने के बारे में अवश्य विचार करें।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मुझे मेरे हल्के की जनता ने तीनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ जितवाकर इस सदन में भेजा है। मैं यहां पर अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अगर यहां पर सत्ता पक्ष के लोग भी गलत बात करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। अगर कोई और भी गलत बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। अगर यहां पर सभी अच्छी बात करेंगे तो मैं सबको इकट्ठा जोड़ दूंगा।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, जैसा कि भाई जय प्रकाश जी ने कहा है वे स्वतंत्र हैं। अगर रोहतक जलता है तो ये जंत्र-मंत्र पर धरने पर बैठते हैं। हमने यहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला के कहने से और इनके कहने से कांग्रेस पार्टी के 11 माननीय सदस्यों का इस सदन से निष्कासन रद्द किया। इसके साथ ही जो बाकी तीन माननीय सदस्य बाहर रह गये हैं हम यहां पर उनकी बात करने ही लगे थे, लेकिन उन्होंने यहां पर शोर-शराबा कर दिया। स्पीकर सर, कुल मिला कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह उनका एकसूत्रीय एजेण्डा है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको आत्मग्लानि होती है इसलिए वह मुँह छिपाकर और नज़रें झुकाकर चलता है। इसके कारण ही कांग्रेस के माननीय सदस्य इस महान सदन को फेस नहीं करना चाहते हैं और न ही वे हरियाणा की जनता को फेस करना चाहते हैं। इनको देखकर लोग अपने दरवाज़े बंद कर लेते हैं। इन्होंने जो यह ख़ता की है, जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश के भाई-चारे को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है, मैं समझता हूँ कि एक राजनैतिक आदमी के लिए इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय भाई श्री जय प्रकाश जी को भी यह कहना चाहूंगा कि उनको कुसंगति से बचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस के सदस्य हाजिरी लगा कर हाउस में नहीं आये थे इसलिए उनकी तरफ से जो कुछ भी बोला गया है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होगा।

To Open a ITI in Village Jakholi

*1125 **Sh. Jai Parkash** : Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in the village Jakholi of Kalayat Assembly constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कलायत में जाखोली गांव से 15-15 किलोमीटर दूर तक कोई आई.टी.आई. नहीं है जबकि एक तरफ भारत सरकार बार-बार देश के नौजवानों के लिए एक मैसेज दे रही है कि हम नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी शिक्षा दे कर आगे बढ़ायेंगे। पिछली बार विभाग ने इस बारे में गांव से जमीन मांगी थी, जिसका प्रस्ताव पास करके ग्राम पंचायत ने विभाग के पास भेज दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह आई.टी.आई. अब तक क्यों नहीं बन सकी ? उसमें कोई कमी है तो हमें बतायें और अगर कमी नहीं है तो क्या मंत्री जी जाखोली गांव में आई.टी.आई. खोलने का कोई आश्वासन सदन के पटल पर देंगे क्योंकि वह 20 हजार की आबादी का गांव है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 126 ब्लॉक हैं जिनमें से 38 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें एक भी आई.टी.आई. नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम उन ब्लॉकों में आई.टी.आई. खोलेंगे जहाँ पर एक भी आई.टी.आई. नहीं है। इनके विधान सभा क्षेत्र कलायत में दो ब्लॉक हैं एक तो कलायत और दूसरा राजौंद और इन दोनों ब्लॉकों में एक-एक आई.टी.आई. पहले ही चल रही है। हमारी सरकार का एजेन्डा है कि "सबका-साथ-सबका-विकास"। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि इन्होंने जमीन विभाग के नाम करने का प्रस्ताव पंचायत से भिजवा दिया है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है यह काम इनकी पिछली सरकार के समय में हुआ हो।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बहुत से ब्लॉक ऐसे भी हैं जहाँ 2-2, 3-3 आई.टी.आई. खुली हुई हैं माननीय मंत्री जी चाहें तो अपने विभाग से इसका रिकॉर्ड मंगवा कर देख सकते हैं।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा इनकी सरकार के समय में होता होगा। इन्होंने बहुत से गलत काम किये थे और एक-एक ब्लॉक में कई-कई आई.टी.आई. खोल दी इसीलिए ये आज सत्ता से बाहर हैं। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारी सरकार का तो एजेन्डा ही यह है कि "सबका साथ-सबका विकास"। इसलिए हम पहले उन ब्लॉकों में आई.टी.आई. खोलेंगे जहाँ पर आई.टी.आई. नहीं है। आज भी हरियाणा में 38 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर एक भी आई.टी.आई. नहीं है। उसके बाद दूसरे ब्लॉकों में जरूरत के हिसाब से विचार किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1046

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थी।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1326

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदयभान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To open a ITI for Women in Jind

***999. Sh. Hari Chand Midha :** Will the Industrial Training Minister be pleased to state :—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute for Women in Jind Assembly Constituency; and
- (b) if so, the time by which the above said Institute is likely to be opened ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

श्री हरिचन्द मिड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न नं. भी 999 ही मिला है और माननीय मंत्री जी का जवाब भी नो-नो-नो में ही मिला है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मिड्डा साहब का सवाल है कि क्या जीन्द में महिला आई.टी.आई. खोली जायेगी और खोली जायेगी तो कब तक खोली जायेगी ? इस बारे में इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जीन्द में पहले ही महिला आई.टी.आई. चल रही है। वहाँ पर बहुत अच्छा कैम्पस है और महिला और पुरुष दोनों ही आई.टी.आई. वहाँ पर चल रही हैं।

श्री हरिचन्द मिड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उस आई.टी.आई. में ट्रेड कब तक दे दी जायेगी ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महिला आई.टी.आई. जीन्द के लिए जितनी भी ट्रेड मांगेंगे हम उनको दे देंगे।

श्री हरिचन्द मिड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, जुलाना में आई.टी.आई. खुली हुई है लेकिन वहाँ पर ट्रेडों की संख्या बहुत कम है। मैंने इस बारे में पिछली बार भी मांग की थी कि वहाँ पर और ट्रेड दे दी जायें लेकिन अभी तक वहाँ पर पूरी ट्रेड नहीं दी गई हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर सभी ट्रेड दी जायें।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे लिख कर भिजवा दें मैं कोशिश करूँगा कि वे जो भी ट्रेड मांगेंगे हम उनको दे देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1382

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्यों इस समय माननीय सदस्या श्रीमती प्रेम लता सदन में उपस्थित नहीं थीं)

To Open a Girls College in Hathin

***1007. Sh. Kehar Singh** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a women college in Mandkola and Manpur of Hathin constituency togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हमारे विधायक श्री केहर सिंह जी ने पूछा है कि क्या हथीन निर्वाचन क्षेत्र के मंडकौला तथा मानपुर में महिला महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तो मैं उसके उत्तर में बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। हथीन और मंडकौला से लगभग एक किलामीटर की दूरी पर एक राजकीय महाविद्यालय पलवल में है और एक राजकीय महाविद्यालय होडल में है जो मंडकौला से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा पलवल में एक जी.जी.डी.एस.बी. महाविद्यालय है और एक सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल में है। इसलिए अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हथीन विधान सभा क्षेत्र की आबादी लगभग 4 लाख है वहाँ पर पिछली सरकार के समय में एक गर्ल्स कॉलेज का निर्माण किया गया था लेकिन वह ठीक जगह पर नहीं किया गया। श्री रामविलास जी को वहाँ के एक-एक गांव का पता है। उसका प्रथम सत्र अभी चलने वाला है। मैं कहता हूँ कि इस स्तर में एक भी बेटी उस कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पर कोई अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सके। अभी मेवात, महेन्द्रगढ़ और पलवल जिलों के जो आंकड़े वित्त मंत्री जी ने बताए हैं उनमें पलवल जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 65 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिखाई गई है जबकि हथीन हल्का 30 हजार रुपये प्रति वर्ष से भी नीचे चल रहा है। वहाँ बेटियों को पलवल के लिए कन्वेंन्स की क्या सुविधा दी जाएगी, बेटियाँ कैसे होडल जाएंगी, कैसे नूंह जाएंगी। इसके लिए मैंने सदन में बार-बार अनुरोध किया है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है वह हमारे क्षेत्र हथीन में तभी सफल हो सकता है जब हमारे मंडकौला गांव, जिसमें 20 हजार की आबादी है, जो बहुत बड़ा गांव है, वहाँ बेटियों के लिए सीनियर सैकेण्डरी स्कूल

की सुविधा हो। इसके अलावा एक मानपुर गांव है, उसमें भी सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है जिसके लिए मैंने बार-बार अनुरोध किया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हथीन क्षेत्र के लोग आर्थिक तौर से कमजोर होते हुए भी अपनी बेटियों को बाहर पढ़ा सके।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक चौधरी केहर सिंह जी की जो चिन्ता है वह जायज है क्योंकि हथीन चुनाव क्षेत्र पलवल जिले का नूंह का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है और यह लगातार देहाती चुनाव क्षेत्र रहा है। मंडकौला, मंडनाका में हम बीसों बार गये हैं। ये दोनों गांव डागर लोगों के बड़े गांव है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का जो यह एक बेटा बचाओं और बेटा पढ़ाओ अभियान चला हुआ है, उसके तहत हमने बजट में भी बहुत बड़ी संख्या में कन्या महाविद्यालयों को शुरू करने के लिए प्रावधान किया है। मैं चौधरी केहर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि महिला महाविद्यालय के लिए जो प्रावधान होना चाहिए उसके अनुसार वहां पर अगर कोई जमीन का टुकड़ा हो, कोई भवन की जगह हो तो हम मंडकौला और मंडनाका के बीच में महाविद्यालय बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी आपकी बात तो मंत्री जी ने मान ली है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हथीन ब्लॉक एम.डी.ए. के तहत आता है। हमारा बहुत बड़ा एरिया है, मुसलमान एरिया है, जिसकी आबादी एक लाख 65 हजार के करीब है इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उटावड़ गांव में बच्चों की उर्दू विषय को पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है। वे चाहते हैं कि वहां पर भी एक विद्यालय खुले क्योंकि उर्दू के अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उटावड़ गांव में मुस्लिम कॉम्यूनिटी को देखते हुए वहां कोई उर्दू विद्यालय खोलने का कष्ट करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने मंडकौला और मंडनाका दोनों गांव की बात कही है। अब उटावड़ और धोजपुर चले गये जबकि फिरोजपुर नमक में एक बहुत बड़ी जे.बी.टी./डाईट की संस्था है। जब मैं वर्ष 1996 में शिक्षा मंत्री था तब हमने उस संस्था को आरम्भ किया था जो आज बड़ी कठिनाई से चल रही है। मंडकौला और मंडनाका दोनों गांव साथ-साथ हैं जिनमें एक किलामीटर की दूरी भी नहीं है। मैं माननीय विधायक केहर सिंह जी से कहना चाहूंगा कि वह अपनी पहली प्राथमिकता पर रहें और वह सरकार को जमीन या भवन उपलब्ध कराएं तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मंडकौला तथा मानपुर की पंचायतें महाविद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध करवायेंगी। मैं पिछले कई सत्रों से इस बारे में सदन में आवाज उठाता आ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने मेरे अनुरोध को सहानुभूतिपूर्वक सहर्ष स्वीकार किया है इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामबिलास शर्मा जी ने अपने उत्तर में नूंह विधान सभा क्षेत्र के अधीन फिरोजपुर नमक में स्थित जे.बी.टी. की डी.आई.ई.टी. संस्था का जिक्र

[श्री जाकिर हुसेन]

करते हुए “कठिनाई” शब्द का प्रयोग किया था। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह संस्था कठिनाई से नहीं बल्कि बड़े ही शानदार ढंग से चल रही है। इस संस्था की वजह से लोगों को बहुत फायदा भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” के विषय में कही है, उस परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले वर्ष “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” अभियान को प्रमुखता देते हुए शिक्षा विभाग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की “यू स्पेशल” (लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की स्कीम) की तर्ज पर लड़कियों के लिए मुफ्त बालिका शिक्षा वाहिनी योजना को लागू करने बारे इस सदन में आश्वासन दिया था। इस संबंध में मेरे पास कागजात भी मौजूद हैं। जब मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मेवात के सभी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुफ्त बालिका शिक्षा वाहिनी योजना की बाबत धन्यवाद भी किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” की योजना तभी प्रखर साबित हो सकेगी जब मुफ्त बालिका शिक्षा वाहिनी योजना को सही रूप से लागू किया जायेगा। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस मुफ्त बालिका शिक्षा वाहिनी योजना को कब तक मेवात क्षेत्र में लागू किया जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुफ्त बालिका शिक्षा वाहिनी योजना तो पहले से ही लागू है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि हमने नूँह में एच.आर.डी. मिनिस्टर आदरणीय बहन श्रीमती स्मृति ईरानी की उपस्थिति में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” तथा “स्वच्छता अभियान” कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में आठवीं में पढ़ने वाली बेटी वसीमा अकरीम को “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” तथा “स्वच्छता अभियान” कार्यक्रम का ब्रांड अम्बेस्डर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” योजना के अतिरिक्त मेवात विकास बोर्ड के अधीन कई और भी लाभकारी योजनाओं को शिक्षा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1377

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला खटक सदन में उपस्थित नहीं थीं)

Problem of Drinking Water

***1378. Shri Rahis Khan :** Will the Public Health Engineering be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that there is problem of drinking water in District Mewat; if so, the details thereof; and
- (b) the details of the steps taken by the Government to redress the problem of drinking water in the Mewat District ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सराफ) : श्रीमान् जी, सदन के पटल पर एक स्टेटमेंट रखी है।

(क) तथा (ख) जिला मेवात के 423 गांवों में से 194 गांवों में पेयजल की कमी है। इन 194 गांवों में से 17 गांवों को 150 करोड़ रुपये लागत की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना, जिसमें नलहर मेडिकल कालेज, नूंह शहर और साथ लगते गांव शामिल हैं, में कवर किया जा रहा है। कार्य 31-3-2017 तक पूरा होने की संभावना है। 97 गांवों में पेयजल आपूर्ति में सुधार करने के लिए 25 अतिरिक्त, नलकूप लगाए जा रहे हैं। इसके फिरोजपुर झिरका तथा नगीना ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले 80 पानी की गुणवत्ता प्रभावित गांवों तथा एक शहर के लिए 264 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा सरकार के विचाराधीन है।

श्री रहीस खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 10 दिसम्बर, 2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी नूंह निर्वाचन क्षेत्र में गये थे और पुन्हाना में रेनीवैल डिविजन के लिए घोषणा की थी। परन्तु अफसोस आज तक यह रेनीवैल डिविजन नहीं खुला है। क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह रेनीवैल डिविजन कब तक खुल जायेगा।

श्री घनश्याम सराफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी डिविजन खोलने को कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रहीस खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने पुन्हाना में रेनीवैल डिविजन संबंधी जो बात सदन में कही है वह नूंह विधान सभा क्षेत्र 10 दिसम्बर, 2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के आधार पर कही है। इस घोषणा को हुए एक साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। जब मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया तो पता चला कि इस संबंध में एक फाईल वित्त विभाग में श्री संजीव कौशल के पास पड़ी हुई है। मेवात क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर पुन्हाना में रेनीवैल डिविजन बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि यहां पर पानी की 90 प्रतिशत समस्या हल हो जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात क्षेत्र की पानी की समस्या के मद्देनजर ही यह घोषणा की थी।

श्री घनश्याम सराफ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह चिंता आज पूछे गये प्रश्न से हटकर है। जैसाकि इस बारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का जिक्र किया गया है तो इस संबंध में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस बारे कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन घोषणा की गई है या नहीं की गई है इसके विपरित मैं माननीय सदस्य को आश्वासत करना चाहूँगा कि हम तीन महीने की निश्चित समयावधि में इस कार्य को पूरा कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं भी मेवात क्षेत्र का सदन में प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेवात जिले के 80 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। नगीना, फिरोजपुर झिरका तथा अन्य गांवों में 1000-1200 रुपये प्रति टैंकर मंगवाकर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाता है। वर्ष 2004 में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय एक रेनीवैल प्रोजेक्ट मेरे विधान

[श्री नसीम अहमद]

विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया गया था। उसके बाद कोई भी नया प्रोजेक्ट या स्कीम इस क्षेत्र में लागू नहीं की जा सकी है। लोग प्यासे मर रहे हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के रूप में लिखित उत्तर में दिया गया है कि मेवात के 423 गांवों में से 194 गांवों में पेयजल की कमी है तथा इन 194 गांवों में से 17 गांवों को 150 करोड़ रुपये लागत से नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के तहत नल्लहड़ मेडिकल कॉलेज, नूँह शहर और साथ लगते गांवों को कवर किया जा रहा है तथा यह कार्य 31.3.2017 तक पूरा होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मैं नूँह निर्वाचन क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे क्षेत्र में लोग प्यासे हैं अतः इस और जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी और जाकिर जी, माननीय सदस्य श्री रहीस खान ने तारांकित प्रश्न संख्या 1378 के तहत दो प्रश्न किए थे। पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि तीन महीने के अन्दर रेनीवैल डिविजन को बना दिया जायेगा। (शोर एव व्यवधान) अब यह प्रश्न कोई सारे मेवात क्षेत्र से संबंध रखने वाले सदस्यों का तो नहीं है और जहां तक आप नगीना, फिरोजपुर झिरका व नूँह की बात कर रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न रहीस खान से संबंध रखता है, आप लोगों से संबंधित नहीं है (शोर एव व्यवधान) और माननीय मंत्री जी ने रहीस खान जी को उसके प्रश्न का जवाब दे भी दिया है। (शोर एव व्यवधान) रहीस खान ने बाकायदा दो बार सप्लीमेंटरी प्रश्न भी पूछा है। (शोर एव व्यवधान) अतः प्लीज आप बैठिये। यदि आप लोग इस तरह से सप्लीमेंट्री करते रहेंगे तो बाकी सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे नगीना क्षेत्र में 100 प्रतिशत पानी की कमी रहती है। वर्ष 2004 के बाद रेनीवैल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसके बाद कोई भी नई योजना लागू नहीं हुई है। लोग अपने घरों में 1000 या 1200 रुपये में पानी का टैंक खरीद कर पानी भरते हैं। इस समस्या से हर आदमी परेशान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, नल्लहड़ मेडिकल कॉलेज और नूँह शहर के लगते गांवों में कार्य प्रगति पर है जिन्हें 31 मार्च, 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा।

Bad Condition of Sewerage System

***1025. Sh. Om Parkash Barwa :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that sewerage system is lying choked in Loharu Town; and
- (b) if so, the time by which the abovesaid sewerage system is likely to be made functional ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री घनश्याम सर्राफ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर नहीं में है क्योंकि हमारा काम ठीक से चल रहा है और वहां पर साढ़े तीन एम.एल.टी. का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। 35 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मल शोधन संयंत्र है। कुछ क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली व्यवस्था प्रदान की जानी है। जल्दी ही इसका अनुमान लगा कर इस काम को पूरा करने का माननीय सदस्य को आश्वासन देते हैं।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर स्कूल, अस्पताल आदि हैं वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी भरा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहां पर भी सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोहारू क्षेत्र में कामों की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जैसे-जैसे जो काम सामने आते रहेंगे उनका एक खाका तैयार करके उन्हें पूरा करने का आश्वासन माननीय सदस्य को देते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1040

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To Open a Girls College in Ballabgarh

***1033. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Ballabgarh constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी, इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में वल्लभगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए कोई स्थान नहीं बताया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 तारीख को कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की थी। वल्लभगढ़ की लगभग 10 लाख की आबादी है। वल्लभगढ़ में महिला विद्यालय के अलावा सभी तरह के विद्यालय हैं।

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद की आबादी लगभग 18 लाख के करीब है। तिगांव विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय है और फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र में भी कन्या महाविद्यालय है। अध्यक्ष महोदय, वल्लभगढ़ विधानसभा जैसे वालों की विधानसभा नहीं है। तमाम भारत के लोग वल्लभगढ़ में 36, 50, 60 और 100 गज के मकान बनाकर रहते

[श्री मूल चन्द शर्मा]

हैं। बल्लभगढ़ क्षेत्र में कोई भी कृषि भूमि नहीं है। हमारे पास केवल एक आई.टी.आई. है। एक-एक कन्या विद्यालय में लगभग साढ़े चार-पांच हजार बेटियां पढ़ती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 तारीख को कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। बल्लभगढ़ सैक्टर 2 में 5 एकड़ जमीन है और सैक्टर 3 में स्कूल की जमीन खाली पड़ी हुई है, जो हुडा की जमीन है। वहां पर लड़कियों का कॉलेज बन सकता है। वहां के ज्यादातर लोग हर रोज खाने कमाने वाले होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को दूसरी जगह जैसे दिल्ली वगैरह पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हालत ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने की बात कही है, हमने सोचा शायद फरीदाबाद के बाद बल्लभगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने का नम्बर आयेगा। जहां एक-एक कॉलेज था वहां दो-दो कॉलेज खोलने की तैयारी हो रही है। बल्लभगढ़ में ऐसी क्या परेशानी है कि वहां पर कॉलेज नहीं खोला जा सकता ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय विधायक के क्षेत्र में अग्रवाल कॉलेज सरकार की सहायता से चलता है। फिर भी विधायक जी के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि उनके लिए हर बार "ना" नहीं निकल सकती। वहां पर 5 एकड़ जमीन होने की माननीय सदस्य ने जानकारी दी है। माननीय सदस्य टेकचंद शर्मा भी उसी में शामिल हैं। ये पृथला विधान सभा क्षेत्र के लिए अलग से मांग नहीं करेंगे। (विघ्न)

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का रिश्ता देने का नहीं लेने का है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, अगर सैक्टर 2 में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध है और एक भवन उपलब्ध हो तो हम वहां पर कॉलेज खोलने का विचार करेंगे। इसके लिए मैंने माननीय सदस्य चौधरी केहर सिंह से भी आग्रह किया है।

श्री मूलचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन हुडा विभाग की है। जो अग्रवाल कॉलेज या स्कूल है वह एक प्राइवेट संस्था है। इसके अलावा बल्लभगढ़ में दूसरी कोई संस्था नहीं है। प्राइवेट कॉलेज तो हर विधान सभा क्षेत्र में मिल जाएंगे। हुडा की जो 5 एकड़ लैंड है वह सैक्टर 2 में +2 के स्कूल के लिए प्रपोज्ड है और दूसरा स्कूल सैक्टर 3 में प्रपोज्ड है। मेरा प्रश्न यह है कि सैक्टर 2 में जो हुडा की जमीन है उसके लिए हम बिल्डिंग कहां से लाएंगे। जिस जगह हमारे पास बिल्डिंग है माननीय मंत्री जी उसी में कन्या महाविद्यालय बना दें। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबके लिए पृथला विधान सभा क्षेत्र में ... (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनको कह ही दिया है कि पंडित जी के लिए उनकी जुबान से ना नहीं निकल सकती और सारे सदन ने इसके लिए सिफारिश भी कर दी है तो उन्हें इस कॉलेज के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, जब माननीय वित्त मंत्री ने भी इसके लिए सिफारिश की है तो हमें फाइनेंशियल अप्रूवल भी मिल गई है अतः हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष जी, आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन के किसी सदस्य का अगर जन्मदिन हो तो मंत्री जी उनकी मांग को बड़ी

जल्दी मान लेते हैं। मेरे हल्के में न तो महिला महाविद्यालय है और न ही लड़कियों के लिए अलग स्कूल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। कि मेरे हल्के में एक गर्ल्स कॉलेज खोलने की कृपा करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, डॉ पवन सैनी के विधान सभा क्षेत्र लाडवा में इस तरह का कॉलेज खोलने का विचार चल रहा है। जो माननीय सदस्य ने जन्मदिन की बात कही है तो वह एक संयोग ही था। एक दिन चौधरी बिरेन्द्र सिंह सदन में बैठे थे और माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमलता का जन्मदिन था और एक दिन कालका की विधायक श्रीमती लतिका शर्मा का जन्मदिन था।

To Metal the Unmetalled Passage

***1015. Sh. Anoop Dhanak** : Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Balak to Sandhol of Uklana constituency; if so, the time by which the said work is likely to be completed togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी; समय का प्रश्न, इसलिए, उठता ही नहीं।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का कोई सवाल आता है तो माननीय मंत्री जी बड़े ही सहज भाव से न मैं उत्तर देते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र उकलाना में ऐसी क्या परेशानी है ? हमें संदोल गांव से पाबड़ा जाने के लिए 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अगर गांव संदोल से बालक तक पक्का रोड़ बन जाए तो माननीय मंत्री जी की मेहरबानी होगी। वहां पर बाबा किशनगिरी जी का डेरा भी है जिस पर हमारी माताएं-बहनें जल चढ़ाने के लिए जाती हैं। इस रोड़ के लिए हमने 6 करम का रास्ता भी दे दिया है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, गांव संदोल से बालक तक की सड़क लगभग 9 किलोमीटर की है। इन्होंने जो 6 करम के रास्ते का जिक्र किया है वह पौने 8 किलोमीटर का है। अतः शेष सवा किलोमीटर के रोड़ के लिए 8 करोड़ रुपये लगाना मुझे वायबल नहीं लगता। जहां पर सड़कें नहीं हैं माननीय सदस्य वहां बनवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष जी, शायद माननीय मंत्री जी के पास गलत रिकॉर्ड है। हम यदि गांव संदोल से गांव बालक चोटा होकर गांव पाबड़ा जाते हैं तो वह करीब 15-20 किलोमीटर के बीच का एरिया पड़ता है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, यदि यह रास्ता 20 किलोमीटर पूरा होगा तो हम इसे जरूर बना देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1066

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Apki Beti, Humari Beti Yojna

***1221. Shri Ramchand Kamboj :** Will the Women and Child Development Minister be pleased to state the districtwise details of total amount deposited in LIC under "Apki Beti Humari Beti Yojna" after the 22nd January, 2015 on the birth of first daughter in the families of the Scheduled Castes and BPL families and on the birth of the second daughter in other families ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, विवरण निम्न प्रकार से है—

क्रम संख्या	जिले का नाम	भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति एवं बी0पी0एल0 परिवारों में जन्मी पहली बेटी हेतु हेतु जमा करवाई गई राशि (रुपयों में)	भारतीय जीवन बीमा निगम में सभी परिवारों में जन्मी दूसरी बेटी हेतु जमा करवाई गई राशि (रुपयों में)
1	अम्बाला	12474000	5901000
2	भिवानी	9954000	4389000
3	फरीदाबाद	987000	1386000
4	फतेहाबाद	9345000	1134000
5	गुडगांव	6867000	8211000
6	हिसार	7413000	7245000
7	झज्जर	4830000	6720000
8	जीन्द	9576000	14028000
9	केथल	2520000	1659000
10	करनाल	4578000	5733000
11	कुरुक्षेत्र	8169000	7707000
12	मेवात	4746000	10668000
13	नारनौल	819000	1974000
14	पलवल	2478000	2478000

1	2	3	4
15	पंचकूला	3297000	2898000
16	पानीपत	7035000	9072000
17	रेवाड़ी	5292000	6216000
18	रोहतक	6342000	3549000
19	सिरसा	4305000	2226000
20	सोनीपत	9891000	9429000
21	यमुनानगर	10500000	7014000
कुल		13,14,18,000/-	11,96,37,000/-

तारांकित प्रश्न संख्या- 1082

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नगेन्द्र भडाना सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Transfer Policy of Education Department

***1341. Sh. Umesh Aggarwal :** Will be education Minister be pleased to state—

- (a) Whether it is a fact that new policy for transfers of teachers in the Education Department is under consideration of the Government ?
- (b) If so, the salient features of the new transfer policy.
- (c) The time by which it is likely to be implemented ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

- (क) हां, श्रीमान जी।
- (ख) मुख्य विशेषताएँ अंतिम रूप देने उपरांत ही सूचित की जा सकती हैं।
- (ग) स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 में लागू होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक उमेश अग्रवाल जी ने ट्रांसफर पोलिसी के बारे में पूछा है तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत मेहनत से एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है जिसमें 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं। विधवा, डैजर्टिड, अपंग, असहाय और बेसहारा महिलाओं को पहली कैटेगरी में रखा है। हमने इनको 58+20 के हिसाब से वर्गीकृत किया है यानि 58 साल की उम्र में कर्मचारी रिटायर होता है और 20 नम्बर प्राथमिकताओं

[श्री राम बिलास शर्मा]

के हिसाब से तय किए हैं। बहुत जल्दी हम विधान सभा के पटल पर यह नई ट्रांसफर पॉलिसी रखेंगे। इस पॉलिसी में हमने ग्रामीण सर्विस का भी कंसीडरेशन किया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थानान्तरण नीति हम इसी सत्र में लेकर आ रहे हैं।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गुडगांव और फरीदाबाद शहरी क्षेत्रों की गिनती में आते हैं। गुडगांव शहर की मैं बात करूं तो इस शहर की आबादी 25 लाख से ज्यादा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी बहुत थोड़ी है। इस नई पॉलिसी के तहत 7 प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। इस पॉलिसी से गुडगांव और फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों को काफी दिक्कत होने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जहां पर शहरी आबादी ज्यादा है क्या उस क्षेत्र के अध्यापकों को कोई विशेष छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि जब तक स्थानान्तरण की नई नीति लागू नहीं होती तब तक ट्रांसफर बंद कर दी जानी चाहिए। अगर ट्रांसफर चलती रहती है तो लोग हमारे पास आकर हमें परेशान करते हैं कि फलां की ट्रांसफर हो गई मेरी नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ट्रांसफर की जाएं वे नई नीति लागू करने के बाद ही की जाएं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरदार जसविन्द्र संधू और उमेश अग्रवाल जी की चिन्ता वाजिब है। शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा विभाग है। एक लाख के आस पास कर्मचारी इस विभाग में काम करते हैं जिनमें से 25 परसेंट बहनें इस विभाग में काम करती हैं। इस स्थानान्तरण नीति के लिए हमने अध्यापक संगठनों के साथ काफी विचार विमर्श किया है। अध्यापकों के भी कई संगठन हैं। प्राथमिक शिक्षा का अलग संगठन है। एस.एस. मास्टर्स के, संस्कृत टीचर्स के, विज्ञान टीचर्स के, टी.जी.टी. के, पी.जी.टी. के और प्रोफेसर्स के अलग अलग संगठन हैं। हमने अलग अलग कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श करने का प्रयास किया है। उसके बाद हमने इस मामले में जो विशेषज्ञ थे, उनके साथ भी विचार विमर्श किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी हमारी दो लम्बी-लम्बी बैठकें हुई हैं। हर कर्मचारी, जिनकी सहायता होनी चाहिए उनके लिए हमने इस पॉलिसी में प्रावधान करने की कोशिश की है। जैसा मैंने पहले बताया है कि विधवा, बेसहारा, असहाय या कोई अपंग महिला है तो उनको छोड़कर हर अध्यापक को कम से कम 5 साल गांव की सेवा करने का भी अवसर मिलना चाहिए। उमेश अग्रवाल जी की भी चिन्ता जायज है क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र शहर में आता है और शहर में टीचर इधर से उधर ट्रांसफर करवा लेते हैं। जो गुडगांव गांव में है वह कटारिया चौक के स्कूल में ट्रांसफर करवा लेते हैं। जो कटारिया चौक पर हैं वे पुराने गुडगांव स्कूल में ट्रांसफर करवा लेते हैं। जो पुराने गुडगांव में हैं वे बादशापुर ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस तरह से वे गुडगांव में ही रहते हैं। हमें अब स्थानान्तरण नीति बनाने में डेढ़ साल का समय लग गया क्योंकि अध्यापक बहुत जुगाडू होते हैं और उनका रसूक होता है। विधायक साथी उन्हीं के काम में लगे रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कई दफा कहते हैं कि जिस दफ्तर के सामने सबसे ज्यादा भीड़ है वह राम बिलास शर्मा का दफ्तर है और जिस घर के सामने सबसे ज्यादा भीड़ है वह राम बिलास शर्मा

का घर है। अध्यक्ष महोदय, हमने डेढ़ साल के समय में अनेकों संगठनों के साथ मिलकर टीचर्स की साईटिफिक स्थानांतरण पॉलिसी बनाई है। इस ट्रांसफर पॉलिसी को हम इसी सत्र से लागू करेंगे।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व ज्यादा होने के कारण जिस प्रकार से टीचर्स की ट्रांसफर में दिक्कत आती है इसी तरह से स्कूल के अपग्रेडेशन में भी शहरी क्षेत्र में बहुत दिक्कत आती है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक-नजदीक होते हैं जिसके कारण जो 5 किलोमीटर की दूरी का नियम स्कूल अपग्रेडेशन का बना हुआ है उसके कारण बहुत से स्कूल शहरों में अपग्रेड नहीं हो पाते। यही दिक्कत टीचर्स के ट्रांसफर में भी आने वाली है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि स्कूल अपग्रेडेशन के नियम और ट्रांसफर पॉलिसी शहरी क्षेत्र और रुरल क्षेत्र के लिए अलग-अलग बनाई जाए।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शहर में टीचर्स इसलिए ज्यादा रहना चाहते हैं क्योंकि वहां हाऊस रेंट की सुविधा भी ज्यादा होती है तथा दूसरी सुविधाएं भी घर के नजदीक होती हैं परंतु शिक्षा का विस्तार गांव में भी उतना ही आवश्यक है जितना शहर में है। शहर में प्राईवेट संस्थाएं बहुत बड़ी संख्या में काम कर रही हैं। शिक्षा विभाग के राजकीय प्रांगण में 67 प्रतिशत बच्चे एस.सी., बी.सी. के पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे राजकीय स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं वे भी अपने बच्चों को राजकीय स्कूल में नहीं पढ़ाते और मुझे इस बात को सदन में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 15-20 साल से शिक्षा का व्यापारीकरण बहुत भयंकर हो गया है। मां-बाप को लगता है कि राजकीय विद्यालयों की बिल्डिंग टूटी हुई हैं और उनमें बैठने के लिए बेंच भी नहीं हैं तथा टीचर्स भी देरी से आते हैं इसलिए वे अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अध्यक्ष महोदय, ये जो मौलिक बातें हैं इनकी तरफ हमने पिछले डेढ़ साल में ध्यान दिया है तथा ऐसे विद्यालय विकसित किए हैं जैसे पंचकुला में सार्थक विद्यालय विकसित किया है। सार्थक विद्यालय में बच्चों के एडमिशन के लिए उसी तरह की मारा-मारी रहती है जिस प्रकार से भवन विद्यालय के एडमिशन में मारा-मारी रहती है। आज जिस तरह से चण्डीगढ़ शिक्षा विभाग में मॉडल स्कूल हैं, हम भी उसी तरह से हर जिले में एक आदर्श विद्यालय खोल रहे हैं जिसमें विज्ञान की कक्षाएं भी होंगी और अध्यापक भी पूरे होंगे। ये स्कूल भवन की दृष्टि से और दूसरी दृष्टियों से पूर्ण होंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की तरफ पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार ने कह दिया था कि 8 जिलों में कोई महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं करा सकते। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया है कि एचटेक की परीक्षा 21 जिलों में यानि पूरे प्रदेश में करायेंगे तथा 4.62 लाख बच्चों की परीक्षा कराई है। केवल एक जगह पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई जिसके कारण हम 1.50 लाख बच्चों की एचटेक की परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी तरह की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर साफ, स्वच्छ प्रांगण के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं।

Demage to Roads

***1090. Sh. Tak Chand Sharma :** Will the PW (B&R) Minister be please to state whether it is a fact that the roads of District Faridabad and Palwal are being damaged due to overloading and seepage of water from wet sand since the mining work has been started; if so, the steps taken by the Government to check the said problem ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी। समस्या को रोकने के पगों में शामिल हैं, अतिभार वाहनों का सशक्त प्राधिकारी द्वारा चालान करना तथा लचीली पेवमेंट की जगह कठोर पेवमेंट का निर्माण करना।

15.00 बजे श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर अभी-अभी यमुना नदी में खनन का कार्य 2-3 महीने पहले ही शुरू हुआ है। हमारे यहां पर जो दो साल पहले सड़कें बनाई गई थी वे इतनी मजबूत बनाई जाने के बावजूद भी वे पूरी तरह से टूट गई हैं क्योंकि उन सड़कों पर डम्पर डबल लोड लेकर चलते हैं। वहां पर दयालपुर, छांयसा, मोहना और पनड़ा खुर्द इत्यादि इन गांवों से गुजरने वाली सभी सड़कों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। डबल लोड वाले डम्पर सीधे यमुना नदी में से रेत भरते हैं और उस रेत में से बराबर पानी टपकता रहता है जिससे वे सारी की सारी सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इन डम्परो/ट्रकों का लोड चैक करने के लिए क्या वहां पर कोई बैरियर इत्यादि लगाया जायेगा जिससे यह भी चैक किया जाये कि उन ओवर लोडिड डम्परो/ट्रकों इत्यादि से पानी भी न टपके। माननीय मंत्री जी ने अभी यहां पर बताया है कि वहां पर चालान किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हमें बतायेंगे कि वहां पर अब तक कितने चालान किये गये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मुझे यह पता चला है कि वहां पर कोई चालान इत्यादि नहीं होते। इसलिए माननीय मंत्री जी मुझे यह भी बतायें कि पिछले तीन महीनों के अंदर कितने चालान वहां पर हुए हैं ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चालान का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर दिनांक 01.10.2015 से 20.03.2016 तक वहां पर कुल 1509 चालान हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी दी कि वहां पर बहुत से ओवरलोडिड ट्रक चलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ओवरलोड का चालान आर.टी.ए. करता है। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के बहुत से रोड इन ओवरलोडिड ट्रकों/डम्परो से टूट रहे हैं। हमें बहुत सी जगह इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है चाहे वह यमुना नदी से रेत निकालने के कारण हमारी सड़कें टूट रही हों या फिर राजस्थान से आने वाले इस प्रकार के मैटीरियल से ओवरलोडिड डम्परो/ट्रकों से हमारी सड़कें टूट रही हों। यह मेरी अपनी भी सोच है कि इस प्रकार की सड़कों पर टोल नाके और बैरियर लगाये जायें। अगर माननीय सदस्य की ऐसी कोई स्पेशल शिकायत है तो वे उसके बारे में मुझे बता दें। हम वहां पर टोल नाका लगा देंगे और आर.टी.ए. को भी आदेश कर देंगे कि वहां से ओवरलोडिड डम्परो/ट्रकों का आवागमन नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में सड़कों के टूटने की वजह एकमात्र यही नहीं है कि यमुना नदी से गीला रेत निकाला जाता है बल्कि मैं तो यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के बहुत से गांवों में से पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें गुजरती हैं। आजकल गांवों में अमूमन प्रत्येक व्यक्ति के पास सम्पन्नता आ गई है जिसके कारण वह एक-

एक करोड़ रुपया लगाकर बड़े-बड़े मकान बना रहा है और उसका पानी बाहर सड़क के ऊपर छोड़ देता है। पूरे सदन के सामने मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ भी हमें यहां पर एक कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और जुर्माना लगाया जायेगा ताकि गांवों की सड़कें खराब न हों। मैं कैबिनेट की मीटिंग में भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहता हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति घर का पानी सड़क पर न छोड़े। मुझे मंत्री होने के नाते बहुत से गांवों में जाना पड़ता है मैंने यह देखा है कि हर गांव में यह समस्या है और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसकी सड़कें लोगों द्वारा इस प्रकार से छोड़े गए पानी के कारण न टूटी हों। जब तक इस प्रकार के व्यक्तियों के मन में जुर्माने और सज़ा का डर नहीं होगा हरियाणा प्रदेश के गांवों की सड़कों को टूटने से नहीं बचाया जा सकता।

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मंत्री जी ने जगह के बारे में पूछा है, मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोहना गांव के दोनों तरफ से ये सड़कें निकलती हैं जिन पर खनन का सामान ले जाया जाता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मोहना गांव में बैरियर बना दिया जाये जहां पर यह चैक किया जाये कि न तो कोई भी व्हीकल ओवरलोडिड हो और न ही किसी व्हीकल में डाले गये रेत इत्यादि से पानी ही टपकता हो। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो इससे इन ओवरलोडिड और पानी टपकाने वाले व्हीकल पर कंट्रोल किया जा सकेगा जिससे सड़कों की सुरक्षा हो सकेगी।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम कोशिश करेंगे कि हम वहां पर यह बैरियर लगाने की व्यवस्था कर दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 1130

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्रीमती रेणुका बिश्नोई सदन में उपस्थित नहीं थी।)

Construction of Building of PHCs

***1147. Sh. Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Primary Health center (PHC) in village Amargarh and Sinsar in Narwana Assembly constituency ; if so, the time by which these buildings are likely to be constructed ?

Health Minister (Sh. Anil Vij) : Sir, a statement is laid on the Table of the House. Sir, a proposal to construct a new building for Primary Health Centre (PHC) at village Sinsar is under consideration of the State Government. The PHC is presently functioning from a panchayat building. The hand for the new building is yet to be transferred to the Health Department by the Gram panchayat. Since the matter is at proposal stage no timeline can be drawn for the construction of the new building. There is no proposal for construction of Primary Health Centre building at village Amargarh.

श्री पिरथी सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि गांव अमरगढ़ की पंचायत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग बनाने के लिए चार एकड़ ज़मीन दी हुई है लेकिन अभी तक वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गांव अमरगढ़ की पंचायत द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए ज़मीन देने के बावजूद भी वहां पर अभी तक बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई है। दूसरा सवाल मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से गांव सीसर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अपनी बिल्डिंग न होने के कारण इसको भी गांव की चौपाल में चलाया जा रहा है। इस गांव की पंचायत ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पांच एकड़ ज़मीन दी हुई है। ऐसे ही उझाना भी एक बहुत बड़ा गांव है वहां पर भी एक चौपाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन सभी गांवों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जमीन देने के बावजूद भी वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई जा रही है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जहां तक गांव अमरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मामला है यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत की बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन पंचायत ने अभी तक इसके लिए जमीन नहीं दी है। अगर इस गांव की पंचायत हमें ज़मीन देगी तो हम बिल्डिंग बनाने के बारे में ज़रूर विचार करेंगे। जहां तक गांव सीसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए बिल्डिंग बनाने का सम्बन्ध है, इस गांव की पंचायत ने इस बारे में रेजोल्यूशन तो पास कर दिया है लेकिन अभी तक यह ज़मीन हैल्थ डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है इसलिए अगर यह ज़मीन हमारे विभाग के नाम ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गांव में गया था तो ग्राम पंचायत ने कहा है कि हम विभाग को जमीन दे चुके हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस जमीन का पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ है जमीन विभाग के नाम नहीं हुई है। अगर जमीन विभाग के नाम ट्रांसफर हो जायेगी तो हम इनका काम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सभी प्रश्न टेकअप हो चुके हैं और कोई भी ऐसा प्रश्न बाकी नहीं है जिसका जवाब देना बाकी हो अतः अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Vacancy of Doctors

289. Sh. Hari Chand Midha : Will the Health Minister be pleased to state—

- (a) the vacancy of doctors (Medical Officers and Dental Surgeons) in the state as on 1-11-2014, vacancy position of the above on 29-02-2016, togetherwith recruitments of doctors made during the period from 1-11-2014 to 29-02-2016; and

- (b) the specialty wise and district wise posting of various specialist doctors in state particularly in Anesthesia and ICU, Gynecology Pediatrics, Skin and ENT ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत शल्य चिकित्सकों की 1-11-2014 तक की रिक्ति स्थिति निम्न है—

पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त
चिकित्सा अधिकारी	2672	2212	460
दंत शल्य चिकित्सक	624	563	61

चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत शल्य चिकित्सकों की 29-02-2016 तक की रिक्ति स्थिति निम्न है—

पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त
चिकित्सा अधिकारी	2785	2364	421
दंत शल्य चिकित्सक	624	563	61

1-11-2014 से 29-2-2016 तक 389 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में 1-11-2014 से 29-2-2016 तक कोई भी दंत शल्य चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई।

(ख) राज्य में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेषज्ञतावार तथा जिलावार नियुक्तियां निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	जिले का नाम	विशेषज्ञता				
		एनेस्थिसिया तथा आई.सी.यू.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	बाल चिकित्सक,	चर्म रोग विशेषज्ञ	ई.एन.टी.
1.	अम्बाला	5	3	2	3	5
2.	भिवानी	3	2	4	0	2
3.	फरीदाबाद	3	8	3	3	2
4.	फतेहाबाद	5	2	2	2	2
5.	गुडगांव	4	7	4	1	0
6.	हिसार	5	5	2	2	4
7.	झज्जर	5	8	7	1	3
8.	जींद	3	3	3	0	2

[श्री अनिल विज]

1	2	3	4	5	6	7
9.	कैथल	3	3	1	1	2
10.	करनाल	2	5	3	2	1
11.	कुरुक्षेत्र	2	5	2	1	0
12.	मेवात	1	0	2	0	0
13.	नारनौल	3	1	3	1	2
14.	पलवल	2	1	2	0	2
15.	पंचकूला	5	12	4	2	5
16.	पानीपत	2	5	3	0	0
17.	रिवाड़ी	0	4	2	0	1
18.	रोहतक	2	8	4	3	3
19.	सिरसा	7	6	5	2	2
20.	सोनीपत	4	9	3	2	1
21.	यमुनानगर	3	10	3	1	3
कुल		69	107	64	27	40

Financial Assistance to Schedule Caste Students

294. Sh. Pirthi Singh : Will the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister be pleased to State the districtwise details of financial assistance provided to the poor students/girls students belonging to Scheduled Castes for diploma/undergraduate/postgraduate/technical courses during the period from October, 2014, till to date ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : श्रीमान् जी, सूचना विधानसभा सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना एवं अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गरीब छात्रों/छात्राओं को डिप्लोमा/स्नातक के तहत/स्नातकोत्तर/तकनीकी कोर्सों में अक्टुबर, 2014 से दिनांक 07-03-2016 तक 1,21,722 विद्यार्थियों को 22,265.33 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलावार छात्रों तथा उनको वितरित राशि का विवरण निम्न अनुसार है :

1	2	3	4
क्र.सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों/ लाभपात्रों की संख्या	अक्तूबर, 2014 से 07-03-2016 तक वितरित राशि (राशि लाखों में)
1	अम्बाला	8304	1352.9
2	भिवानी	8235	1287.66
3	फतेहाबाद	5471	1145.27
4	फरीदाबाद	3729	870.77
5	गुडगावां	2679	604.07
6	हिसार	8343	1519.92
7	झज्जर	4433	952.18
8	जीन्द	6229	956.00
9	कैथल	5564	992.01
10	करनाल	7345	1370.64
11	कुरुक्षेत्र	11396	2512.27
12	मेवात	1077	164.12
13	नारनौल	3845	760.72
14	पानीपत	3656	641.61
15	पंचकूला	1418	200.68
16	रिवाडी	4432	634.31
17	रोहतक	7661	1766.83
18	सिरसा	6614	1084.15
19	सोनीपत	7109	1219.97
20	यमुनानगर	8861	1391.94
21	पलवल	5321	837.31
कुल		1,21,722	22265.33

Repair of Road

242. Sh. Om Parkash Barwa : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from village Gignau to village Barwas has been damaged; if so, the time by which it is likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी। यह रास्ता तीन सड़कों से बना है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र० संख्या	सड़क भाग का विवरण	लम्बाई (कि०मी०)	उत्तर
1	भिवानी-लोहारू सड़क (एन०एच०-709 ई०) से झुप्पा खुर्द सड़क	3.45	सड़क की मरम्मत का कार्य ठेकेदार को आवंटित है और इसे 31-05-2016 तक पूरा करने की संभावना है।
2	झुप्पा खुर्द से बारवास सड़क (कि०मी० 0.00 कि०मी० 2.00 तक	2.00	सड़क की मरम्मत का कार्य ठेकेदार को आवंटित है और इसे 31-05-2016 तक पूरा करने की संभावना है।
3	झुप्पा खुर्द से बारवास सड़क (कि०मी० 2.00 से कि०मी० 5.69 तक)	3.69	सड़क को पोट होल/पैच कार्य द्वारा मरम्मत करके यातायात योग्य रखा जा रहा है। इसकी मुख्य मरम्मत 2016-17 के दौरान करना प्रस्तावित है। लेकिन अभी इसकी समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

Loan of the Haryana State Government

273. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Finance Minister, Haryana be pleased to state—

- whether there is any cap for taking the loan by the Haryana State from other sources; if so, the quantum of such cap ;
- whether State of Haryana is exceeding the limit of cap taking the loan; and
- the steps being taken by the Government to maintain the financial health of the State ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

- (क) 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, मापदण्डों में इस समय चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋण पर राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आमतौर पर बाजार उधारी कहा जाता है) के माध्यम से उठाए गए राज्य विकास ऋणों की मात्रा बारे केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा नाबार्ड, एनसीआर योजना बोर्ड, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि से लिए गए अन्य ऋणों के आकलन के आधार पर अनुमति दी जाती है।
- (ख) नहीं महोदय,
- (ग) सरकार की उधारी को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ उठाए गए निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—
- 1 विलासिता की वस्तुओं की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध।
 - 2 प्रतिस्थापन को छोड़कर नये वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध।
 - 3 नए पदों के अपग्रेडेशन पर पूर्ण प्रतिबन्ध। वित्त विभाग द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों के तहत ही नए पदों के सृजन की अनुमति दी जाएगी।
 - 4 विभिन्न श्रेणियों की यात्रा पात्रता के लिए वित्त विभाग के पत्र संख्या 5/27/1998-1 एफआर दिनांक 20 जून, 2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
 - 5 सरकार ने विभाग द्वारा संचालित सभी बैंक खाते तुरन्त प्रभाव से बंद करने और ट्रेजरी में पर्सनल लेजर अकाउंट (पीएलए) खोलने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के खजाने को ब्याज का नुकसान न हो।
 - 6 सरकार (वित्त विभाग) ने दो से अधिक वर्षों से रिक्त पड़े पदों को समाप्त कर दिया है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पहले संदर्भ न भेजा गया हो।

Four-Laning of Road

280. Sh. Jasbir Deswal : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the four lane road from Jind to Panipat; if so, the time by which the abovesaid road is likely to be four-laned together the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

Appointment of Swami Ramdev as Brand Ambassador

260. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Health Minister be pleased to state the terms and conditions set by the Government with respect to the appointment of Swami Ramdev as the Brand Ambassador of the State to promote Yoga together with the tangible benefits received so far by the State with his appointment ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ, श्रीमान जी,

हरियाणा सरकार और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मध्य एक समझौता ज्ञापन दर्ज किया गया था। समझौता ज्ञापन की शर्तें मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

- 1 स्वामी रामदेव जी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य में योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की सहमति प्रदान की।
- 2 राज्य सरकार इनके मार्गदर्शन में हरियाणा के सभी 6500 गांवों में व्यायाम एवं योगशालाएं चलाएगी जिनमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को योग व आयुर्वेद में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा स्थानीय खेलकूदों में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- 3 राज्य सरकार राज्य में योग व आयुर्वेद की जागरूकता के लिए समय-समय पर समारोह आयोजित करेगी जिसमें स्वामी रामदेव जी को बतौर ब्रांड एम्बेसडर आमन्त्रित किया जाएगा।
- 4 राज्य सरकार योग व आयुर्वेद की जागरूकता फैलाने के लिए स्वामी रामदेव जी के फोटो होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों पर प्रयोग करेगी।
- 5 इस समझौते के तहत राज्य सरकार स्वामी रामदेव जी को वाहन, सुरक्षा व ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। उन्हें राज्य सरकार के राज्य अतिथि के रूप में सम्मान मिलेगा तथा स्वामी रामदेव जी के प्रतिधियों को भी वाहन, सुरक्षा व ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।

दिनांक 21-06-2015 को करनाल में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से एक राज्य स्तरीय समारोह (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) का आयोजन किया गया था। इस राज्य स्तरीय समारोह में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था जिसमें लगभग 5000 से 6000 व्यक्तियों ने भाग लिया।

राज्य में योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 6500 गांवों व कस्बों में चरणबद्ध तरीके से योगशालाएं स्थापित करने का एक निर्णय लिया गया है। इस चालू वर्ष के दौरान पंचायत/खेल विभाग द्वारा लगभग एक हजार योगशालाओं को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वन विभाग पतंजलि योगपीठ के तकनीकी परामर्श/मार्गदर्शन में मोरनी की पहाड़ियों में हर्बल पौधों के उत्थान के लिए एक हर्बल वन सृजित करने की योजना बना रहा है।

To Improve The Condition of Government Library

300. Sh. Rajdeep Singh Phogat : Will the Education Minister be pleased

to state whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the pitiable condition of the Government library in Charkhi Dadri city; if so, the time by which it is likely to be improved ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : नहीं श्रीमान् जी ।

Up- Gradation of Tehsil in Ladwa

334. Dr. Pawan Saini : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Ladwa as Tehsil ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां, श्रीमानजी, उप-तहसील लाडवा को तहसील का दर्जा देने बारे प्रस्ताव कृषि मंत्री, श्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को, प्रस्तुत किया हुआ है और श्री विक्रम सिंह यादव (सहकारिता मंत्री), श्री कृष्ण कुमार, (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री), और श्री करण देव कम्बोज (खाद्य एवं आपूर्ति और परिवहन मंत्री) भी कमेटी के सदस्य हैं। इस बारे निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

Application for Tubewell Connections

338. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to State—

- (a) the number, names and address of the persons who have applied for the tubewell connections in the Palwal constituency;
- (b) the number of persons mentioned at "a" above who have been given tubewell connections in the Palwal constituency; and
- (c) the time by which the remaining application are likely to be disposed off ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) और (ख) श्रीमान, पलवल निर्वाचन क्षेत्र में 01-01-2012 से अब तक 705 व्यक्तियों ने नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 452 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। आवेदकों और उनके पते की सूची लम्बी है। ऊपर निर्दिष्ट को एकत्र करने में लिप्त प्रयास प्रयोजन को हासिल करने के इरादे से असंगत है।

(ग) नीति अनुसार उचित समय पर शेष कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

To Provide Special Bus Service

301. Sh. Rajdeep Singh Phogat : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide special bus service for students from villages to their educational Institutions; if so, the time by which it is likely to be provided ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, 44 मार्गों पर जो गांव/शहर को शैक्षिक संस्थानों से जोड़ते हैं, पर छात्रों के लिए समर्पित बस सेवा उपलब्ध करवा दी गई है। छात्रों के लिए समर्पित बस सेवा उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बरसी पर श्रद्धांजलि देना

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज 28 मार्च है और आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी की पुण्यतिथि है इसलिए मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।

सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने का विषय उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें कहा था कि शून्यकाल के समय आप अपनी बात कह लेना। अब शून्यकाल शुरू हो चुका है इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, इनसे पहले यह पूछ लिया जाये कि क्या ये हाजिरी लगा कर आये हैं या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि आप इन सबको बुला लीजिए कहीं इनको यह न लगे कि हम इनकी पैरवी नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति फाड़ना आप गलत मानते हैं या नहीं ? आप इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जब तक आप लोग हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगा कर नहीं आयेगे तब तक आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, हाऊस ने मुझे कमेटीज बनाने का अधिकार पहले ही दे दिया है। आपको पता नहीं है क्योंकि आप ज्यादातर समय सदन से बाहर रहे हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, करण दलाल जी आज कानून की बहुत बड़ी दुहाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सारे रूलज पढ़ रखे हैं, तो क्या इन्होंने रूल 17

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

नहीं पढ़ा जिसके तहत राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई विघ्न नहीं डाला जा सकता। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या इन्होंने वह रूल नहीं पढ़ रखा और अगर इन्होंने वह रूल नहीं पढ़ रखा तो पहले इनको वह रूल पढ़ाया जाए। उस रूल में क्लीयर कट लिखा हुआ है कि राज्यपाल अभिभाषण से पहले और उसके बाद कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने राज्यपाल अभिभाषण से पहले भी और बाद में भी विरोध किया है। पहले इन्होंने बाई काट किया और बाद में राज्यपाल अभिभाषण की प्रतियां फाड़ी। उसमें पहले वाले विरोध की इनको यह सजा दी गई कि इनको नेम किया गया और दूसरा जो विरोध किया उसके लिए यह सजा दी गई कि इनको 6 महीने के लिए सदन से और एक साल के लिए कमेटियों से बाहर निकाला गया। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ होने के बावजूद भी सभी चीजों को भुलाकर यह कहा है कि जिनको निलंबित किया है वह हाऊस में आ जाएं। इसके बाद भी यह इतने दिनों से हाऊस में क्यों नहीं आए ? आज हरियाणा के लोग इस बात को जानना चाहते हैं और मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि यह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह सारा इनका रचा रचाया कार्यक्रम था। सब जानते थे कि इस सत्र में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, एक तो एस.वाई.एल. कैनाल के विषय पर और दूसरा आरक्षण के विषय पर और दोनों मुद्दों में कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Let me speak. Karan Dalal Ji, I never interrupted you. (शोर एवं व्यवधान) एस.वाई.एल. में पंजाब और हरियाणा के जो समझौते हुए हुए थे उनको जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और सरदार अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधान सभा में बिल पारित करके उन समझौतों को रद्द कर दिया था जिसको हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हरियाणा में जो जाट आरक्षण हुआ उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर (शोर एवं व्यवधान) आप सुनने की हिम्मत रखो। आज कांग्रेस पार्टी के आप पांच सदस्यों को हाऊस में आने की इजाजत मिली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप जब तक हाजिरी नहीं लगाएंगे तब तक हाऊस में नहीं बैठ सकते क्योंकि एक मੈबर को हाऊस में आने के लिए हाजिरी तो लगानी जरूरी है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं रूलज की बात ही कर रहा हूँ लेकिन ये सुनने की हिम्मत रखें तब ना। ये लोग इतने दिन धूप में बैठे रहे तब भी इनकी बैट्रियां ठीक नहीं हुईं। स्पीकर सर, जो दूसरा मुद्दा था वह रिजर्वेशन का मुद्दा था। उसमें भी जो पूर्व मुख्यमंत्री के पोलिटिकल एडवाइजर की ऑडियो वायरल हुई है उससे बहुत सारी ऊंगलियां कांग्रेस पार्टी की ओर उठी थी। उससे बचने के लिए इनका यह प्लान था कि इन्होंने हाऊस से बाहर जाना है जबकि इनको कानून के बारे में पता था। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में दो अलग-अलग विषय यानी परम्पराओं और नियमों पर दो बातें एक साथ कही गई हैं। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जोकि नियमों में बराबर लिखी हुई होती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जोकि लिखी हुई नहीं होती हैं। परन्तु परंपरायें ऐसी चीजें होती हैं जो नियमों से अलग होती हैं और नियमों से भी ऊपर मानी

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री मनोहर लाल]

जाती हैं। हम सब यहां सदन में मिलकर हरियाणा की विधान सभा की कार्यवाही चलाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर से हम किसी न किसी प्रकार की नई परम्परायें भी अवश्य डाल सकते हैं। परम्परायें ये भी डाली जा सकती हैं कि सदन की टेबल पर रखे हुए कागज पत्र अथवा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अथवा बजट जैसा डॉक्यूमेंट या फिर सदन का कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट है, उसके साथ मजाक उड़ाते हुए उसको सदन में लहराया जाये, उसको फाड़ा जाये या कोई और कार्यवाही की जाये। एक अच्छी परंपरा यह भी डाली जा सकती है कि हम किसी भी प्रकार के विषय के प्रति अनास्था या अपमान नहीं करेंगे और एक अच्छे ढंग से बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को रखेंगे। हमने सदन में सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए निश्चित समयावधि की समय-सीमा को भी तोड़ रखा है ताकि हर सदस्य सदन में अपनी पूरी बात रख सके। सदन में किसी विषय पर बातचीत व आपसी विचार-विमर्श में चाहे कितना ही समय क्यों न लगे, हम उसके लिए सदन का समय बढ़ाने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं लेकिन यदि पूर्व में की गई उद्दण्डता की परम्पराओं को वैध मानते हुए हम आज भी सदन में उद्दण्डता उत्पन्न करने की कार्यवाही को सही ठहराते हैं तथा इस संबंध में दूसरे प्रदेश की विधान सभाओं का उदाहरण देते हुए अपनी बात को जायज ठहराने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्व में ऐसा होता रहा है या अन्य प्रदेशों की विधान सभाओं में ऐसा होता रहा है, यह बात कदापि उचित नहीं है। देश की हर विधानसभा में तथा लोकसभा में अलग-अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। हम जैसी परम्परायें बनाना चाहते हैं, वैसी ही परम्परायें बनाई जा सकती हैं। नियमों में से नियम भी निकाले जा सकते हैं तथा नए नियम भी बनाये जा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई सदस्य सदन में इस प्रकार की कार्यवाही करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी क्योंकि आखिरकार सदन की एक मर्यादा होती है तथा सदन के निर्णय का भी अपना एक अलग स्थान होता है। अभी पिछले दिनों इस महान सदन ने कुछ कांग्रेसी सदस्यों के गलत आचरण के लिए उनको सालभर के लिए विधान सभा की कमेटियों में भाग लेने से रोकने तथा छह महीने के लिए विधान सभा सत्र में भाग लेने की पाबंदी लगाने का एक निर्णय लिया था। उसी परिपेक्ष्य में आज सदन में नियम पूछे जा रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही के लिए नियमों का होना या न होना एक अलग बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि नियम नहीं भी होगा तो भी नई परम्परायें तो सदन के द्वारा डाली ही जा सकती हैं। एक छोटी सी बात के लिए सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति को फाड़ देना क्या ठीक बात है। इसका उत्तर दो बातों में अर्थात् “ठीक है” या “गलत है” के रूप में दिया जा सकता है। अगर उत्तर “ठीक है” के रूप में आता है तो इसका सीधा साधा मतलब होगा कि जिस कार्य के लिए “ठीक है” के रूप में उत्तर आया है, उस कार्य को करने के लिए सदन के हर सदस्य को छूट मिलेगी अर्थात् सदन के हर सदस्य को सदन में इस प्रकार की अवमानना व उपहास के सभी कार्य करने की छूट रहेगी। अगर उत्तर “गलत है” के रूप में आता है तो फिर वह चीज सदन के प्रत्येक सदस्य चाहे वह पक्ष या विपक्ष या इस दल या उस दल का ही क्यों न हो सब पर बराबर रूप से लागू होगी। अतः मैं समझता हूँ कि हमें सदन में किसी भी प्रकार के गलत आचरण से बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है कि कोई भी सदस्य सदन में रखे गये डॉक्यूमेंट्स उदाहरणतः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति, बजट की प्रति या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स की प्रति को फाड़कर उसका उपहास करते हुए सदन में अनिश्चितता का माहौल पैदा

करने की कोशिश कर सकता है। हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम सदन में ऐसी परम्परायें बनाना चाहते हैं कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए सदन में रखे गये डॉक्यूमेंट्स को फाड़कर उपहास उत्पन्न किया जाये। विरोध प्रदर्शन तो वाक-आउट के माध्यम से भी किया जा सकता है। विरोध प्रदर्शन के लिए वेल में आने की कोई जरूरत नहीं होती है। वेल में आना भी बहुत अच्छी परम्परा नहीं है। इसलिए इस तरह की परम्पराओं को डालना या नहीं डालना इसका उत्तर केवल “हां” तथा “नहीं” के रूप में दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स फाड़ना गलत था तो इसके लिए नियमों का हवाला न देकर साफ तौर से कह देना चाहिए कि वह कार्य गलत किया गया था। सदन के नियम सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्यों के लिए बराबर होते हैं। यदि इस तरह के कार्य को जायज ठहराया जाता है तो स्वाभाविक है कि उस कार्य के लिए पक्ष और विपक्ष को बराबर की छूट मिलेगी। यदि हम गलत कार्य को गलत और ठीक कार्य को ठीक की संज्ञा देंगे तो निश्चित तौर से हम सदन की परम्पराओं को आदर्श परम्परायें बना पायेंगे। सदन में किसी छोटी सी बात के लिए लम्बा विवाद खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करता हूँ कि उनको इस तरह की गलत परम्पराओं को छोड़ देना चाहिए और जो परम्परायें गलत होती हैं उनको किसी भी रूप में सदन में नहीं डाला जाना चाहिए। इस तरह से एक मिनट में सभी बातों का उत्तर मिल जायेगा। नियम हैं या नहीं हैं इस बात को दरकिनार करते हुए तथा नई परम्परायें बनाते हुए कांग्रेस के उन तीनों सदस्यों को जिनके खिलाफ सदन में साल भर के लिए विधान सभा की कमेटियों को अटैंड करने तथा छह महीने तक विधान सभा सत्र अटैंड करने की पाबंदी लगाई गई है, उन्हें फिर से सदन में बुलाया जा सकता है और हम भी चाहते हैं कि अच्छी परम्परायें विकसित करते हुए इन तीनों सदस्यों को फिर से सदन में बुलाया जाये। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो कार्य कांग्रेस के मित्रों ने किया था मैं समझता हूँ कि उस कृत्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, जब करण सिंह दलाल बोलने के लिए खड़े हुए थे तो मैंने एक बात कही थी कि अभी इन लोगों ने हाजिरी नहीं लगाई है। अतः इनको सदन में बोलने का अधिकार है या नहीं है? हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम से संबंधित नियमावली के पृष्ठ 5, अध्याय 2 का नियम 6 पृष्ठ करता है कि—

"सदस्यों के लिए एक उपस्थित रजिस्टर होगा जिस पर प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी उपस्थिति के प्रत्येक दिन सचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

अध्यक्ष महोदय, इस नियम के आधार पर सदन में प्रवेश के लिए सबसे पहले हाजिरी लगाना जरूरी होता है। हाजिरी लगाना सदन के नियमों, परम्पराओं तथा मर्यादाओं को ही परिलक्षित करता है। करण सिंह दलाल जी इस सदन के बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं। इनका एक बहुत लम्बा अनुभव रहा है। (शोर एवं व्यवधान) कई बार वे इस सदन के सदस्य चुनकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान) समय-समय पर बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर भी ये आसीन रह चुके हैं। इसलिए दूसरों को नियम कायदे पढ़ाने की बजाय इनको उनका पालन भी करना आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम से संबंधित नियमावली के नियम 6 को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे खड़े होकर कितना भी बोल लें, जब तक आप हाजिरी नहीं लगायेंगे, तब तक आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आयेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपको सारी बातों की जानकारी है। (शोर एवं व्यवधान)

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बहुत कीमती है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में गंभीर चर्चा चल रही है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के तहत ही आपने कार्रवाई की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जिस मानीनय सदस्य की ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर पर हाजिरी न लगी हो, वो हाउस में नहीं बैठ सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्हें सदन से बाहर भेजिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिये। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से तो हाउस में कोई भी आ सकता है। (शोर एवं व्यवधान) **Speaker Sir, this is a crime again. This is again an offence.** अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिए। बिना अटेंडेंस के हाउस में कोई भी नहीं आ सकता है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार का ड्रामा कांग्रेस पार्टी के सदस्य हाउस में कर रहे हैं, वो सड़कों पर जाकर करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-6 के अनुसार ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर पर साईन किए बिना हाउस में नहीं आ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यों ने सदन की मर्यादा को भंग किया है। (शोर एवं व्यवधान) **They are intruders. They cannot participate in the proceedings of the House if they have not signed in the attendance register. (Noise and interruption) This is an offence. They are intruders. (Noise and interruption) Speaker Sir, nobody can enter in this House like this. (Noise and interruption).**

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि आप हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-6 के अनुसार ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर पर हाजिरी लगाना आवश्यक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता भुक्कल जी हमें कहने के लिए सलीका ना सिखाएं। हमें बात करने का तरीका आता है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, they are intruders. They cannot enter in the House, if they have not marked attendance in the attendance register.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, आप ऑफिशियल अटेंडेंस रजिस्टर चैक करवा लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, पहले आप हाजिरी लगाकर आएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हम सभी सदस्य चुनकर आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहे वो करेंगे और हाउस की मर्यादा को भंग करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप पूरी मर्यादा और गरिमा से हाउस को चला रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, प्लीज आप बैठ जाइये। आप प्रैस को सम्बोधित कर रहे हैं या मुझे कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, there is Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislate Assembly and according to its Rule-6:-

"There shall be an Attendance Register for the Members which shall be signed by every Member on each day of his attendance in the presence of an official deputed by the Secretary for the purpose."

अध्यक्ष महोदय, बात भावना की होती है। बात एक-दूसरे के आदर करने की होती है। अध्यक्ष महोदय, यह मामूली सदन नहीं है। यह हरियाणा का महान सदन है। यह सदन हरियाणा की जनता का प्रतिबिम्ब है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन हरियाणा की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का बहुत बड़ा मंच है। आज सदन में कितने पूर्व मंत्री व विधायक सदन की कार्यवाही को भी देख रहे हैं। हाउस कायदे कानून से चलता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की नीयत हमेशा से सदन के विरुद्ध रही है। मैं सदन के नेता को बार-बार बधाई देता हूँ। प्रतिपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी आई.एन.एल.डी. ने गर्वनर एड्रेस पर हर बात को स्वीकार किया। आई.एन.एल.डी. के सदस्य सदन में बिल्कुल ज्यों के त्यों बने रहे। स्पीकर सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का मकसद कुछ और था। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आई.एन.एल.डी. के कार्यकर्ताओं ने क्या किया है। जो बात इन्होंने आधी कहकर छोड़ी है ये उसे पूरा करें।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, आई.एन.एल.डी. के नेता श्री अभय सिंह चौटाला ने राज्यपाल से सदन में वह कहलवा दिया जो हमारे फेवर में गया है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का इशारा कहीं और था। अगर यही बात थी ... (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ यह बात कही है कि आई.एन.एल.डी. के माननीय विधायक पूरा समय सदन के अंदर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला और माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का निलम्बन रद्द करना चाहिए। स्वयं आपने और सदन के नेता ने 18 तारीख को सुओ-मोटो निलम्बन रद्द कर दिया। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बार-बार बुलाते रहे परंतु उनको सदन से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी रामलीला तो बाहर चल रही थी। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, उनकी बाहर रामलीला नहीं बल्कि रावण लीला चल रही थी।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, आज भी हम माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश द्वारा चलाई गई बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उन तीनों सदस्यों के निष्कासन के लिए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उस बात का ... (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मंत्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को जवाब क्यों दे रहे हैं। (विघ्न) जब तक इन सदस्यों को सदन से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक यह सदन आगे नहीं बढ़ेगा। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, ये सदस्य बिना हाजिरी लगाए ही आए हैं यह सदन की अवमानना है। ये सदस्य सदन में आना ही नहीं चाहते हैं। ये प्रेस के लिए ... (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर ये सदस्य यहां कोई क्राइम करके चले जाएं तो ये कहेंगे कि हम तो सदन में उपस्थित ही नहीं थे। बगैर हाजिरी लगाए इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। (विघ्न) Speaker Sir, they cannot enter in the House without marking attendance in the attendance register. They can not participate in the proceedings of the House like this. (Noise and interruption) कल कोई गैर-विधायक भी अंदर आ जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, कोई भी सदस्य बिना उपस्थिति दर्ज कराए सदन में अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, ये सदस्य सदन में नहीं बोल सकते। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, ये सदस्य मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब नहीं दे सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, हम इन सदस्यों का एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। No, No. They cannot speak. Speaker Sir, they cannot disturb the House like this. We will

not listen them. (interruption). No, No. They have to leave the House. They can not speak. They have to leave the House. (Interruption) Speaker Sir, they are disturbing the House. (Interruption)

श्री करण सिंह दलाल : ***

Shri Anil Vij : Speaker Sir, this is our privilege. (interruption) कोई भी हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाए बगैर इस हाउस में नहीं आ सकता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब तक आप हाजिरी नहीं लगाएंगे तब तक आप हाउस में संवाद नहीं कर सकते। आप पहले रजिस्टर में हाजिरी लगाइये फिर हाउस में आइये। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रजिस्टर में बिना हाजिरी लगाए हाउस में आये हैं । यह एक क्राइम है ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, अब आपने एक फैसला सुनाया है कि अगर ये सदस्य सदन में आना चाहते हैं तो हाजिरी लगाकर आ जाएं और फिर उत्तर दें दें, तो इनको आपका आदेश मानना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, यह आपकी और सदन के नेता की अवमानना है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, जब तक ये सदस्य हाजिरी नहीं लगाएंगे तब तक इस सदन में साँस भी नहीं ले सकते। अध्यक्ष जी, आप इन्हें हाउस से बाहर निकालने का आदेश कीजिए। इस हाउस में आने के लिए लोगों को जिंदगियां लगानी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष : चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य चेयर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं इसलिए सार्जेंट एट आर्म्ज अब इन सदस्यों को वॉच एंड वार्ड स्टाफ की सहायता से सदन से बाहर ले जाएं।

(इस समय सार्जेंट एट आर्म्ज वॉच एंड वार्ड स्टाफ की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्यों को सदन से बाहर ले गए।)

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण संबंधी वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस इस महान सदन में अपने आचरण और अपने व्यवहार से इस हरियाणा प्रदेश और इस देश की जनता के सामने निर्वस्त्र हो गई है। उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। आज कांग्रेस के लोग सदन में आए। माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला और भाई जय प्रकाश जी के कहने पर उनका निलम्बन 18 मार्च को रद्द कर दिया था। आज सदन के नेता उन तीन निलम्बित विधायकों की भी बात कह रहे थे लेकिन हमारे कांग्रेस के लोगों की नियत यह थी कि हम सदन की एक बार और अवमानना करें और इन्होंने एक बार फिर सदन की अवमानना की। इन्होंने

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री राम बिलास शर्मा]

अपने आचरण से सदन की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये मर्यादाएं हमने नहीं बनाई बल्कि वर्षों से ये मर्यादाएं चली आ रही हैं। ये नियमावली की धारा 6 हमने नहीं बनाई है। एक आदमी के अपराध की सजा आई.पी.सी. के अंतर्गत तय होती है और सी.आर.पी.सी. के तहत अपराध की सजा माननीय न्यायधीश निर्धारित करता है। आदमी की जो इंटेन्शन होती है उसके आधार पर ही उसकी सजा का निर्धारण होता है। इन विधायकों का पहले क्या व्यवहार था, इस पर सदन के नेता ने चर्चा की। सदन के नेता ने अपनी चर्चा इस बात से शुरू की कि 18 मार्च को 11 विधायकों का निलम्बन रद्द कर दिया और आज उन 3 विधायकों का भी निलम्बन रद्द कर दें परंतु इन्होंने मन बनाकर योजना बनाकर सदन की अवमानना की। **This is their second attempt of misconduct in the House as MLAs.** दीदा दानिस्तां इन्होंने यह जानबूझकर किया है, इसलिए इनकी निंदा होनी चाहिए और इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए।

विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्तमंत्री कैप्टन अभिमुन्य जी के खिलाफ आज ही प्रिविलेज मोशन दिया है। उन्होंने जीद में कुछ और बात कही है और सदन में कुछ और बात कही है। कृपया आप मुझे उसका फेट बता दें ?

श्री अध्यक्ष : आपने उसके साथ डाक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं लगाये थे, इसलिए वह रिजेक्ट कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, there is no such document in your office and he should not be allowed to speak.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

हाल ही में तेज हवाओं तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने से संबंधित।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे श्री बलवान सिंह दोलतपुरिया, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों (सर्वश्री रणबीर सिंह गंगवा, जसविन्द्र सिंह संधू तथा बलकौर सिंह) द्वारा प्रदेश में ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से किसानों की फसलों को नुकसान तथा किसानों को मुआवजा देने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-7 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20-श्रीमती किरण चौधरी, विधायिका द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24- श्री परमिन्दर सिंह दुल, विधायक तथा अन्य तीन विधायकों (सर्वश्री ओम प्रकाश बड़वा, राजदीप फौगाट तथा अनूप धानक) द्वारा, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 श्री राम चन्द कम्बोज, विधायक द्वारा, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 श्री जय प्रकाश, विधायक द्वारा, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 36 श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों (सर्वश्री ओम प्रकाश बड़वा, राजदीप फौगाट तथा बलवान सिंह दोलतपुरिया) द्वारा, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 श्री पिरथी सिंह, विधायक द्वारा दी गई हैं। मैंने इन सभी ध्यानाकर्षण सूचनाओं संख्या 20, 24, 27, 29, 36 तथा 39 को समान विषय की होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ जोड़ दिया है। उपरोक्त सभी विधायक इस पर अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें।
श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तथा तीन अन्य विधायकगणों ने कहा है कि मार्च, 2016 के पहले सप्ताह में प्रदेश के जिला हिसार, सिरसा, अम्बाला, करनाल तथा फतेहाबाद आदि में वर्षा व ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि व तेज आंधी से गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई जिससे फसल की पैदावार में कमी होना निश्चित है। गेहूं और सरसों की फसल के साथ-साथ सब्जियों की फसल को भारी क्षति पहुंची है। किसानों में इस नुकसान से भारी रोष है। सरकार किसानों की खड़ी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए विभिन्न जिलों में तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान करे। विधायकगणों ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह किया है कि सरकार इस बारे सदन में तुरंत वक्तव्य दें।

Calling Attention Notice No. 20

Bracketed With Calling Attention Notice No. 7

Smt. Kiran Choudhry, MLA wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that recent rains, accompanied by hailstones and strong winds, damaging the crops, including wheat, mustard, gram and tomato, in several Districts of the State, especially in Tosham, Bhiwani, Badhra, Dadri and loharu. The extent and spread of the damage caused to the crops has put the farmers to great loses. It will cause more than 50 percent loss to the yield. It has also increased the chances of attack of yellow rust on wheat, stalk rot on mustard, and pod borer on gram crops due to adverse weather conditions. The farmers are worried over rain and hailstorm prediction for the next few days. The worst affected villages of Tosham are Devrala, Hasan, Sahlewala, Sandhwa Alampur and Rodhan. In Badhra, Dwarka, Sham Kalan, Bhariwas, Umarawas, Kaksroli, Jhoju Kalan, Gudana, Rudorol and Mehda are the worst affected, in Loharu, Sher, Baralu, Lajpur Dhani, Kharkari, Digawa, Hariyawaas, Sidahnwa, Kasnu, Damkora and Umarat have been severely hit by strong winds and rain. In Bhiwani, Umarat and other nearby villages. These include Dirhi Kalan, Tuwakam Barsana, Khapaar, Hatelan Kalan, Hatelan Khurd, Charkhi, Rawaldhi, Mirch, Kamodh, Mishri, Jaishree, Shauwas and Dikhada.

She calls upon the Hon'ble members of the House to discuss this issue of urgent public importance and impress upon the State Government which keeps swearing by the farmers, to swing into action and order special girdawari to compensation the farmers for the damage done to the crops.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

श्री परमेन्द्र सिंह दुल, विधायक, श्री ओम प्रकाश, विधायक, श्री राजदीप, विधायक व श्री अनुप कुमार, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लगातार तीसरी बार फसल खराब होने पर अभी तक किसानों को मुआवजा न मिल पाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। जिस कारण किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने किसानों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए है। अतः सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

श्री राम चंद कम्बोज, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि मार्च, 2016 की शुरुआत में ही सिरसा जिले के रानिया हल्के में वर्षा व ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से किसानों की फसल नष्ट हो रही है और बारिश अभी भी चल रही है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि व तेज आंधी से गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर विछ गई है जिससे फसल की पैदावार में कमी आएगी। इसके साथ-साथ सब्जियों की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तुरन्त स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान करे। अतः सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

श्री जय प्रकाश, विधायक, इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में बेमौसमी बरसात, तूफान व ओलावृष्टि के कारण किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बरबाद हुई। क्या हरियाणा सरकार स्पेशल गिरदावरी करा कर किसानों को उपरोक्त फसलों का मुआवजा देने का कष्ट करेगी।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 36

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

We, the undersigned members call the attention of the Government to a matter of urgent public importance. The issue is of great importance of the farmers of Haryana. In the recent past the *Kharif* crops of cotton, gawar, bajra etc. have been badly damaged in the state due to the attack of White Fly and other Virus. On account of this, there was huge monetary loss to the farmers of various districts. The State Government has announced the compensation to the loss of their crops very late. In that announcement too there is great discrepancy in adopting the criteria to pay compensation. As announced by the Government, the area of 5 acres has been taken as a unit. While in Haryana large number of farmers are there who owned more than 5 acres of land and also their crops of more than 5 acres have been damaged. Due to the anti farmers criteria adopted by the Government and despite compensation announced for their damaged crops, large number of farmers have been deprived of their right to compensation. Besides this, the Government has not announced any compensation to the small farmers whose crops of gawar, bajra etc. had been damaged. In the Rabi crop of 2015, harvested wheat lying in the fields of farmers of the state, due to hailstorms and untimely rains resulting in huge loss to the farmers for which no/inadequate compensation was paid because of manipulated mutation by the revenue staff of concerned areas.

In view of above, there is great frustration and resentment among the farmers of Haryana for not making compensation of their damaged crops by the state Government.

The Government to make a statement on the floor of House.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

हम इस महान सदन का ध्यान लोकहित के एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से नरवाना विधान सभा क्षेत्र के गांव कालवन, धमतान, रसीदां, पिपलथा, ढाबीटेक सिंह नारायणगढ़, रेवर, पदार्थखेडा, हंसडहर, दडौली, धनोरी आदि में किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि व तेज आंधी से गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई है जिससे फसल की पैदावार में कमी होना निश्चित है। गेहूं और सरसों की फसल के साथ-साथ सब्जियों की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान करें। अतः सरकार इस बारे सदन में तुरंत वक्तव्य दें।

वक्तव्य

वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

श्री अध्यक्ष : अब संबंधित मंत्री उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जबाव देंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, यह सत्य है कि मास मार्च, 2016 के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ, बारिश तथा ओलावृष्टि हुई। तदनुसार सभी उपायुक्तों से फसलों को हुये नुकसान बारे सूचना मांगी गई। उपायुक्त अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, महेन्द्रगढ़, गुडगांव, पानीपत और करनाल ने सूचित किया कि तेज हवा के साथ, बारिश तथा ओलावृष्टि उनके जिलों में फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। शेष 10 जिलों के उपायुक्तों भिवानी, जीन्द, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व मेवात ने लगभग 250 गांवों में गेहूं तथा सरसों की फसल में हुए कुछ नुकसान बारे रिपोर्ट भेजी है। इसलिए सरकार ने उन गांवों में रबी फसल की विशेष गिरदावरी बारे आदेश दिये हैं जिनमें सम्बन्धित उपायुक्तों ने नुकसान बारे रिपोर्ट की है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति अति सजग है और विशेष गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त बाद फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा वितरण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

यहां यह भी ध्यान में लाया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि तथा कीट हमला (पैस्ट अटैक) के कारण फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को ₹2024.66 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 2013-14 व 2014-15 के ₹268.93 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान भी वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय साथियों ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बात उठाई है कि इस मार्च महीने में ओलावृष्टि से प्राकृतिक मार किसानों के ऊपर पड़ी है। ऐसे ही तेज़ आंधियों के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। यह मार किसान की पकी हुई फसल पर पड़ी है। इस समय किसान इस इंतज़ार में होता है कि कब उसकी फसल पककर तैयार होगी और कब मण्डियों में जायेगी, जिससे होने वाली आमदनी से उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां उसके द्वारा निभाई जायेंगी। ऐसे समय में इस मार्च के महीने में ओलावृष्टि और तेज़ आंधी के

[कैप्टन अभिमन्यू]

कारण उसकी फसल पर प्राकृतिक मार पड़ी है। सभी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इसकी तरफ दिलाया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों की चिंता से अपने आपको जोड़ते हुए सरकार की तरफ से उनको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़ साल से जब-जब भी किसानों के ऊपर कोई भी आपदा, विपदा या विपत्ति आई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने हरियाणा के इतिहास का सर्वाधिक मुआवज़ा देने का काम किया है और ऐसा करके किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से मिले जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। हमारी किसान हितैषी सरकार ने किसानों के जख्मों पर यह मरहम इस कद्र और इस मात्रा में लगाया है जिसका दूसरा कोई उदाहरण पूरे हरियाणा प्रदेश के इतिहास में नहीं मिलता है। इसी संवेदना के साथ जब हमने यह देखा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान का बार-बार नुकसान होता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह निर्देश दिये कि जो सामान्य गिरदावरी है वह मार्च और सितम्बर के महीने में तो होती है, लेकिन इसके अलावा विशेष गिरदावरी की प्रक्रिया भी जिला स्तर पर प्रदेश की सरकार की तरफ से समय-समय पर आदेश देने की आवश्यकता होने की बजाये जिला उपायुक्तों को ही यह अधिकार दे दिया कि वे इस प्रकार की गिरदावरी अपने-अपने जिला के स्तर पर करें। यह इसलिए किया गया क्योंकि जो ओलावृष्टि, तेज़ आंधी और तेज़ बारिश की मार होती है वह कहीं-कहीं लोकलाईज़ होती है और उसका प्रभाव विशेष रूप से कुछ गांवों पर ही होता है। इसलिए हमारी सरकार ने जिला उपायुक्त को ये आदेश देकर आवश्यक अधिकार दिये हैं कि आप इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर विशेष गिरदावरी करने का काम करें और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को भेजें ताकि सही समय पर किसानों को सही और उचित मुआवज़े का वितरण हो सके। इसके अतिरिक्त पिछले डेढ़ साल के दौरान हमारे अनुभव में यह आया कि पूरी ईमानदारी के साथ किसान के हित में काम करने के बावजूद भी कहीं न कहीं से छोटी-छोटी शिकायतें गिरदावरी और मुआवज़ा वितरण को लेकर सरकार के पास आईं। इस प्रकार का जो भी मामला सरकार के ध्यान में लाया गया, हमारी सरकार ने कभी भी उससे आंख बंद करके अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं की अपितु किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से आये किसी भी सुझाव और बताई गई किसी भी समस्या को, उन सुझावों को स्वीकार करके सभी समस्याओं का निराकरण करने की हर सम्भव कोशिश की। इसी के दृष्टिगत इस बार हमने ये निर्देश दिये हैं कि यह स्पेशल गिरदावरी की जाये। इस बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना चाहूंगा। इस बार जो तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से जिन गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है, उनमें भिवानी जिले के 69 गांवों में 4, 5, 11 और 14 मार्च में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ। इसी प्रकार से जींद जिले के 10 गांवों में 12 मार्च को हुई तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ। ऐसे ही कैथल जिले के दो गांवों में 13 और 14 मार्च को हुई तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, झज्जर जिले के 37 गांवों में 13 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, सिरसा जिले के 8 गांवों में 12 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, रोहतक जिला में 19 गांवों में 12 और 13 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, हिसार

जिले में 35 गांवों में 11 और 12 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, सोनीपत जिले के 4 गांवों में 12 और 13 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ और ऐसे ही फतेहाबाद के 77 गांवों में 5, 11 और 12 मार्च को तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कुल मिलाकर पूरे 261 गांवों में तेज़ बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ और उनके ऊपर एक प्राकृतिक मार पड़ी है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि पहले भी जब-जब ज़रूरत पड़ी तो हमने किसानों के साथ पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए खड़े होने का कार्य किया है। अब भी पहले की तरह हम सभी माननीय सदस्यों के सभी सुझावों का सम्मान करते हुए अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस बार भी हम पूरी त्वरित कार्यवाही के साथ-साथ किसान के साथ खड़ा होकर उसके नुकसान की ज्यादा से ज्यादा भरपाई करने का काम करेंगे।

संसद के सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, इस समय हमारी पार्टी के अम्बाला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद माननीय श्री रतन लाल जी कटारिया अपनी धर्मपत्नी के साथ स्पीकर गैलरी में इस महान सदन की कार्यवाही को देखने के लिए विराजमान हैं। मैं पूरे सदन की तरफ उनका यहां आने पर अभिनन्दन करता हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री रणवीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के किसानों की पिछली कपास की फसल भी सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण बर्बाद हो गई थी। इस समय भी उसकी गेहूं और सरसों की फसल बेमौसमी तेज़ बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनकी सरसों की फसल कट चुकी थी। जब मैं अपने हल्के के चिडौद गांव मे गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक एकड़ में सरसों की कटी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हिसार जिले के जो 35 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित बताये गये हैं क्या वे उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ताकि हमें भी उनका पता चल सके और हम देख सकें ताकि कोई गांव रह न जाये। पिछली बार जब कपास की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ था तो किसानों ने अपने खेतों की जुताई भी कर दी थी उसके बाद तक गिरदावरी हुई थी। इस बार गिरदावरी में देरी न हो और किसानों को कितना मुआवजा दिया जायेगा क्या मंत्री जी इस बारे में भी हाउस को बताने की कृपा करेंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़, पानीपत और करनाल जिलों के उपायुक्तों ने सूचित किया है कि उनके जिलों में ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर आसीन हुईं।) उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन ओलावृष्टि हुई उस दिन मैं अपने फार्म हाउस पर गया था और मैंने देखा है कि गेहूं की हरी बालियां जमीन पर पड़ी हुई थी। नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

सकता है कि जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं उस समय जितने गेहूँ खेत में पड़े दिखाई देते हैं उससे भी 4-5 गुणा अधिक हरी बालियां खेत में बिखरी हुई थी और उनके बीच में दाना था। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ है। पूरी की पूरी गेहूँ की फसल बिछी हुई थी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी दोबारा सर्वे करवाया जाये ताकि बाद में यह न कहना पड़े कि अब तो गेहूँ की फसल कट चुकी है।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, जसविन्द्र जी कहाँ की बात कर रहे हैं ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो कुरुक्षेत्र में अपने गांव गुमथला की बात कर रहा हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य उन 5-7 गांवों के नाम लिख कर दे दें हम उनकी दोबारा से गिरदावरी करवा लेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर आपने चर्चा का समय दिया और माननीय मंत्री जी ने अपनी तरफ से उत्तर दिया कि इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जा रही है। इससे पहले जो सफेद मक्खी के प्रकोप से कपास, ग्वार और बाजरे की फसलें खराब हुई थी, उस समय भी सदन में सदन के नेता की तरफ से विश्वास दिलवाया गया था कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करवायेंगे तथा जहाँ-जहाँ जितना-जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदया, कपास की खेती में बहुत से ऐसे किसान हैं जो जमीन ठेके पर ले कर खेती का काम करते हैं और बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो जमीन ठेके पर दे कर कोई दूसरा काम करते हैं। आपने उसमें एक सीलिंग लगा दी कि 5 एकड़ से ज्यादा कपास की फसल का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। जिसके पास 18-20 एकड़ में कपास की फसल थी और वह पूरी की पूरी फसल सफेद मक्खी के कारण तबाह हो गई थी उनका क्या होगा। आपने 5 एकड़ की सीलिंग केन्द्र सरकार के नियमों का हवाला दे कर लगाई थी। उपाध्यक्ष महोदया, नुकसान हरियाणा प्रदेश में हुआ है, अगर केन्द्र का कोई ऐसा निर्णय है तो फिर उस किसान की भरपाई के लिए सरकार को अपने खजाने से पैसा देना चाहिए। यह किसान की कोई पहली फसल बर्बाद नहीं हुई है बल्कि तीसरी फसल खराब हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसल खराब हुई थी। उसके बाद सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल खराब हुई थी तथा इस बार अभी पिछले दिनों में मार्च के महीने में ही कई जिलों में अलग-अलग जगह पर ओलावृष्टि हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सिरसा जिले की आपके पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 8 गांवों में नुकसान बताया है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरी कॉन्स्टीच्युएंसी के 14 ऐसे गांव हैं जिसमें ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। उसके साथ-साथ डबवाली विधान सभा क्षेत्र में भी जहां पर मेरा अपना गांव भी है और उसके आस-पास के गांवों में भी इस ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि पूरी फसल नष्ट हो गई लेकिन ओलावृष्टि में पार्टिकुलर कुछ एरिया में कई-कई किलोमीटर तक नुकसान हो जाता है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर अभिभाषण की रिपोर्ट के दौरान कहा था कि हमने पहले एक हजार

करोड़ रूपया मुआवजे के रूप में दिया और अब फिर इस बार की फसल के नुकसान के लिए भी हम मुआवजा देने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आपने यह भी कह दिया था कि यह मुआवजा देने के बाद हम एक भी पैसा मुआवजे का नहीं देंगे, जिसको लेकर लोगों में चिन्ता बनी हुई है कि क्या मुआवजा न देने की यह कैप इसी तरह से लगी रहेगी या उसको हटाया जाएगा ?

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह नहीं कहा था कि मुआवजा एक बार ही दिया जाएगा। जो इस बार की फसल का नुकसान हुआ है उसका जो कम्पनसेशन बनेगा वह हम देंगे। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम है वह सरकार का अपना प्रीमियम है। सरकार अपना प्रीमियम देगी और किसान का जो प्रीमियम है उसको किसान देगा। इसलिए इन सबको फसल बीमा योजना के नाते से फसलों के ऊपर खेती के जितने एरिया का बीमा कराएंगे उतना उनको पूरा मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई केस हमारी जानकारी में नहीं है जिसको मुआवजा नहीं मिला क्योंकि वह जितना प्रीमियम देंगे उतने प्रीमियम के हिसाब से उसको मुआवजा मिलेगा ऐसी कोई सीमा नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरीके से पीछे जब ओलावृष्टि और सफेद मक्खी पर चर्चा हुई थी उस समय मैंने पार्टिकूलर जुलाना हल्के के अलग-अलग पांच गांव बताए थे जिनमें ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। उसके लिए भी यह जवाब आया था कि हम किसानों को सफेद मक्खी से हुए नुकसान के केवल पांच एकड़ फसल तक का मुआवजा देंगे और अब आप उसको भी आगे देने से मना कर रहे हैं जबकि अनेक ऐसे लोग भी हैं जिनकी सफेद मक्खी की वजह से 10 एकड़ व 15 एकड़ फसल में नुकसान हुआ था। अब अगर उनको केवल 5 एकड़ फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है तो किसान के साथ एक तरह से एक मजाक है क्योंकि किसान का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपने जैसे पीछे फसल के नुकसान का मुआवजा दिया था वैसे ही अब भी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए क्योंकि आज की तारीख में अगर सबसे कमजोर कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है। आज किसान की तीन फसलें खराब हो रही हैं और तीन फसलों के साथ-साथ किसान को फसलों के अच्छे भाव भी नहीं मिले और अच्छे भाव न मिलने की वजह से आज किसान दिक्कत में है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आन्दोलन के दौरान उपद्रव करने वालों ने जिस तरह से लोगों की दुकानें जलाई, किसी का सामान लूट लिया या कोई और हानि पहुंचाने का काम किया है जैसे आपने दुकानदारों को वैट में छूट देने का काम किया है आपने उनके बिजली के बिल माफ किये हैं और जिस तरह से आपने उनको कम्पनसेट करने का काम किया है, उसी तरीके से किसान को भी तुरंत कम्पनसेट करना चाहिए और उनके द्वारा जो बैंकों से कर्ज लिये गये हैं उन कर्जों को एक साल के लिए रूकवाना चाहिए कि उनसे कोई वसूली न हो और उन पर जो कर्ज है उस पर कोई ब्याज न लगे। इसके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए और जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको तुरंत पैसा दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी अगली फसल के लिए तैयारी कर सकें और उस जमीन को ठीक कर सकें अदरवाईज किसान की हालत और भी खराब हो जाएगी। मैं मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि क्या ये उस कैप को हटाने का काम करेंगे। उसके साथ-साथ किसानों को तुरंत प्रभाव से जो प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय है, क्या उसी हिसाब से उनको मुआवजा देने का काम करोगे ?

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की बात नेता प्रतिपक्ष ने भी रखी जिसमें चार गांव का नाम था। पिछली ओलावृष्टि में रामकली, लिजवाना, करसौला, दातौली और सामलो कलां की लगभग 32 सौ एकड़ जमीन में ओले पड़े थे जिसमें रामकली गांव तो अकेला एक ऐसा उदाहरण था जिसका एरिया 1200 एकड़ था और वह 1200 एकड़ पूरा का पूरा तबाह हो गया था। उसकी गिरदावरी भी हुई और उसकी जीन्द उपायुक्त महोदय की तरफ से कमीशनर हिसार को भी रिपोर्ट जा चुकी है। उसकी चर्चा यहां सदन में भी हुई थी कि प्रति एकड़ जो पीछे सफेद मक्खी से हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया था उसी हिसाब से मुआवजा ओलावृष्टि का दिया जाए। माननीय मंत्री जी मेरा एक सवाल तो यह रहेगा कि उस सफेद मक्खी के मुआवजे के साथ-साथ जिन गांवों में किसानों की फसलों को ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ था क्या उन किसानों को भी मुआवजा दिया जायेगा? यदि दिया जायेगा तो कब तक दिया जायेगा? इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव भी जरूर देना चाहता हूँ। देश के सभी नागरिकों को चाहे कोई दुकानदार हो, कर्मचारी हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, सबको अपने नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्लेम फार्म भरने का अधिकार है। सदन में सरकार द्वारा बार-बार दावा किया जाता है कि गिरदावरी व्यवस्था में काफी-कुछ सुधार किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी धरातल पर देखने को मिले हैं। मैं मुआवजे के संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसा प्रोसिजर बनाने जा रही है जिसके तहत किसान स्वयं अपनी फसल को हुए नुकसान संबंधी जानकारी एक फार्म के माध्यम से भरकर दे दे कि उसके खेत में इतना प्रतिशत नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार के उप कृषि निदेशक के कार्यालय प्रदेशभर के हर जिले में स्थित हैं। वहां पर किसान अपना यह क्लेम फार्म जमा करवायें फिर यह क्लेम फार्म वैरीफिकेशन के लिए उपायुक्त, तहसीलदार, कानूनगो के माध्यम से खुद कृषि विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे और वे उस नुकसान की जांच करें तो निश्चित रूप से एक पारदर्शिता सामने आयेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि धरातल पर कुछ तबदीली अवश्य की गई है लेकिन अफसोस आज भी किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा पटवारी के रहमोकरम पर ही निर्भर है। क्या हरियाणा सरकार ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाकर किसानों को जो आजादी के इतने लम्बे समय के बावजूद भी अपने मुआवजे के अधिकार से वंचित रहा है, इस तरह की व्यवस्था जिसका मैंने जिक्र किया है, उसको लागू करने का विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सीधा क्लेम फार्म भरकर मुआवजे के लिए दावा करने से सरकार की नीयत पर शक नहीं रहेगा। कोई भी सरकार रही हो और नुकसान कितना भी हुआ हो उसकी एवज में जितना भी मुआवजा दिया जाता है उस परिपेक्ष्य में हर सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि मुआवजा पूरा नहीं दिया गया है। क्या सरकार किसान द्वारा क्लेम फार्म भरवाकर तथा नुकसान की वैरीफिकेशन करवाकर किसान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई करके किसान का मान-सम्मान करने का काम करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जब वे अपना उत्तर दें तो मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों पर जरूर अपना वक्तव्य दें। इसके अतिरिक्त मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे हल्के में स्थित पांच गांवों में फसलों की तबाही के बारे में बताया था, इस संबंध में गिरदावरी होकर जा चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन पांच गांवों के किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने का भी कष्ट करें।

श्री राजदीप सिंह फोगाट : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सदन में जो विषय प्रस्तुत हुआ है उसी परिपेक्ष्य में मैं भी सदन में अपनी बात रखना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा “सबका साथ-सबका विकास” की बात करते हैं। पिछली बार मेरे क्षेत्र में कपास व धान की फसल का ओलावृष्टि तथा अन्य बीमारियों की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ। दादरी हल्के में पटवारी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने खुद माना है कि यहां के 62 गांवों में फसलों को 80 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है। यही स्थिति बाढ़डा हल्के की भी रही थी। यहां भी ओलावृष्टि तथा अन्य बीमारियों की वजह से फसलों को भारी क्षति हुई। इसके बाद गिरदावरी के लिए एक टीम और भेजी गई लेकिन अंत में रिजल्ट यह रहा कि दादरी हल्के के 62 गांवों में से किसी भी गांव को एक रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया जबकि बाढ़डा हल्के में किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया। इस प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका स्वयं संज्ञान लेंगे तथा यह भी मांग करता हूँ कि दादरी हल्के के 52 गांवों की फसलों को जो 80 प्रतिशत से भी ज्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान पर जो पटवारी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर दोबारा से एक सर्वे किया जाए ताकि किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में की जा सके। इसके अतिरिक्त जैसाकि आदरणीय मंत्री जी ने बताया था कि भिवानी जिले के लगभग 69 गांवों में अभी मार्च के महीने में हुई बरसात व ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि दादरी हल्के के जिन 36-37 गांवों में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है इन किसानों को भी बिना किसी भेदभाव के मुआवजे की राशि देने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश कृषि पर निर्भर है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि इस बार जो सफेद मक्खी से फसलों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा किसानों को भलीभांति दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि आगे ओलावृष्टि या किसी भी अन्य कारण से फसलों को कोई नुकसान होता है तो उसके मुआवजे के लिए किसान को अपनी फसल का बीमा करवाना पड़ेगा और केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना के तहत ही उसको मुआवजा प्राप्त होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह के मुआवजे के लिए 16.00 बजे कोई बात नहीं की गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में किसानों के लिए तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि यह बीमा की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी या नहीं। उपाध्यक्ष महोदया, बीमा तो गाड़ी का भी होता है, बीमा तो मकान का भी होता है और बीमा तो दुकान का भी होता है। उस बीमा राशि में राज्य सरकार का कोई महत्व नहीं होता है। किसानों को राज्य सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलेगी? मुआवजे के नाम पर दी जाने वाली राशि कौन सी होगी? किसान ही राज्य को चलाने का सबसे बड़ा पहलू होता है। उद्योगपतियों के कर्ज और ब्याज तो माफ कर दिये जाते हैं मगर किसानों के लिए आज तक ना तो कोई किसान आयोग बना है और ना ही मुआवजे देने की प्रक्रिया बनी है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछली बार ओलावृष्टि के कारण मेरे हल्के रानिया के 16 गांवों में लगभग पांच सौ एकड़ गेहूँ की फसल खराब हो गई थी

[श्री रामचन्द्र कम्बोज]

और उसकी गिरदावरी भी नहीं करवाई गई थी। गांव के किसानों को मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। किसानों ने उपायुक्त महोदय, उपमण्डल न्यायाधीश के समक्ष और कोर्टों में भी केस दायर किए थे लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा में राज्य सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई आयोग बनेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि जो निर्धारित राशि है, उसमें से किसानों को अलग से मुआवजा देने का कोई प्रावधान है। इसके बारे में सदन के नेता या माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर पर बताएं।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल (जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमारे मन में भी कुछ भ्रांतियां हैं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि 30 मार्च या 31 मार्च, 2016 को इस विषय पर विस्तृत से चर्चा करवाई जाये।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर किसान 50 प्रतिशत बीमा करवाने के लिए तैयार हो जायेंगे तो लगभग एक हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को और एक हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को देने पड़ेंगे। किसान को तो उस प्रीमियम का केवल 2 परसेंट देने को कहा गया है उसका जो मेजर परसेंटेज है उसकी राशि खुद सरकार देगी। इसलिए जितना पैसा हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में एक फसल में दिया है, राज्य सरकार हर साल उतना पैसा उसके प्रीमियम का देगी इसलिए उसकी पूरी फसल को सुरक्षित करने के लिए जो अब तक 12 प्रतिशत तक प्रीमियम किसानों को मिल रहा है, वह इस फसल बीमा योजना के लागू होने के बाद 25 प्रतिशत तक मिलेगा। उसकी पूरी फसल को सुरक्षित करने के लिए लगभग उतनी ही राशि केन्द्र सरकार देगी। राज्य सरकार इस योजना पर बहुत बड़ा वहन करने जा रही है। इसलिए अभी बीमा कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है कि किस फसल का बीमा वह कितने प्रीमियम में करेंगी? कितनी राशि उस पर लगेगी? इसलिए किसान जो प्रीमियम आज ले रहा है वो अपनी पूरी पेमेंट पर प्रीमियम देगा ऐसा नहीं है। किसान का जो मेजर हिस्सा है वह सरकार देने वाली है और इतना ही पैसा जितना राज्य सरकार देगी उतना ही केन्द्र सरकार देगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब फसल का मुआवजा देने के बात आयेगी तो मुआवजा कौन लोग तय करेंगे? जैसे अभी गांव में पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार किसानों की फसलों का मुआयना करने जाते हैं। लेकिन अब किसानों की फसल का मुआयना करने वाली कौन सी कमेटी होगी? माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह दुल ने भी कहा है कि इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। कृपया करके माननीय मंत्री जी से इसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने सभी बातों को नोट कर लिया है और आपको विस्तृत रूप में जानकारी दे दी जायेगी।

श्री रामचंद्र कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए अगल से किसान आयोग गठित किया जाये।

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहता

हूं कि भाई राजदीप जी ने जो बात बताई है वही बात मेरे विधान सभा क्षेत्र उकलाना में भी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब सफेद मक्खी की वजह से फसल के नुकसान की गिरदावरी हुई थी तो उस समय पटवारी, तहसीलदार और डी.सी. ने नुकसान स्वीकारा था। लेकिन दोबारा जब टीम गई तो उन्होंने पता नहीं क्या गोलमाल किया हमारे क्षेत्र के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। दूसरी बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार मार्च महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में जो ओलावृष्टि हुई उससे मेरे क्षेत्र के कितने गांव प्रभावित हुए हैं ? गांव खैरी, किनारा, उकलाना, बिठमड़ा और सूरेवाला में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 11 मार्च, 2014 और 26 मार्च, 2014 को जो ओलावृष्टि हुई उसका हमें मुआवजा देना मंजूर हुआ था। मेरे क्षेत्र के गांव किरोड़ी के लिए 2,17,38,500 रुपये मुआवजा राशि देनी मंजूर हुई थी। हिसार के उपायुक्त ने इस मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी, परंतु इस चिट्ठी का आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। गांव किरोड़ी के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में मिले थे परंतु उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस विषय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं चिट्ठी लिखी थी। सदन में भाई वेद नारंग जी भी बैठे हैं। इसके अतिरिक्त गांव जुगलान का भी 1,41,90,500 रुपये मुआवजा अभी तक बकाया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे किसानों को यह मुआवजा राशि देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे और अगर मंत्री जी मुआवजा नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे ? चौधरी देवीलाल ने फसलों का मुआवजा देने की प्रथा की शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि इस स्कीम को बंद करने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलने जा रहा है। अतः मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस स्कीम को चालू रखते हुए किसानों को समय पर मुआवजे का भुगतान किया जाए। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी विधायकों के द्वारा उठाए गए प्वायंट्स को जुबानी याद रखेंगे ? वे विधायकों द्वारा उठाए गए प्वायंट्स को नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश में पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई उससे हल्का लोहारू के भी काफी गांव प्रभावित हुए हैं। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनमें सौ प्रतिशत नुकसान है। किसानों के खेतों में इतना नुकसान हुआ है कि उनका अब खेतों में जाने का काम ही नहीं रहा है। हल्का लोहारू के लगभग 30 गांव हैं जहां भारी ओलावृष्टि हुई है। मैं कुछ गांवों के नाम बताता हूं - बरालू, सेहर, ढिगावा जाटान, ढिगावा श्यामियान, ओबरा, बैराण, सहरयारपुर, सलेमपुर, सिधनवा, बड़वा, पहाड़ी, झांझड़ा, दमकोरा, गिगनाऊ, झुम्पा, टाणी लालपुर, हरियावाम, कासनी और खरकड़ी बावन इत्यादि। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इन गांवों की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। हल्का लोहारू में सफेद मक्खी, सूखा पड़ने और तेले की बीमारी से पिछली फसलें खराब हुईं लेकिन उसका किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गिरदावरी कहीं दिखावा मात्र बनकर न रह जाए। जैसा भाई अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस तरह आगजनी से हुई बर्बादी के लिए आपने लोगों को मुआवजा दिया है ठीक उसी तरह से किसान को भी पूरा मुआवजा देने से पहले कुछ मदद की जाए ताकि किसान अगली फसल बोने के लिए बीज, खाद और दवाई खरीद सकें। इसके लिए जितनी जरूरत किसानों को तत्काल

[श्री ओम प्रकाश बड़वा]

प्रभाव से मुआवजा देने की है उतनी ही जरूरत किसानों का लोन, बिजली के बिल और ब्याज को भी माफ करने की है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र के किसानों की पिछली दो फसलें खराब हो गई हैं। हल्का लोहारू के किसानों को दूसरे क्षेत्र के किसानों से 2-3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोहारू में ज्यादातर फव्वारा सैट्स से सिंचाई होती है जिससे किसानों को डबल खर्च करना पड़ता है और डबल मेहनत करनी पड़ती है। अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वे हल्का लोहारू के किसानों की तरफ भी ध्यान दें।

श्री पिरथी सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस महान सदन का ध्यान लोकहित के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में हुई ओलावृष्टि और तेज आंधी से नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव कालवन, धमतान, रसीदा, पिपलथा, ढाबीटेक सिंह, नारायणगढ़, रेवर, पदार्थखेडा, हंसडहर, दडौली तथा धनौरी आदि में किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ओलावृष्टि व तेज आंधी से गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई है जिससे फसल की पैदावार में कमी होना निश्चित है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस नष्ट हुई फसल की भरपाई के लिए साठी जीरी लगाने के लिए आदेश जारी किए जाएं और जब तक साठी जीरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक 24 घंटे बिजली दी जाए। 6 महीने के बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। किसानों द्वारा जो फसली लोन लिए गए हैं उनका ब्याज माफ किया जाए और उनकी वसूली रोकੀ जाए। उपाध्यक्ष महोदया, जिन गांवों की जो फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई हैं मैं उनकी फोटो मंत्री जी को भेज दूंगा। मंत्री जी, इन फोटो से आपको पता चल जाएगा कि किसानों के खेतों में कुछ नहीं बचा और उनकी सारी फसलों का नुकसान हो चुका है। किसान घर में हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब आधा अधूरा दिया है। मैंने लिखकर दिया है कि कैथल के दो गांवों में बेमौसमी बारिश, तूफान और ओला वृष्टि हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, कपास के बारे में सरकार ने कहा कि सफेद मक्खी के प्रकोप से नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, कपास की फसल के नुकसान की स्पेशल गिरदावरियां हुई हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कलायत में वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है जिस कारण स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई। मंत्री जी, आप जांच करवा कर देख लें कि कलायत के बहुत से गांवों में कपास की फसलें सफेद मक्खी के प्रकोप से बरबाद हुई हैं जिस कारण आज किसान घरने पर बैठे हैं। कैथल में कपास की 80 फीसदी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं कपास की तरह यहां भी गड़बड़ न हो जाए। मौसम अभी खराब चल रहा है, कहीं तेज बारिश होती है और तेज बारिश ओलावृष्टि से कम नहीं होती। बारिश से गेहूं की फसल की जो बालियां हैं वह सफेद हो जाती और यील्ड कम हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कलायत विधान सभा क्षेत्र के हर गांव की स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और कपास के मुआवजे के लिए जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी हां भरी थी, वह जल्दी दिलवाया जाए और यह मुआवजा भी जल्दी दिलवाया जाए।

श्री केहर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, पिछली बार जब गेहूं की फसल खराब हुई थी तो सरकार ने मुआवजा दिया था। हथीन विधानसभा के हथीन ब्लॉक के नुकसान का 10 परसेंट मुआवजे का पैसा अधिकारियों की, पटवारियों और तहसीलदारों की जेब में चला गया। आज तक

भी मानपुर, बहीन, नांगलजाट, गहलत और रीढका गांवों के किसान मुआवजे के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन किसानों को भी मुआवजा देने का काम यह सरकार करेगी जो पिछले एक साल से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। मेरे हल्के हथीन में भी सफेद मक्खी के प्रकोप से कपास की फसलों का नुकसान हुआ था जिसकी गिरदावरी नहीं करवाई गई। इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको भी मुआवजे देने के बारे में भी सोचा जाएगा।

डा. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसी विषय से रिलेटिड बात कहना चाहूंगा। मेरी कांस्टीच्युंसी नांगल चौधरी है और यह जे.एल.एन. लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम की टेल पर पड़ती है। आधी कांस्टीच्युंसी में रबी की फसल नहीं बोई जाती। कुछ क्षेत्र में नहर का पानी जाता है उससे यह फसल बोई जाती है। पिछली बार दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से वहां पानी नहीं जा पाया जिस वजह से खड़ी फसल बरबाद हो गई। उन किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है जिसके कारण उनको देखकर तर्स आता है। कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने इनको अखबारों की कटिंग्स और फोटोग्राफ्स दी थी। रैवेन्यू मिनिस्टर जी भी बैठे हुए हैं, वे कृपया करके उनका निरीक्षण करवा लें अगर लगे कि वास्तव में नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवज देने बारे विचार कर लिया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, इसका विस्तार से जवाब डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री कैप्टन साहब देंगे। लेकिन एक सवाल जसविन्द्र जी और कम्बोज जी का था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि किसान आयोग तो अभी भी है। लेकिन माननीय सदस्यों की जो चिंता है, वह जो फसलों की नई बीमा पॉलिसी आ रही है उसको लेकर है। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार सोच रही है कि क्या केन्द्र सरकार इसमें हमें ऐसी अनुमति दे सकती है कि हम सीधे पी.पी.पी. मोड पर अपनी किसी एजेंसी को लेकर आगे बढ़ सकें। दूसरे राज्यों ने भी इसकी अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी है। अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो उसका एक फायदा यह होगा कि पैसा भी हमारे पास रहेगा और हम किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा भी आसानी से दे सकेंगे। अगर बीमा कंपनी के हाथ में सारे अधिकार होंगे तो किसानों को मुआवजा मिलने में दिक्कत रहेगी क्योंकि इससे सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं होगा। अगली फसल से यह इम्प्लीमेंट हो जायेगा, चाहे बीमा कंपनी के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से। ज्यों ही अनुमति मिलेगी, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल जसविन्द्र सिंह जी ने पूछा था कि उसके तरीके क्या हैं। इसमें दो विषय आ रहे हैं। एक तो हम मौसम आधारित पैटर्न भी अपना सकते हैं और दूसरा क्रॉप कटिंग का पैटर्न भी अपना सकते हैं। जहां-जहां यह बीमा होगा वहां मौसम के स्टेशन लगाये जा सकते हैं कि कितना मौसम में वैरियेशन आया है और उसके कारण से फसल का कितना नुकसान हुआ है, इस तरह से नुकसान का आंकलन किया जा सकेगा। दूसरा आकलन का प्रकार इस तरह से होगा मान लीजिए एक एकड़ में 40 मन गेहूं होना था और क्रॉप कटिंग में 2-4 मन या जितना भी गेहूं कम हो गया तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करे। यह केवल पटवारी पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि उसमें बीमा कंपनी के लोग भी इनवोल्व होंगे और उसमें हमारी मशीनरी भी इनवोल्व करेंगे। इस तरह का पैटर्न हम डिवैल्य कर रहे हैं। माननीय सदस्यों के पास इस विषय पर जो भी सुझाव हैं उनको जब नोटिफिकेशन करेंगे उस समय ध्यान में रखेंगे और नोटिफिकेशन करने से पहले सभी सदस्यों के ध्यान में यह बात डिटेल में लायेंगे कि इस विषय पर क्या-क्या सरकार करने जा रही है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि गेहूँ की जब फसल कटेगी और मण्डी में जायेगी तो वहां जे. फार्म कटेगा। यह तरीका वायबल नहीं होगा। किसान फसल काटने के बाद दाने निकालेगा तो कहा जायेगा कि दाने घर में रख लिए इसलिए जे फार्म कम का कटा है। जब तक सरकार इस पर अपना पूरा नियंत्रण नहीं रखेगी तब तक यह बीमा स्कीम कामयाब नहीं होगी। मेरा इसमें केवल अनुरोध यही है कि इसमें सरकार का पूरा दखल होना चाहिए तभी ये बातें ठीक होंगी।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, ओलावृष्टि, तेज बरसात और तूफान की वजह से मार्च महीने में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई गांवों में किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ उसको लेकर हमारे कई साथियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने उसमें अपने विधान सभा क्षेत्र और आस पास के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ उसका अनुभव सांझा किया है। उसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता भी जाहिर की है और यह भी चर्चा की कि हरियाणा में मुआवजे की रवायत कहां से शुरू हुई। हरियाणा बने हुए 50वां साल है। इस 50वें साल में श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह सौभाग्य मिला है कि हरियाणा की 2.50 करोड़ जनता की हम सेवा कर पायें। और पहले ही साल में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब-जब किसानों पर विपत्ति आई हमने 2224.66 करोड़ रुपये केवल एक साल में जो पिछले एक साल में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए किसानों में वितरित करके उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 का पिछली सरकार का घोषणा किया हुआ मुआवज़ा भी जो कि 268.93 करोड़ रुपये बनता था वह भी हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में हमारी सरकार ने अपनी तरफ से देने का काम किया है। हम भी लम्बे समय से समाज में और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। यहां पर अनेक साथी सरकारी पक्ष में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। मैंने उनके सामने इस महान सदन के पटल पर पूरी की पूरी तफसील से जानकारी दी थी कि किस-किस साल में उस समय की सरकारों ने किसानों को कितना-कितना मुआवज़ा उनकी फसल के नुकसान के लिए देने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल पर प्रकृति की मार तो बार-बार पड़ी है। ये बाढ़, बारिश, सूखा, ओला और पाला इन सभी का हमारे किसानों को बार-बार सामना करना पड़ा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हरियाणा के इतिहास में इस स्तर का मुआवज़ा किसी भी फसल के नुकसान का नहीं मिला था। हमारी सरकार का यह कार्य हमारी किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको उजागर करता है। मैं इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। अगर किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी सरकार के काल खण्ड का किसानों में वितरित किये गये मुआवज़े का हिसाब चाहिए तो मैं उसका वर्णन यहां पर फिर से कर सकता हूं। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस सम्बन्ध में सभी साथियों की बातों को स्वीकार करते हुए यह घोषणा करते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान वर्ग को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और अगर उसको कोई तकलीफ होगी भी तो उसको तीव्रता के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए दूर करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्यों ने इस बारे में जितने भी सुझाव दिए हैं मैंने उन सभी को नोट कर लिया है। हम उन सभी पर अमल करेंगे। इतना ही नहीं हम तो भी यह कहते हैं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव यहां पर दिये हैं हम उनसे आगे जाकर भी किसानों की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस बार मार्च की

ओलावृष्टि और तेज़ आंधी व बारिश से प्रभावित गांव हमारे संज्ञान में आये हैं इनके अलावा भी माननीय सदस्यों ने कुछ गांवों का जिक्र किया, जैसे कुछ गांव दादरी हल्के के भी हैं, कुछ गांव नरवाना हल्के के भी हैं और उकलाना हल्के के भी हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं हैं, मैं सभी गांवों का नाम नहीं ले सकता मैंने इन सभी गांवों के नामों को नोट कर लिया है। मैं आप सभी से यह भी निवेदन करूंगा कि इनके अतिरिक्त भी अगर कोई गांव आपके संज्ञान में आते हैं तो आप उन सभी से हमें अवगत करवायें। ऐसा भी हो सकता है कि जिला प्रशासन की अनचाही चूक के कारण कुछ गांव इस सूची में शामिल न हो सके हों। जिस भी माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गांव हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सरकार के संज्ञान में लाया जाये। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थितियों में हम जिला प्रशासन को फिर से गिरदावरी के आदेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो फसल खड़ी है। खराब फसल का अभी मुआयना हो रहा है। इसलिए ऐसी सूत्र में जो गांव स्पेशल गिरदावरी से रह गये हैं वहां के किसानों की फसल के खराबे का मुआयना किया जा सकता है। इस बार हम इन सभी गांवों में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, साईंस की नई तकनीक का लाभ उठाकर स्टीक तरीके से इस नुकसान का आकलन किया जा सके ताकि जो वास्तव में प्रभावित लोग है उन तक सही मायनों में मुआवज़ा पहुंचाया जा सके। गुड़गांव में हमने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से ड्रोन से सोहना तहसील का पूरे का पूरा नक्शा तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निर्देश दिए हैं कि इनमें से कम से कम 20 से 25 गांव पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलैक्ट किये जायें और उन 20-25 गांवों में ड्रोन की फोटो मैपिंग के आधार पर नुकसान के आकलन की विधि का प्रयोग किया जाये। इसके साथ-साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि मुआवज़े के लिए स्पेशल गिरदावरी करने की प्रक्रिया कोई जिला उपायुक्त अपने कार्यालय में बैठकर पूरी नहीं करता अपितु वहां पर मौसम विभाग के रिकार्ड की भी बराबर तुलना की जाती है। इसके अलावा जो फसल गिरदावरी का रिकार्ड होता है उसका भी पूरे का पूरा हिसाब लिया जाता है। इसके साथ ही साथ मौके का मुआयना भी किया जाता है। जैसा कि मैंने इस महान सदन में पहले भी बताया था कि पिछली गेहूं की फसल के नुकसान के समय जो अनुभव आये, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए उनको अमल में लाया गया और जो कोई कमियां बताई हमने उनको दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया। ऐसे ही जब कपास की फसल पर व्हाईट फ्लाई के प्रकोप के लिए मुआवज़ा देने का मामला आया, हमने पिछली कमियों को सुधारने का काम किया और सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को अमल में लाने का काम भी किया। हमने सभी सुधारों को लागू करने के लिए 3-4 व्यक्तियों की कमेटी बनाने की भी कोशिश की। ऐसे ही अगर इस बार भी सुझाव आयेंगे तो हम इस प्रक्रिया को और ज्यादा से ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर समस्यायें बताई जायेंगी तो उनको भी दूर किया जायेगा। कई साथियों ने यह चिंता भी पिछले समय व्यक्त की थी कि पहले जो गिरदावरी की रिपोर्ट थी वह कुछ थी उसके बाद सम्बंधित अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद गिरदावरी की रिपोर्ट कुछ और हो गई। हमारी यही भरपूर कोशिश है कि जिस किसान का वास्तव में नुकसान हुआ है उसको ही उसकी फसल के सही नुकसान का सही मुआवज़ा जल्दी से जल्दी मिले। किसी भी स्तर पर कोई भी गलत काम न हो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। इस बार हमने और आगे बढ़कर कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिये हैं कि वे भी अपने स्तर पर जाकर फील्ड का मुआयना करें। इस प्रकार के उनको भी निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से इस

[केप्टन अभिमन्यु]

पूरी प्रक्रिया में कमिश्नर स्तर का अधिकारी भी खेत में मुआयना करने के लिए जायेगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अमल में लाया जाये हमारा इसके लिए भी भरपूर प्रयास होगा। मैं इसके साथ ही साथ यह बात भी इस महान सदन के ध्यान में लाना चाहूँगा कि अभी तक हरियाणा में जो रियायतें दी गई हैं वे सामान्यतः रबी और खरीफ सीजन में गेहूँ और धान की फसलों के लिए ही दी जाती थी। मैं उनके आंकड़े भी दे सकता हूँ। लेकिन हमने पहली बार केश क्रॉप कॉटन के लिए 967 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है जो मेरे हिसाब से यह देश में सबसे ज्यादा है। इतना शायद पूरे देश में किसी भी राज्य ने नहीं दिया होगा जितना हरियाणा ने दिया है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष तथा सरदार जसविन्द्र सिंह संधू की तरफ से भी चिन्ता व्यक्त की गई थी कि आपने तो आगे से मुआवजा न देने का बंदोबस्त किया है, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का सैद्धांतिक फैसला लिया है। यह योजना किस रूप में लागू होगी इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे जायेंगे और विभाग उस पर विचार भी कर रहा है। वित्त विभाग ने भी अपने बजट में उसका प्रावधान किया है। उसके लिए एक हैड खोला गया है ताकि उसमें इस योजना का पैसा आ सके। पहली बार इस हैड में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अभी यह अनुमान है कि इसमें कितनी भागीदारी हो सकती है। वित्त मंत्री होने के नाते मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी प्रस्ताव किसानों के हित में आयेंगे कृषि विभाग किसानों के हित में उनको निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। उनको स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। (इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुये।) अध्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश जी ने कलायत विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम दिये थे, जिनमें गिरदावरी ठीक ढंग से न होने की बात कही थी। उसको हमने इग्जामिन करवाने के लिए विभाग के पास भेज दिया है। इसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने एक और चिन्ता व्यक्त की थी और व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने इस बात को उठाया था कि कुछ इस तरह के किसान हैं जो अपनी जमीन पर खुद कास्त नहीं करते हैं और उन्होंने अपनी जमीन ठेके पर दे रखी है। भारत सरकार की जो 5 एकड़ का मुआवजा देने की सीलिंग है उसके कारण ऐसी स्थिति बनी है कि जो बड़े किसान हैं उनकी जमीन पर उनके कास्तकार वहाँ पर कास्त कर रहे हैं। उस जमीन के मालिक को नुकसान होने की बजाय उस कास्तकार को उसका नुकसान हो रहा है। इस पर भी विचार करते हुये हमने जिला उपायुक्तों को इस तरह के कास्तकारों की सूची बनाने के लिए भी कहा है कि जहाँ-जहाँ कास्तकार गिरदावरी में आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाये। जमीन पर उसका मालिकाना हक भले ही न हो लेकिन अगर वह कास्तकार है तो उसको किसान मान कर भूमालिक की 5 एकड़ के अतिरिक्त भी उसको 5 एकड़ का कास्तकार के रूप में भी मुआवजा दिया जायेगा, हम इसको कंसीडर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हमारे जिन साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और किसानों के प्रति अपनी जो आशंका व्यक्त की हैं उनकी आशंकाओं का पूरी तरह से निपटारा करेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मैंने केवल उनकी चिन्ता नहीं कि जो किसी के मुजायरे हैं और उनके नाम जमीन नहीं है। मैंने उस किसान की भी चिन्ता की थी जिनके पास अपनी जमीन की एक पूरी यूनिट है और

यदि सारी फसल खराब हो गई तो क्या आप उसको उसकी सिर्फ 5 एकड़ का ही मुआवजा देंगे। इसके साथ-साथ मैंने यह भी पूछा था कि जिसके खेत में नहरी पानी नहीं है, जिसके खेत में पानी की कमी है, और जहाँ पर ट्यूबवैल कामयाब नहीं है, जो बरानी जमीन पर कास्त करते हैं, जो ग्वार और बाजरे की खेती करते हैं आपने उनके लिए बजट में पैसे का कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैंने इस बात की भी चिन्ता व्यक्त की थी कि जो लोग बरानी जमीन पर कास्त करते हैं और जिनकी फसल सफेद मक्खी या तेले आदि की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाती है तो क्या उनको भी मुआवजा दिया जायेगा। इसके साथ-साथ एक और किसान के साथ जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है यह आज के सत्र में तो नहीं है, लेकिन पहले जब विधान सभा का सत्र आया था जिसमें आपने गेहूँ की फसल का मुआवजा राशि तय की थी, उस समय मैंने सदन में एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश में बहुत सा इलाका ऐसा है जिसमें सेम का पानी खड़ा है। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव भी आते हैं। मेरे ख्याल से और दूसरे साथियों के विधान सभा क्षेत्रों के गांव भी आते होंगे जहां सेम की वजह से उनकी जमीन खाली पड़ी है। मैंने उस समय भी आपसे यह पूछा था कि क्या आप ऐसे किसानों को भी मुआवजा देंगे जिनकी जमीन में पूरा साल पानी खड़ा रहता है ? या फिर उस पानी को निकालने का कोई उपाय किया जाए और उसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने दिन में उस पानी को निकाल कर किसान की जमीन को कास्त के योग्य बना दिया जाएगा, या फिर जिस किसान को लम्बे समय से इस पानी की मार पड़ रही है उसके लिए भी कोई मुआवजा राशि निर्धारित करनी चाहिए ताकि उसको भी उसकी जमीन में फसल न होने की एवज में कोई मुआवजा मिले जिससे वह अपना गुजारा चला सके।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, ---- ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनूप जी, आप बैठ जाइये। मंत्री जी अपना जवाब दे चुके हैं। मैंने अभय सिंह जी को भी इसलिए बोलने का समय दिया था क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं। अनूप जी आप प्लीज बैठ जाइये। यह तरीका सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि मैं सभी गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन भाई राजदीप जी ने दादरी हल्के के जितने गांव के नाम लिये थे लगभग उससे ज्यादा गांवों की सूची मेरे पास है। मैं केवल उकलाना और नरवाना हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी सूची पढ़ना सम्भव नहीं है क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। अनूप जी और राजदीप जी आप प्लीज बैठ जाइये।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, इनको मैंने यह भी भरोसा दिया है कि आप कोई अतिरिक्त सूची भी देंगे तो उसको भी हम एग्जामिन करवा लेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी के जवाब को सुन लें। आप तो प्रश्न पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अनूप जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप उनका जवाब सुन लें। जवाब उस प्रश्न का दिया जाएगा जो इस कालिंग अटेंशन मोशन से संबंधित है। आप पिछले समय की बात कर रहे हैं, लेकिन यह जो कालिंग अटेंशन मोशन है यह अब जो ओलावृष्टि हुई है उस पर है। आप इस तरह व्यवधान मत डालो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजदीप सिंह फौगाट : अध्यक्ष महोदय, जवाब देना तो मंत्री जी की जिम्मेवारी है।

श्री अध्यक्ष : जिम्मेवारी है, लेकिन जिस चीज की जिम्मेवारी जिस समय है वह उसी समय है। अनूप जी आप बैठ जाईये। राजदीप जी आपने अपनी पूरी बात रख ली है और मंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया है। आप इस तरह व्यवधान मत डालो। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार की 5 एकड़ की कैप है उसको हमने नीतिगत और सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है और उसके बाद भी हमने इसकी पूरी तरह से समीक्षा की और इस पर चिन्ता व्यक्त की कि इतने बड़े स्टेट डिजास्टर रिलिफ फंड के बजट की भी आफ्टर आल एक सीमा होती है और मैंने इतिहास के संदर्भ में कहा है कि अगर आप उजागर करना चाहते हैं तो आप उजागर कर दें। अगर मुझे आप यह दायित्व देंगे तो मैं पिछले 50 साल का रिकॉर्ड कि हर साल किस किस सरकार ने कितनी फसल का कितना मुआवजा दिया है, मैं उसको सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ। यह तो प्रकृति की मार है, यह तो परमात्मा की मार है जो समय-समय पर चक्र के साथ आती है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी सरकार और प्रशासन में बैठे लोग कितनी संवेदनशीलता से काम करते हैं। आज भी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा कि पांच एकड़ तक का जो हमने हिसाब लगाया है उसमें कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी पांच एकड़ जमीन है, उसको 30 से लेकर 45 हजार रुपये का मुआवजा न मिले। यह कम्पनसेशन है, यह मुआवजा है। यह किसान की पूरी आय का कृषि आय बीमा योजना नहीं है कि उसकी इतनी इन्कम थी और उसकी आय का इतना बीमा होगा। यह तो एक मरहम लगाने का काम है और इन योजनाओं पर भारत सरकार भी काम कर रही है और हमारा विभाग भी इसमें काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने और भी चिन्ता व्यक्त की कि अनेक प्रकार की मार किसान पर पड़ती है, क्या उसका मुआवजा देने की भी सरकार के पास कोई नीति है। आप भी पहले सरकार में रहे हैं और आज यह जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जो सरकार की नीति होती है जिसमें मुआवजा देना होता है इसमें नाना प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं जैसे सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भूसखलन, हिमसखलन, बादल फटना तथा कीट हमले इत्यादि की वजह से फसलों को हुए नुकसान का भी मुआवजा देने की सरकार की भरपूर कोशिश रहती है। कीट हमले से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजा को तो हमारी सरकार ने ही प्रारम्भ किया है। किसान के हित में जितना स्टेट डिजास्टर रिलिफ फंड का बेस्ट यूज हमारी सरकार ने किया है उसका अतीत में कोई दूसरा उदाहरण नजर नहीं आता है। अतः मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपूर मुआवजा देने की एक ईमानदार कोशिश हमारी सरकार ने की है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि प्रक्रिया के तहत नीचे से जो भी फीड बैक आयेगा उसके आधार पर हम एक अच्छी प्रक्रिया अपनाकर भरपूर मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी भी लगातार इस बात की चिन्ता व्यक्त करते रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उनके साथ मिलकर किसान के हित में और अधिक अच्छे ढंग से काम करेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ—

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (1-1-2011 से 31-12-2011) के कार्यन्वयन पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 6वीं रिपोर्ट
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (1-1-2012 से 31-12-2012) के कार्यन्वयन पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 7वीं रिपोर्ट
3. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिए हरियाणा वित्त निगम की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा 48वीं वार्षिक रिपोर्ट
4. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2010-2011 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट
5. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट
6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट
7. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों का वार्षिक विवरण
8. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों का वार्षिक विवरण
9. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट
10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2013-2014 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री सुभाष बराला (टोहाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के दौरान अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही काबिल वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने हरियाणा प्रदेश के स्वर्ण जयंति वर्ष 2016-2017 का बजट प्रदेश के विकास के लिए तथा हरियाणा की जनता की जनभावनाओं को सामने रखते इस महान सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है और वह यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया है, अपितु जो पुराने टैक्स थे बहुत सारे मामलों में उनको कम करके इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। पिछले बजट सत्र और इस बजट सत्र के बीच अनेक चुनौतियां हमारी सरकार के सामने आई हैं। इनमें ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान, सफेद मक्खी की वजह से कपास की फसल को हुए नुकसान तथा सरकार बनते ही हिसार जिले के बरवाला में एक आश्रम के प्रकरण का बहुत बड़ा मामला आदि अनेक बहुत बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने उभरकर सामने आईं। इसी कड़ी में अभी वर्तमान में जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार का मामला पूरे प्रांत भर में हुआ और आरक्षण की आढ़ में प्रायोजित दंगे हुए, यह ऐसी विकट परिस्थितियां थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार का प्रोग्रेसिव बजट हरियाणा सरकार पेश कर पायेगी। हरियाणा की जनता बड़ी चिन्तित थी। हरियाणा का प्रत्येक जागरूक नागरिक इस बात पर टकटकी लगाये हुए था कि इतनी भारी भरकम चुनौतियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही यह सरकार किस प्रकार का बजट प्रस्तुत करेगी ? लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु तथा इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए इस विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है और जिसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। यदि राजनीतिक आधार पर किसी राजनीतिक दल के नेता ने इसकी आलोचना की होगी तो वह एक अलग बात है लेकिन जब आपस में चर्चा करते हैं तब एक ही बात निकलकर आती है कि बहुत अच्छा बजट है। अगर हम क्षेत्रवार बजट के आबंटन की बात करते हैं तो पिछली बार के मुकाबले में बहुत सारे मदों में वृद्धि होकर आई है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। सबसे महत्वपूर्ण कृषि का क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र में किसानों की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा की बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे शिक्षा मंत्री प्रदेश के बच्चों के भविष्य की हमेशा से चिंता करते रहते हैं। इस क्षेत्र में भी 20 प्रतिशत बजट बढ़ाकर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पूरी जागरूता के साथ लगे रहते हैं। इसमें 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी बजट में की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कृषि या सिंचाई का कोई भी मामला हो या किसी भी आपदा का मामला हो, हर आपदा को संज्ञान लेते हुए कि किस प्रकार उसका समाधान हो, इस पर केन्द्र सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। किसान 'फसल बीमा योजना' के लिए भी 3 सौ करोड़ का अलग से प्रावधान बजट में रखा गया है। इतना ही नहीं अभी कृषि मंत्री जी हाउस में कह रहे थे कि इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये की ज्यादा की राशि का प्रत्येक वर्ष के लिए प्रावधान

हो सकता है, और कुल मिलाकर पिछले वर्ष के बजट की तुलना करें तो इसमें 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। केन्द्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो, चाहे राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिक मिशन हो, अनेकों योजनाएं किसानों के विकास की है, जो हरियाणा की जनता से जुड़ी हुई हैं। सभी कल्याणकारी योजनाओं का महत्व इस बजट में दिया गया है। मैंने कृषि, सिंचाई और पशुपालन की बातें कही हैं। हमारी सरकार 'गौवंश संरक्षण व गौ-संवर्धन अधिनियम, 2015' लेकर आई थी, जो पशुओं और गऊओं से जुड़ा हुआ है। इससे हरियाणा प्रदेश के लोग गऊ पालन में भी आगे आए हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर ना केवल किसानों की आमदनी को बढ़ाया बल्कि भैंसों की तरह गऊओं की भी अधिक दुग्ध देने की प्रतियोगिता किसानों के लिए शुरू की है। इस प्रतियोगिता के लिए भी पैसे का बजट में प्रावधान किया है। हमारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बहन कविता जैन जी हमेशा से गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं कि किस प्रकार से गरीबों और मजदूरों का कल्याण हो, ये इस बात की चिंता हमेशा से करती आई हैं। सरकार ने इसके लिए भी पिछले बजट के मुकाबले लगभग साढ़े 16 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं अपितु इस प्रकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है, जिनसे हरियाणा प्रदेश के समग्र विकास में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। स्वर्ण जयंती विधि निधि संस्थान, करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय, नीलोखेड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रदेश के अंदर 5 नये कॉलेज खोले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी बहन बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर ना जाना पड़े इसके लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज की स्थापना हो इस बात की चिंता इस बजट के अंदर प्रकट की गई है। मैं कृषि क्षेत्र की बात कर रहा था। इसके साथ ही जुड़ा हुआ हमारा कोऑपरेटिव विभाग है। हमारे किसानों का सीधा-सीधा कोऑपरेटिव शुगर मिलों से नाता रहता है। हमारे बहुत-से किसानों की कोऑपरेटिव मिलों और प्राइवेट मिलों में गन्ने की पेमेंट बकाया थी। हमारी सरकार ने उनके लिए विशेष प्रावधान किया और कोऑपरेटिव मिलों को लगभग 4 सौ करोड़ रुपये और प्राइवेट मिलों को किसानों के गन्ने की बकाया पेमेंट का भुगतान करने के लिए भी करोड़ों रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है। प्रदेश में जब यह सारा वातावरण चल रहा था तो हरियाणा में हमारे सामने प्राकृतिक और उसके साथ-साथ अप्राकृतिक यानि कृत्रिम बाधाएं भी खड़ी की गई थी। कुछ लोगों ने जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में मुखौटा पहनकर दंगा भड़काने का काम किया और जान-माल का नुकसान किया है। हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के करोड़ों रुपये तबाह और स्वाह हो गए। इस मामले में भी हमारी सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने का काम किया है। हमारी सरकार ठीक रास्ते पर चल रही थी। मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश को पटरी से उतारने, विकास की दिशा से भटकाने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने का काम हुआ था। बहुत-से नेताओं को खासकर जो सदस्य सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में इस बात का डर था कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य कैसे कर रही है। हमारी सरकार ने विकास का बहुत काम किया है, नई योजनाएं शुरू की हैं और खासकर पंचायती राज का नया बिल पास किया है जिससे शिक्षित पंचायतें आई हैं और नौजवान नवयुवक-नवयुवतियां पंचायत सदस्य चुनकर आई हैं तथा आरक्षित सीटों से ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। इस प्रकार के अनेक विषय थे जिनके कारण से उन सदस्यों को खतरा महसूस हुआ। इससे बचने के लिए उन्होंने बहुत सारी

[श्री सुभाष बराला]

आपदाएं खड़ी करने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो संकल्प हरियाणा के विकास का लेकर चली थी उस संकल्प के ऊपर अडिग रहते हुए पूरी टीम को साथ लेकर इस प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा से बहुत कुशलता के साथ निपटा गया। यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन के अंदर नहीं हैं। सभी कहते हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को बहुत अनुभव है और मैं भी इससे सहमत हूँ। उन्होंने पिछले दस साल तक लगातार हरियाणा में राज किया और शासन चलाया। हम सोचते थे कि उनके अनुभव का लाभ पूरे सदन को मिलेगा। वे अच्छी और स्वस्थ चर्चा में भाग लेंगे। मुझे लगता था कि उनके चर्चा में भाग लेने से बहुत सारे ऐसे निर्णय जो हरियाणा की जनता के लिए लाभकारी हों यहां सदन में लिये जाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन लोगों को हरियाणा के हितों की चिंता न हो करके केवल अपनी चिंता है। इस बार सदन में दो खास विषय एस.वाई.एल. और जाट आंदोलन के आये। उन सदस्यों को लगा कि वे इन विषयों पर जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे सदन में अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये सदन छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि सरकार तो अनुभवहीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम कुछ मामलों में अनुभवहीन हो सकते हैं। अच्छा होता यदि वे लोग हमारी बात सुनते। हम भ्रष्टाचार के मामले में अनुभवहीन हैं लेकिन हमें ऐसे अनुभव की जरूरत भी नहीं है। हम परिवारवाद के मामले में अनुभवहीन हैं। हम क्षेत्रवाद के मामले में अनुभवहीन हैं। हमें तो अनुभव है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिनके हम सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। उनके एकांत मानवदर्शन के सिद्धांत को हम लेकर चल रहे हैं। अंततोगत्वा का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को लेकर हम चल रहे हैं। हमें इस प्रकार के अनुभव हैं और इन अनुभवों को लेकर ही हमारी सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। विपक्ष सरकार का विरोध करे, हमारी नीतियों का विरोध करें हम जाने अनजाने में कोई गलत काम करें, उस बात का वे विरोध करें, उनके इस विरोध का हम स्वागत करेंगे। उनके रचनात्मक विरोध का स्वागत है लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वे केवल सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करते बल्कि वे विरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का, एक पारदर्शी सरकार चलाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व का वे विरोध करते हैं कि कैसे इतनी अच्छी सरकार सवा साल से चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो उनका विरोध है, उसी कारण से वे सदन को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम न तो किसी को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका देंगे, और न ही अपने नेता के खिलाफ किसी को बोलने का मौका देंगे। यह सरकार और हमारे मुख्यमंत्री गंगा की तरह स्वच्छ और पवित्र हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि कई बार हमारे विपक्ष के साथी जो इस सदन में नहीं हैं, तरह तरह की बातें उठाते हैं लेकिन बजट के बारे में ये कुछ नहीं बोले क्योंकि ये यहां हमारा सामना नहीं कर पा रहे थे। ये लोग बाहर जाकर तरह तरह की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो यह बजट है, यह प्रदेश के विकास का बजट है, प्रदेश की उन्नति का बजट है। प्रदेश में आपस में किस तरह से

सद्भावना और भाई चारा स्थापित हो इस बात का बजट है। हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजकर उसको आगे बढ़ाने का संकल्प इस बजट में है। इस बजट ने हर क्षेत्र को छुआ है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे उद्योग की बात हो, हर क्षेत्र में किस प्रकार से निवेश हो और हर क्षेत्र में किस प्रकार से तरक्की हो इस बात की चिंता इस बजट में की गई है। यह बजट एक परिवार के लाभ को और एक परिवार के हित को देखकर प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि हरियाणा के सभी परिवारों के हितों को लेकर और उनके हितों की रक्षा के लिए और उनके हितों को साधने के लिए हम यह बजट लेकर आए हैं। किसी एक परिवार के लिए यह बजट नहीं आया है। मैं आखिरी लाइन में अपनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। विपक्ष के लोगों की सोच है कि इतना अच्छा बजट कैसे आ गया और इतनी अच्छी सरकार कैसे चल रही है, जबकि चाहिए तो यह था कि वे इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना साकारात्मक सहयोग देते लेकिन इन्होंने नौटंकी करने का काम किया है। जिस दिन से बजट सेशन शुरू हुआ है उस दिन से ही इनकी नौटंकी चल रही है। ये सदन के बाहर भी बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में नारे लगे थे उसी तर्ज पर प्रदेश के टुकड़े करने की बात कांग्रेस के साथियों द्वारा की जा रही है, जो बहुत निंदनीय है। हम स्वागत करते हैं कि वे सदन के अंदर आयें और अंदर आ करके अपनी बात कहें। जिस तरह की नौटंकी वे बाहर कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है। आज भी वे नौटंकी करके गए हैं। उनको सदन में आना चाहिए और नौटंकी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमारे कुछ साथियों को क्योंकि सत्ता चली गई है और आज उनकी सत्ता नहीं है, यह बात उनको गवारा नहीं लगती है इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। एक दिन रणदीप सुरजेवाला जी सदन में आये थे और बाद में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसमें वे एस.वाई.एल. पर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं सदन के माध्यम से सुरजेवाला जी से पूछना चाहूंगा कि यदि उनको एस.वाई.एल. की इतनी ही चिंता है तो वे सदन के अंदर हाजिर रहते। यहां केवल नौटंकी में हिस्सा लेने नहीं आते। जिस दिन से नई विधान सभा का गठन हुआ है यह रिकार्ड की बात है और हरियाणा की जनता देख रही है कि सुरजेवाला साहब केवल नौटंकी करते हैं। यदि वे एस.वाई.एल. के पानी के लिए सीरियस होते तो सदन में आकर यह सुझाव देते कि एस.वाई.एल. का पानी किस प्रकार से लाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी भी कह रही थी कि उन्हें सदन से निकाल दिया गया वरना हम सरकार की धज्जियां उड़ा देते। मैं दो लाईनों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि-

सुना था कि गालिब के परखच्चे उड़ेगे,
गये थे हम भी पर तमाशा नहीं हुआ।

यह बात कहकर आखिर में मैं मेरे उन साथियों से निवेदन करूंगा कि जो नुककड़ नाटक उनका चल रहा है, उसको वे बंद कर दें तथा सरकार के विकास की चिंता और चर्चा जो इस सदन में हो रही है, उस पर आकर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल वित्तमंत्री जी कैप्टन अभिमन्यु जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर मेरे विपक्ष के साथी आकर चर्चा करें और सरकार को सुझाव दें तो यह प्रदेश हित में होगा। अंत में मैं बजट की सराहना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता(पंचकुला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने वाला बजट पेश किया है जिससे प्रदेश में चहुँमुखी विकास होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा बजट इससे पहले शायद कभी इस सदन में पेश हुआ होगा, क्योंकि इस बजट के अंदर लगभग हर क्षेत्र में कम से कम 20 से 22 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो राशि इस बजट में आबंटित की गई है उसमें 20 प्रतिशत से लेकर 83 प्रतिशत तक बढ़ौतरी की गई है। मैं आदरणीय वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट के अंदर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो 83 प्रतिशत की बढ़ौतरी पिछले बजट के मुकाबले की है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, गरीब के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, कमजोर व्यक्तियों के उत्थान के लिए और सबसे पिछली पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के विकास के लिए पहली बार किसी सरकार ने 17.00 बजे सोचा है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले वाली सरकारें केवल इस बारे में बातें ही करती रही। नये-नये सब्जबाग दिखाकर केवल वोट लेने का काम ही पूर्व की सरकारों द्वारा किया गया है, लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार जो हमारे समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसके सम्पूर्ण उत्थान के लिए राज्य के बजट में 83 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और मौजूदा सड़क नेटवर्क को मज़बूत करने का दृढ़ निश्चय किया है। इस मद में हमारी सरकार द्वारा पिछले बजट की तुलना में 53 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से मैट्रो के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के ये सभी फैसले भी ऐतिहासिक हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हरियाणा प्रदेश की सड़कों की जो दुर्गति तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में हुई वह हम सब के सामने की बात है। हमारे प्रदेश का पंचकुला शहर जिसको मिनी कैपीटल कहा जाता है वहां पर भी लोग अच्छी सड़कों के लिए तरसते थे। हमारी सरकार ने जो बजट सड़कों के लिए रखा है उसके अभूतपूर्व परिणाम सामने आयेंगे और हमारे प्रदेश का सड़क नेटवर्क पूरे देश में सभी से बेहतर हो जायेगा। ऐसे ही पशुपालन विभाग के लिए जो बजट रखा गया है उसमें 36.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और बागवानी विभाग के बजट में 58.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह भी हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छे ढंग से काम करना चाहती है। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के सुधारीकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार द्वारा किये गये हैं। पिछली सरकार ने तो 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं तक समाप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मूर्खतापूर्ण फैसले किये थे। पिछली सरकार ने ऐसा करके यही फैसला किया गया था कि एक बच्चे को बिना किसी एग्जाम के सीधे ही 10वीं क्लास में प्रमोट कर दिया जाये। हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले पर विचार करके यह फैसला किया कि हमें 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दोबारा से शुरू करनी चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर उच्चतम हो सके। हमारी सरकार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से समझती है, इसलिए इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसले कर रही है। हमारी सरकार ने औद्योगिक शिक्षा, उद्योग एवं व्यापार, वन्य एवं जीव विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ हर क्षेत्र के बजट में लगभग 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की

गई है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह तमाम क्षेत्रों के बजट में इतनी ज्यादा वृद्धि बिना एक पैसे का भी नया टैक्स लगाने के बावजूद की है। हमारी सरकार द्वारा कोई भी नया टैक्स इस वर्तमान बजट के अंदर नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत बहुत सारे टैक्सिज़ के अंदर हमारी सरकार ने रियायतें दी हैं। हमारी सरकार ने ऐसा बजट बनाया है कि जिससे हमारे प्रदेश में भरपूर औद्योगिक विकास होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में देश और विदेश से भी नये-नये उद्योग आकर तेज़ी से स्थापित होंगे। राज्य में भरपूर औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार अनेकों योजनाओं पर कार्य कर रही है और अनेकों योजनाओं की शुरुआत कर रही है। पिछले दिनों जो हमारी सरकार ने गुड़गांव में "हैपनिंग हरियाणा इंटरनेशनल इन्वैस्टर मीट" का आयोजन किया था उसमें पूरे देश और विश्व से उद्योगपति हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने के लिए आगे आये, यह अपने आप में बेमिसाल है। हरियाणा प्रदेश में 5.84 लाख करोड़ रुपये की इन्वैस्टमेंट करने के एम.ओ.यू. साईन हुई हैं। मेरे विचार से यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का एक सराहनीय फैसला है। इस आयोजन को डिरेल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किये गये ताकि यह हैपनिंग हरियाणा का आयोजन न हो अर्थात् यह इन्वैस्टर मीट न हो, यह समिट न हो। इसको रोकने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गये लेकिन इन सबके बावजूद भी जिस प्रकार से निवेशकों ने हरियाणा प्रदेश में निवेश करने के लिए भरोसा जताया है वह अपने आप में बेमिसाल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के ऊपर बल दे रही है। हमारी सरकार यह अच्छी प्रकार से समझती है कि अगर हमारे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत होगा तो उससे हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के विकास कार्यों की गति तेज़ हो जायेगी। अगर हमारी सड़कें ठीक होंगी, अगर हमारे प्रदेश के अंदर रेल नेटवर्क सही होगा और हवाई यात्रा की बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगी तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इसी को दृष्टि में रखते हुए हमारी सरकार नई-नई योजनायें सामने लेकर आई है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी सरकार द्वारा करवाया जाने वाला यह विकास पच नहीं रहा है और वे इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण इस प्रकार की देश, प्रदेश और समाज विरोधी ताकतें हरियाणा प्रदेश की शांति को भंग करना चाहती हैं। इसी कारण उनके द्वारा जाट आरक्षण आंदोलन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में खून की होली खेली गई, दुकानदारों की दुकानें जलाई गई, कारखाने जलाये गये और मकान जलाये गये। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी यह सब कुछ किया है उन लोगों ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्योंकि आपसी भाईचारे को उन्होंने तार-तार करके रख दिया। इस प्रकार से आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया गया। (विघ्न)

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजट पर बोलें न कि जाट आंदोलन पर अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : जिन दुकानदारों की दुकानें जलाई गई हैं उनके लिए राहत राशि का भी बजट में प्रावधान किया गया है, इसलिए यह भी बजट का ही हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष : उस आंदोलन के कारण बजट तो प्रभावित हुआ ही है तथा बजट में उस राहत की राशि का प्रावधान किया गया है इसलिए यह बजट का ही हिस्सा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस आरक्षण आंदोलन से पहले जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस किस्म के बयान दिये और जिस तरह से लोगों को उकसाया उनके नाम भी सदन को बताये जायें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, वह एक अलग मामला है और आपने हाउस में जो काम रोको प्रस्ताव दिया था उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है इसलिए अब इस मामले को उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए प्रकाश सिंह आयोग बनाया गया है और वह इस पर काम भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज कहा जा रहा है कि हमारी सरकार ने बहुत जल्दी से पीड़ित दुकानदारों को सहायता राशि देने का काम किया है, दुकानदारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, लेकिन अभी तक केवल 41 करोड़ रुपये ही दुकानदारों को वितरित हुये हैं। मैं समझता हूँ कि जिसका करोड़ों रुपये का शुरुम जल गया, जिनका 50-50 करोड़, 20-20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इस थोड़ी सी रकम से उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। सैंकड़ों सालों से जिनका बिजनेस चला आ रहा था जिनकी दुकान शहर में जानी-मानी दुकान थी उनको टारगेट करके जलाया गया है। उन दुकानदारों को मुआवजा राशि शीघ्रताशीघ्र मिलनी चाहिए ताकि वे अपने बिजनेस को दोबारा से शुरू कर सकें तथा अपने बच्चों को पाल सकें। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बड़ा कमाल का बजट पेश किया है तथा इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कुछ मर्दों में तो टैक्स कम किया गया है। इलैक्ट्रॉनिक वाहनों के ऊपर टैक्स 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार से जूता अमीर और गरीब सभी लोग पहनते हैं जिस पर टैक्स 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार से किसानों की सबसे बड़ी जरूरत जो पशुपालन में काम आती है खल और बिनौला, जिस पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसी तरह से सेवैयां जैसा उद्योग जिसको हम घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह हमारी सरकार का नजरिया है कि अगर रेट ऑफ टैक्स कम होगा तो टैक्स ज्यादा आयेगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। हमारी सरकार ने यह जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टैक्स के स्ट्रक्चर को सिम्पलीफाई करके दुकानदारों को राहत देंगे तो उससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। पिछले 10 सालों से जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और जिस प्रकार से सी.एल.यू. के नाम पर घोटाले हुए, जमीनों के घोटाले हुए, नौकरियों में धांधली हुई और जिस प्रकार से भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद हुआ लेकिन जब से हमारी बी.जे.पी. की सरकार सत्ता में आई है वह ट्रांसपेरेंसी लेकर आई है। यह सरकार हर चीज में पारदर्शिता लेकर आई है। जहां तक नौकरियों की बात है हमने कहा कि नौकरियों में कोई भाई-भतीजावाद नहीं होगा और नौकरियों में पहले जो धांधली होती रही है हमारी सरकार ने उनको रोकने का काम किया है। आज मैं समझता हूँ कि मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र पंचकुला पहली सरकार के समय में पूरी तरह क्षेत्रवाद का शिकार हुआ है। पंचकुला लगभग 20 साल पहले बना था। लेकिन उसका काम तो उसी तरह हुआ कि जैसे बच्चे को जन्म तो दे दिया गया लेकिन उसकी परवरिश के लिए पिछले 20 सालों से कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज चाहे कोई

यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई लॉ कॉलेज, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल देख लीजिए, कोई भी चीज पंचकुला में नहीं हैं। मेरे साथ आदरणीय परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि सभी जिलों में बस डिपो बने हुए हैं लेकिन पंचकुला में बस डिपो नहीं है।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने इनके क्षेत्र पंचकुला में सब डिपो बनाने के लिए फाईल मंगा रखी है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा के नक्शे पर कहीं भी पंचकुला का नाम नहीं है। पंचकुला का तो वह हाल हुआ है जिस प्रकार से कोई नाजायज बच्चा पैदा हो जाता है और उसको कोई पूछता ही नहीं क्योंकि वहां विकास का कोई भी एक काम नहीं हुआ।

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, जो परिवहन मंत्री जी कह रहे थे कि हमने पंचकुला में डिपो बनाने के लिए फाईल मंगवा ली है तो मेरी भी इनसे प्रार्थना है कि मेरे हल्के असंध की भी एक फाईल उनके पास आ गई होगी उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सी.पी.एस. महोदय, ने जो असंध के बारे में कहा है और असंध मेरा पुराना विधान सभा क्षेत्र रहा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि असंध में सब डिपो बनाने संबंधी उनकी फाईल आई हुई है उसको पी.पी.पी. मोड पर बनाया जायेगा जिसको मैंने आज ही डिपार्टमेंट को डाऊन मार्क किया है कि वहां पर सब डिपो बनाया जाए।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पंचकुला में नगर निगम की स्थापना हुई है इसके अलावा और भी कई बड़े-बड़े शहरों में हुई है, लेकिन पंचकुला में नगर निगम की स्थापना बड़े अद्भूत ढंग से हुई है। कालका पंचकुला से 25 किलोमीटर दूर है। वहां की म्यूनिसिपल कॉर्रिपोरेशन को तोड़ दिया गया है, पिंजौर म्यूनिसिपल कॉर्रिपोरेशन को तोड़ दिया गया और उनको पंचकुला के साथ मर्ज करके कॉर्रिपोरेशन बना दिया गया है। कॉर्रिपोरेशन बनने के बाद जो गांव उस कॉर्रिपोरेशन के अन्दर आए हैं उनमें पिछले दिनों जब से कॉर्रिपोरेशन बनी है उसी दिन से आज तक उन गांवों के अन्दर कोई भी सुविधा नहीं दी गई। जो वहां पर पहले पंचायतें काम करती थी वे पंचायतें अपने आप निर्णय लेती थी। लेकिन अब यह नगर निगम बनने के बाद अगर पंचकुला को 24 घण्टे बिजली देने का अंग बनाया है तो वहां 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। कम से कम उन गांव को तो जरूर मिलनी चाहिए जो पंचकुला नगर निगम का हिस्सा हैं। अगर वहां पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं तो वहां पर सफाई होनी चाहिए लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था पिछले 10 सालों में नहीं की गई। सिर्फ नगर निगम का बोर्ड लगा दिया गया कि यह नगर निगम का हिस्सा है। पंचकुला को जिला बने हुए काफी लंबा समय बीत चुका है परन्तु बावजूद इसके अभी तक यहां पर कोई भी प्रोफेशनल मैडीकल कॉलेज नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट में पंचकुला को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए यहां पर मैडीकल कॉलेज बनाने का प्रावधान किया है उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतें चुनी गई हैं। इस बार हुए चुनावों में जो पंच, सरपंच, जिला परिषदों के मैम्बरज तथा ब्लॉक समिति के मैम्बरज चुनकर आये हैं उनमें

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। वर्तमान समय में पट्टी-लिखी पंचायतों की महती आवश्यकता बन चुकी थी और इस पुनीत कार्य के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उन्हीं के प्रयासों ने पूरे भारत वर्ष को पट्टी लिखी पंचायतों के मामले में एक अलग राह दिखलाई है। आज गांव के लोग बहुत खुश हैं और निःसंदेह इससे गांव के विकास में बहुत तेजी आने वाली है। कुछ समय पहले तक बहुत सी पार्टियां यह दावा करती थी कि गांवों में केवल उनका ही हक है और उनके सिवाय गांवों में कोई दूसरा व्यक्ति या पार्टी एन्ट्री नहीं कर सकती है। लेकिन आज जिस प्रकार के रिजल्ट आये हैं और जो 14 जिला परिषद के चेयरमैन तथा वार्ड्स चेयरमैन चुने गये हैं, वह सभी भारतीय जनता पार्टी के ही चुने गये हैं। इस तरह के परिणामों ने विरोधी दलों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष के लोग इस तरह की बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों ने बड़े ही अभूतपूर्व ढंग से पंचायत, जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनावों में विजय प्राप्त कर गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी की एन्ट्री का बिगुल बजा दिया है। आज प्रदेश में जिस प्रकार की उद्योग नीति अपनाई जा रही है, इस नीति के फलस्वरूप निश्चित तौर से प्रदेश के युवाओं को नौकरियां प्राप्त होंगी और प्रदेश का चहुंमुखी विकास भी संभव हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के द्वारा प्रदेश के सिस्टम में निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी आई है और भ्रष्टाचार की समस्या पर लगाम लगी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ई-सर्विसिज लागू कर दी गई हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो हाथों हाथ जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कल्पना आज से पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। चाहे ड्राईविंग लाईसेंस हो या अन्य दूसरी सुविधायें हों, इनको ई-सर्विसिज के माध्यम से जोड़कर इस प्रक्रिया को भी बहुत ही सहज और सुलभ बना दिया गया है। पहले रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलदार के पास 20000 से 30000 रुपये देने पड़ते थे लेकिन अब जब से ई-रजिस्ट्री की सुविधा अस्तित्व में आई है, उसी दिन बिना पैसे के रजिस्ट्री मिल जाती है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही कमाल है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) आज प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है। “सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा पर काम करते हुए आज प्रदेश के सभी 21 जिलों में महिला थाने खोले गये हैं। आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में हर क्षेत्र में पारदर्शिता आई है उसे देखकर लगता है कि भविष्य में भी लोगों को कुछ और अच्छी तथा नई चीजों से रूबरू होना पड़ेगा और वे कहने को मजबूर हो जायेंगे कि जितना काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने पांच साल के शासन काल में करके दिखाया है उतना काम तो हरियाणा प्रदेश के पिछले 50 वर्षों के दौरान भी संभव नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती लतिका शर्मा (कालका): अध्यक्ष महोदय, मैं तथा माननीय श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी पंचकुला जिले से ही संबंध रखते हैं। मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपना स्थान ले लूंगी। माननीय ज्ञान चंद गुप्ता जी ने जो पंचकुला का म्युनिसिपल कारपोरेशन के अधीन होने के बावजूद भी शहर की लचर व खराब व्यवस्था के बारे में जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है, वह बहुत ही वाजिब है। कालका और पिंजौर भी म्युनिसिपल कारपोरेशन, पंचकुला के अधीन आते हैं लेकिन बावजूद इसके यहां गंदगी के अम्बार लगे हुए हैं और बहुत बुरा हाल है। मैं समझती हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन काल में इस जिले पर ज्यादा गौर किया जायेगा और सभी

प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। इसके अतिरिक्त में माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि मोरनी हरियाणा प्रदेश का एक मात्र पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर बस क्यू शैल्टर्ज का तो प्रावधान कर दिया गया है लेकिन मोरनी में बस स्टैंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि यहां पर कोई बड़ा बस अड्डा न सही, कम से कम एक छोटा बस अड्डा तो बना ही दिया जाना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, बहन लतिका शर्मा जी की तरफ से मोरनी क्षेत्र में बस क्यू शैल्टर्ज बनाने की डिमांड मेरे पास आई थी, उसको मंजूर कर दिया गया है। जैसाकि मोरनी में बस स्टैंड के बारे में कहा गया है, मैं बहन जी से निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में लिखित रूप से मेरे पास भिजवा दे। हम इसको एग्जामिन करवायेंगे और हर संभव उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अब श्री अभय सिंह चौटाला जी बजट पर बोलेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ। उनको सुनने के लिए ना तो हाउस के अंदर सदन के नेता हैं और ना ही संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि जब विपक्ष का नेता सदन में जो बातें कहे, उन बातों का जवाब देने के लिए नोट करें क्योंकि उन बातों का जवाब केवल संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री या सदन के नेता ही दे सकते हैं। इसलिए यदि आज वे सदन में उपस्थित नहीं हैं तो मैं कल उनके सामने अपनी बात कह लूंगा, इसलिए अब आप किसी और माननीय सदस्य से बजट पर चर्चा करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब दुल साहब बजट पर बोलेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा बजट 2016-17 पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, जनता को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी कि प्रदेश के अंदर जो नाकामियां रही हैं उनसे सबक सीखकर सरकार कुछ अच्छा काम करेगी। बजट 2016-17 में ऐसा महसूस हुआ है कि लोगों के हितों के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस बजट का आंकलन करेंगे तो वर्ष 2015-16 के बजट के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र भी देखना पड़ेगा। मैं वर्ष 2015-16 के बजट को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा-पत्र में जो 32 घोषणाएं की थी, उनमें में 14 घोषणाओं पर सरकार आज तक कोई काम या प्रस्ताव शुरू नहीं कर पाई है। ज्यादातर घोषणाएं जैसे 'अटल खेती बाड़ी योजना', 'प्रधानमंत्री कृषि योजना' 'डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्य योजना' व 'गेहूँ धान फसल योजना' कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की पिछली चार फसलों का मण्डियों में उचित भाव नहीं मिला है, उससे किसान दुर्दशा में है। किसान बात देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य चुनावी वायदा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसे सरकार कब लागू करेगी ? अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों को एक सहारा दिया जा सकता है। आज देश का अन्नदाता इंतजार कर रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार कीमते घटने से सरकार के पास जो पैसा आया है, उससे उनको कुछ लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, किसी योजना का लाभ देना तो दूर की बात है,

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

आज हरियाणा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की 'फसल बीमा योजना' का झुंझुना बजा रही है। सरकार इसको प्रधानमंत्री जी की योजना बताकर के वाह-वाही लूटने का प्रयास कर रही है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, वाह-वाही तो हो रही है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने आपसे नम्र निवेदन किया था कि एक दिन इस पर चर्चा का रख लें ताकि हमारी शंकाएं दूर हो सकें और इसमें जो कमियां रही हैं, उनको ठीक करने के लिए एक रैज्योलूशन हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा सके। आज के वर्तमान प्रारूप में जैसा बताया गया है कि डेढ़ प्रतिशत तो रबी में, 2 प्रतिशत खरीफ में और 5 प्रतिशत बागवानी में किसानों को फसल बीमा के नाम पर देना पड़ेगा जो किसान के लिए आसान नहीं है। आज यदि हम अमेरिका जैसे विकसित देश की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि फसलों के नुकसान का 2/3 हिस्सा वहां की केन्द्रीय और दूसरी सरकारें वहन करती हैं। जमींदारों को इसमें राहत दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और चिंता यह है कि जो नुकसान होगा वह एक खेत का नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक की इकाई का होगा। पूरे ब्लॉक में नुकसान है तो उसे संज्ञान में लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मेरे जैसे जमींदार का एक एकड़ में से आधा एकड़ खराब हो गया और आधा एकड़ रह गया है तो वह इस योजना में कवर नहीं हो पायेगा। जो प्रारूप हम समझ सके हैं उसके मुताबिक ही मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हाउस के अंदर चर्चा करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश को कर्ज मुक्त प्रदेश बनाएंगे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उस समय प्रदेश के पैदा होने वाले हर बच्चे के ऊपर 30 हजार रुपये का कर्जा था। अफसोस है कि आज यह कर्ज 50 हजार रुपये तक होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार का यह नहीं पता कि उसका दायं हाथ क्या कर रहा है और बायां हाथ क्या कर रहा है ? इसका नतीजा पिछले साल का कार्यकाल रहा है। सरकार ने वायदा किया था कि हर टेल तक पानी को पहुँचायेंगे, माईनरों का जाल बिछायेंगे, सिंचाई योजना को नये रूप में लायेंगे, किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, फसलों की कीमतों में वृद्धि करेंगे, खेतों के परिभाषित मार्ग पक्के करेंगे, मंडियों को समार्टसिटी टाउनशिप देंगे। सरकार का वायदा था कि हम प्रदेश को बौद्धिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, वाईफाई से जोड़ेंगे, बी.पी.एल. मकानों को पक्का करेंगे, सुव्यवस्था करेंगे, कृषि राहत देंगे, एस.वाई.एल. का निर्माण करेंगे और जल क्रांति लाएंगे इत्यादि। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र बहुत बड़ा है यह तो सिर्फ एक झलक है। बजट में किसी भी ऐसी नई योजना का जिक्र नहीं है जो इनके घोषणा-पत्र के अनुरूप चली हो। अध्यक्ष महोदय, घोषणाओं का मायाजाल बिछाकर भाजपा ने सत्ता तो प्राप्त कर ली लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि जनता के बीच जाने पर भाजपा की हालत गम्भीर है और मुझे नहीं लगता कि जनता में इनके मन-मुताबिक भावना होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं। (विघ्न) भाई, मैं तो विपक्ष में रहते हुए पहले भी चुनाव में जीता था, अब भी जीता हूँ और भगवान की कृपा रही तो आगे भी चुनाव अवश्य लड़ूंगा। (विघ्न)

खनन एवं भूगर्भ राज्य मंत्री (श्री नायब सिंह सैनी) : अध्यक्ष जी, क्या माननीय सदस्य ने

पंचायत के चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का हाल नहीं देखा ?

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, अगर भाजपा में दम होता तो हमारी चुनौती को स्वीकार करके पंचायत के चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर लड़कर देख लेती। (विघ्न)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पार्टी स्वयं अपने उम्मीदवारों को पार्टी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़वा सकती थी। इनको किसने रोका था ? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश बड़वा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण अपनी पार्टी की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, भाजपा ने हमारे उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का पट्टा पहनाकर अपनी पार्टी का सरपंच घोषित कर दिया है। (विघ्न) भाजपा सत्ता में बैठी है। अगर भाजपा चाहे तो आने वाले नगर परिषद में पार्टी चुनाव चिह्न पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ ले। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया हाउस में शांति बनाए रखिये और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में सहयोग कीजिए।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी तीन बातों का जिक्र करते हैं। आज अगर उनके विचारों पर हरियाणा प्रदेश में हो रहे अमल को देखें तो उनकी पार्टी में न नियति है, न नीति है और न ही नजर है। आज इनकी विकास योजनाएं ऐसी हैं कि अगर ये भरसक जोर लगाकर एक कदम आगे बढ़ाएँ तो इनके 10 कदम पीछे जाने का काम हो रहा है। अब मैं बजट पर चर्चा करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है। केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशों के अनुसार बजट में घाटा नहीं होना चाहिए। इस सरकार का पिछले वर्ष बजट घाटा 8 हजार करोड़ रुपये था जो इस वर्ष बढ़कर 12,200.35 करोड़ रुपये हो गया है। यह घाटा बढ़ना नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा 25,115 करोड़ रुपये हुआ है। अगर बजट के इन दोनों घाटों को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 37,340 करोड़ रुपये अनुमानित है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। वास्तविक रूप में घाटा और भी ज्यादा होगा। वर्ष 2015-16 के बजट में 16,423.58 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था जबकि वास्तविक घाटा 30,395.67 करोड़ रुपये का था। आज सरकार ने 25,115 करोड़ रुपये का बजट घाटा दिखाया है परंतु जैसी सरकार की कार्य-प्रणाली रही है उसके मुताबिक यह घाटा बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है। अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश का जन्म 1 नवम्बर, 1966 को हुआ था। हमारे प्रदेश पर 31 मार्च, 2005 तक 23,400 करोड़ रुपये कर्ज था और यह लगभग 6 सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहा। पिछली सरकार वर्ष 2005-2014 तक हरियाणा प्रदेश पर 82,305 करोड़ रुपये कर्ज छोड़कर गई थी लेकिन वास्तविक कर्ज 89,000 करोड़ रुपये था। इसका मतलब हरियाणा पर पिछली सरकार के शासन काल में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से कर्ज बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान बजट के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा पर 1,40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित कर्ज है। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में हर पैदा होने वाले बच्चे पर 50

[श्री परमिन्द्र सिंह दुल]

हजार का कर्ज है। इसके अतिरिक्त यह सरकार मई, 2015 से फरवरी, 2016 तक 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा ले चुकी है। प्रदेश में अभी 7वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू होनी हैं। इसके लागू होने पर प्रदेश पर और भी ज्यादा कर्जा बढ़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम रोजगार देंगे जबकि असलियत यह है कि पिछले बजट में सैलरी और पेंशन के लिए 43.89 परसेंट एलोकेशन की गई थी जोकि इस वर्ष घटकर 39.63 परसेंट रह गई है यानि 4 परसेंट इसको घटाया गया है।

श्री अध्यक्ष : दुल जी, आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 20-22 मिनट बोलने का समय दिया था। यदि आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : दुल जी, आप शॉर्ट में अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों पर ही आधारित अपनी बात कह रहा हूँ। 4 परसेंट बजट सैलरीज और पेंशन में घटाया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रदेश में नई नौकरियां नहीं आने वाली हैं। नई नौकरियां आने की सम्भावना होती तो सैलरीज और पेंशन में बजट का दायरा बढ़ाया जाता। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि 7वां वेतन आयोग आने वाला है लेकिन फिर भी इसके लिए बजट कम दिया गया है। इसका मतलब है कि नौकरियां खत्म होने वाली हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये कहां से रोजगार देंगे और कहां से कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे जिसकी वे बार बार मांग कर रहे हैं ? कहां से प्रदेश के कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को 65 से 70 परसेंट की बढ़ोतरी देंगे, जिसकी वे मांग कर रहे हैं ? वे मैडीकल भत्ते भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग के सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उनको पंजाब के समान वेतनमान कहां से देंगे ? मुझे लगता है कि यह बजट प्रदेश में रोजगार देने वाला नहीं बल्कि बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। आज कम्प्यूटर टीचर्स, गैस्ट टीचर्स और जे.बी.टी. टीचर्स धरने दे रहे हैं। बजट में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। अगर पूरे हरियाणा में से महेन्द्रगढ़, मेवात, हमारा जिला आदि कुछ जिलों को अलग कर दें तो यह प्रति व्यक्ति आय केवल पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव की बनती है। बाकी हरियाणा में यह प्रति व्यक्ति आय 65 हजार रुपये है जिसका मतलब है कि हम लोगों के जिलों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। पिछला जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ था, उसमें किसान की सालाना औसत आय लगभग 20 हजार रुपये बताई गई है इसका मतलब 1666 रुपये में किसान गुजारा कर रहा है। केन्द्रीय बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना था कि वर्ष 2022 तक किसान की आय को दुगना कर देंगे। आज यदि किसान की आय दुगनी कर दें यानि 3300-3400 रुपये कर दें तो किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगा और भरपेट भोजन करा सकेगा। प्रदेश का जो हमारा अन्नदाता है वह खुद भूखे रहकर प्रदेश के लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन उसकी खुद की हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1970 में गेहूँ का समर्थन मूल्य 76 रुपये था और वर्ष 2014 में यानि 45 वर्षों के बाद

गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपये हो गया यानि इसमें 19 गुणा वृद्धि हुई है। अगर उस समय के सरकारी कर्मचारियों की तनखाह लगाई जाए तो वह 150 गुणा बढ़ी है और अध्यापकों की तनखाहें 300 गुणा बढ़ी हैं। अगर किसान की भी उस समय की आय लगाई जाती तो आज 7600 रुपये प्रति किंवाटल के हिसाब से उसका अनाज बिकता। किसानों के साथ लगातार अनदेखी हो रही है। हमें आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए बजट में कुछ लेकर आएगी, लेकिन हमें बजट को देखकर बहुत निराशा हुई। हमारे देश में डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ समझौता हुआ था। डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ जिसने समझौता किया था उनको डब्ल्यू.टी.ओ. ने एक शर्त रखी थी कि अगर किसान की सालाना आमदनी में कमी आई और बाजार भाव से उसको अपनी फसल का कम दाम मिला तो जो फण्ड इकट्ठा किया गया है उस फण्ड से उसको सहायता देकर उसकी भरपाई की जाएगी। हिन्दुस्तान इसका सिग्नेचरी होने के बाद भी कितने वर्षों तक डब्ल्यू.टी.ओ. का देश ने विरोध किया था लेकिन उसके बाद भी आज तक उसकी अनुपालना नहीं हो पाई।

श्री अध्यक्ष : दुल जी, आप एक मिन्ट में अपनी बात वाइंड अप करें, आपको बोलते हुए 15 मिन्ट हो गए हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 20 मिनट बुलवाने का वायदा किया था, इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए 5 मिनट का समय और दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिन्ट में अपनी बात वाइंड अप करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संघु : अध्यक्ष महोदय, आपने सुभाष बराला जी को 20 मिन्ट तक बुलवाया, ज्ञान चंद गुप्ता जी भी अपनी मर्जी से बोले हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि दुल जी सीनियर मैम्बर हैं इसलिए इनको बोलने के लिए 5 मिनट का समय और दिया जाए।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बागवानी और सब्जी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार से निर्धारित करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे जिले से चुनकर आया हूँ जहां पिछले दस साल से विकास नहीं हुआ। सरकार ने भी अपने श्वेत पत्र में माना है कि जींद जिले के साथ अनदेखी पिछली सरकार के समय में हुई है। उसके बावजूद जींद जिले के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का पैकेज था, उसमें आनाकानी क्यों की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत पुरानी मांग है कि हमारा इलाका सिंचाई के लिए नहर पर निर्भर करता है और नहरों की मुरम्मत के लिए बजट में 2622 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज जो हरियाणा का पूरा नहरी सिस्टम है, यदि उसका सर्वे करवाया जाए तो उसको सुधारने में 5 से 6 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। फिर 2622 करोड़ रुपये में सरकार हरियाणा के खालों की किस तरह से रि-मोडर्निंग का काम करेगी। एस.वाई.एल. कैनाल का पानी भी नहीं आ रहा और हांसी बुटाना लिंक नहर का पानी भी नहीं आ रहा। भगवान भी नाराज है, पता नहीं किसानों का क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, जींद नहरी डिवीजन बहुत बड़ा है जिसमें 2.32 लाख एकड़ भूमि पड़ती है। शायद हरियाणा का यह सबसे बड़ा डिवीजन है। मैं पहले भी मांग कर चुका हूँ कि जींद में दो नहरी डिवीजन बनायें जाएं एक हांसी ब्रांच पर निर्धारित हो और दूसरा सुंदर ब्रांच पर निर्धारित हो। सुन्दर ब्रांच पर 1.18 लाख एकड़ भूमि हो और हांसी ब्रांच पर 1.14 लाख एकड़ भूमि हो जाये। अब जो इतना बड़ा डिवीजन है उसमें प्रोपर काम नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : दुल साहब, प्लीज, अब आप बैठें।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की कुछ मांगे रखना चाहता हूँ। प्लीज, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप इन सारी बातों को लिखित में दे दें उनको सदन की कार्यवाही में ऐंड कर लिया जायेगा।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, वे मैं लिखित में दे दूंगा लेकिन एक मिनट का समय और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है इसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि यह किसान, व्यापारी और गरीब तबके का विरोधी बजट है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि -

आओ सब मिलकर प्रण ये करें, सब घुल मिल कर जी जायेंगे,

भारत मां की प्रण प्रतिष्ठा को तन मन धन से ऊजलायेंगे।

(इस समय चेयर की परमिशन से श्री परमिन्द्र सिंह दुल ने अपनी लिखित स्पीच सदन की पटल पर रखी)

*उसी प्रकार मेरे हल्के में पांच करम के कई कच्चे रास्ते हैं जिनसे मंडियों में आवागमन होता है जैसे की भैरोंखेड़ा से डिगाना लगभग ढाई कि.मी., डिगाना से पडाना लगभग साढ़े तीन कि.मी., निडाना से निडानी होते हुए गांव बिरोली अगर यह तीनों मार्ग पक्के कर दिए जाते हैं तो 15 से ज्यादा गांवों को जींद शहर में प्रवेश करे बिना जींद अनाजमंडी में जाना आसान हो जायेगा। न सिर्फ इतना ही बल्कि उनके लिए 10-12 कि.मी. का रास्ता भी छोटा होगा। इसी प्रकार गतौली गांव से करसोला, गतौली से रामकली, रामराय से बीबीपुर लगभग ढाई कि.मी. का रास्ता पक्का हो जाये तो किसानों को शहरों तथा मुख्य मार्गों पर आए बिना मंडियों का रास्ता मिल जायेगा। इसी प्रकार 5 करम के अन्य रास्ते हैं करेला से मालवी, करेला से गढ़वाली, झमोला से खरेंटी, खेड़ा बख्ता से जुलाना, राजगढ़ से जुलाना, शामलो खुर्द से गोसाईं खेड़ा, बीबीपुर से बुआना प्रमुख हैं। खेड़ा बख्ता से जैजैवन्ती रेलवे स्टेशन तक तथा गांव घिमाना से बिशनपुरा रेलवे स्टेशन तक का रास्ता पक्का किया जाये ताकि स्टूडेंट पढाई करने के लिए तथा नौजवान रोजगार हेतु सुगमता से रेलवे प्रयोग कर सकें। इससे लगभग 20-25 गांव को फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग भी मानता है की शादीपुर माईनर व जुलाना सब-माईनर गलत बनी हुई हैं। उनकी रिमॉडलिंग की जाये। रजबाहा नंबर 4 की बुर्जी नं0 50 तक किनारों को ऊंचा करके पानी की कमी को पूरा किया जा सके तो क्षेत्र में पानी व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। इसी प्रकार लुदाना माईनर का पुन निर्माण होना आवश्यक है क्योंकि इन सभी रजबाहों में टेल तक पानी गए बरसों बीत गए।

अध्यक्ष महोदय, जुलाना अस्पताल में डेंटीस्ट की पोस्ट है परन्तु दो वर्ष पहले दो डेंटल चेयर चोरी हुई थी तथा एक एक्सरे मशीन चोरी हुई थी F.I.R दर्ज करवाए जाने के बावजूद आज तक चेयर तथा मशीन उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। इसी प्रकार गांव निडाना व रामराय में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद प्राईमरी हेल्थ सेंटर भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी प्रकार गांव खरक रामजी व शामलो कलां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड किया जाये और उनके भवनों को सुधारा जाये।

* चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया।

खेलकूद का जिक्र करें तो अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के से खिलाड़ियों ने समय-समय पर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। परन्तु खेद है की सरकार की तरफ से कोई सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है। लगभग 8-10 खेल स्टेडियमों की तुरन्त आवश्यकता है, और हां, सिर्फ चार-दीवारी नहीं अपितु सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियमों की जैसे की जुलाना कसबे में मल्टी-पर्पज खेल स्टेडियम की आवश्यकता है। मेरे अपने गांव रामराय ने तैराकी में इतने मैडल व सर्टिफिकेट प्राप्त किये हैं कि यदि उन्हें इकट्ठा करके इस महान सदन को प्रमाण के रूप में दिखाने लाऊँ तो शायद हमें खड़े होने की जगह न मिले।

इसी के साथ ही मेरे हल्के में निडानी गांव में भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल चल रहा है जिसके कई बच्चे एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं तथा कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अब तक की पिछले वर्ष की प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर स्कूल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में 45, गोल्ड, 15 सिल्वर और 20 कांस्य पदक हासिल किये हैं और राज्य प्रतियोगिता में 60 से ऊपर गोल्ड, 30 सिल्वर और 40 कांस्य पदक हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इसको मिलने वाली सहायता को पिछले कांग्रेस राज में राजनीतिक कारणों से बन्द कर दी गई थी। इसमें जो SAI का कुश्ती सेंटर था उसको भी बंद कर दिया गया था ये संस्थान समय-समय पर विदेशी कोचों को अपने खर्च पर बुलाता रहा है। इस वर्ष भी इसी संस्थान के कुश्ती खिलाड़ी हरदीप ढिल्लों रिओ ओलम्पिक के लिए 98 किलो वर्ग में ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं जो पूरे भारत वर्ष के लिए उपलब्धि है। हरदीप ढिल्लों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इस संस्थान का अपना इनडोर कुश्ती हॉल है। अपना तरणताल है और राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हैं। मेरी मांग है कि खेलों में सर्वाधिक योगदान देने वाले इस संस्थान को सरकार प्रोत्साहन दे। इसी के साथ-साथ गांव निडाना, सिवाहा, ढिगाना, हथवाला, किलाजफरगढ़, मालवी, बुवाना, खरेंटी, बीबीपुर और खरकरामजी में स्टेडियम का निर्माण हो। साथ ही में गांव गतौली, निडाना, ढिगाना, निडानी, सिवाहा, बुवाना, खरेंटी, राजपुरा भेंण, बीबीपुर और घिमाना में कुश्ती क लिए हॉल बनाए जाएं। जुलाना कसबे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का multipurpose खेल स्टेडियम बनाने के साथ साथ गांव रामराय, सिवाहा, गतौली व जुलाना कसबे में स्विमिंग पूल का निर्माण हो।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कभी FSA के नाम पर कभी Sundry Charges के नाम पर उपभोक्ता को DISCOM की अपनी बेकार मैनेजमेंट का बोझ उठाने पर मजबूर किया जाता है, जो अनुचित है। 31000 करोड़ रुपये लगभग सुधारों के लिए सहायता दी परन्तु नतीजा शुन्य है। 25950 करोड़ का कर्जा उदय योजना के तहत जनता पर डाला गया जो कि अनुचित है जबकि 6100 करोड़ के लगभग कंपनी का बकाया वसूलने है। झाड़ली, अरावली इत्यादि की यूनिट्स की बिजली सरेंडर कर रही है परन्तु सरकार प्राइवेट से महंगी बिजली खरीदकर जनता पर बोझ डाल रही है, ये उचित नहीं कहा जा सकता। खेद है व यमुनानगर के plants is a failure of planning and wastage of public money. यमुनानगर का प्लांट 85% PLF पर चलना चाहिए था वह 2011-12 में 18.33% less पर था। जो 3205 million unit loss जो कि 3.38 प्रति यूनिट पर 1083 करोड़ का नुकसान है। उसी प्रकार खेद है का प्लांट 2011-12 में 52.73%, 2012-13 में 47.5%, 2013-14 में 46.69%, 2014-15 में 54.42% पर लॉस रहा।

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

अन्य 2011-2012 का आंकलन करें तो 1123 करोड़ रुपए डूबे। पानीपत का प्लॉट भी below 12% रहा जो कि 80% पर चलना चाहिए था। 31 मार्च 2014 तक CAG रिपोर्ट में 9 कंपनीज़ को घाटे में खराब मैनेजमेंट के कारण दिखाया गया है जिसमें 3 बिजली निगम हैं। वर्तमान में A.T.& T loss जो कि बहुत ज्यादा है इसका 60% चोरी तथा 40% line losses लगभग है जिसका मुख्य कारण खराब पड़ी तारें, खराब पड़े मीटर हैं। लगभग 178901 मीटर खराब पड़े हैं इस तरह से यह नुकसान हो रहा है।

RE सब्सिडी 531 करोड़ 1999-2000 में थी 2015-16 में estimate 6196.9 करोड़ हो जाएगी जो रेगुलेटर में एस्टीमेट में दर्शाया गया है। RE सब्सिडी का arrear 4054.37 करोड़ है। RE सब्सिडी + Arrear जो राज्य सरकार द्वारा देय है। जो 10215.27 करोड़ होने जा रहा है। This is not sustainable. Distribution loss : 2013-14 में UHBVNL का 32.40% एवं DHBVNL का 23.66% था। 1 % line loss - 167 करोड़ के बराबर होता है। discom रोकने में असफल रहे हैं तो FSA के नाम पर बोझ जनता बेचारी पर डाला जा रहा है। 2010-11 में 13% बढ़ाया, 2011-12 में 0.4%, 2012-13 में 18%, 2013-14 में 13%, 2014-15 में 8%, 2015-16-Discum ने 15% बढ़ाने की कवायद की परन्तु 10% बढ़ाया यानीकि 62.1% बढ़ाया गया। 0-50 यूनिट पर 1.25 - tariff 2.70 तो यह 46%, 51-100 यूनिट पर 1.48-tariff 4.50 33%, 500 से ऊपर 1.50 - tariff 6.75 8.40% जो दो महीने का 8400 बैठता है जो गलत है इसको वापिस लिया जाना चाहिए। Feeder Loss : UHBVNL - 3650 Feeder में 351 (9.60) जिनका loss 25 - 50% तथा 788 feeder (2.55%) जो 50% से ऊपर के loss के हैं पिछले साल की 753 से 788 बढ़े जो चिंता का विषय है। DHVBNL में 4087 में 916-25-17 50% 526-50% से है जो की पिछले साल 506 से बढ़ कर 526 हो गए जो लगातार बढ़ रहे हैं जो गलत है अतः बिजली पर सुधार कर जनता को बोझ मुक्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में चर्चा के बाद विपक्ष के सुझावों को भी शामिल किया जाये। इसी तरह से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत आने वाले मेरे हल्के के गांव नामत रामराय, पोकर खेड़ी तथा आसन में महाभारत कालीन तीर्थ स्थान है। उसके लिए के.डी.बी. के तहत विकास कार्य करवाये जायें। रामराय गांव मेरा अपना गांव है यह भगवान राम तथा भगवान परशुराम के साथ जुड़ा हुआ तीर्थ है। पोकरखेड़ी में पुष्कर राज का तीर्थ है तथा कुरुक्षेत्र भूमि का अंतिम छोर है। वहां पर पहरेदार के रूप में यक्ष की मूर्ति प्राचीन काल से विद्यमान है। इसी तरह से गांव आसन में अश्वनी कुमार का तीर्थ मौजूद है। जहां पर स्नान करने से बीमारियों का नाश होता है। उनका विकास होगा और पर्यटन तथा धार्मिक यात्रा को जोड़कर देखा जायेगा तो उन एरियाज में भी आर्थिक लाभ होगा।

श्री टेक चंद शर्मा(पृथला) : स्पीकर सर, आपने मुझे माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संघू : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री टेक चंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की बहुत तारीफ कर रहे हैं मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि कहीं इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तो नहीं कर लिया है ?

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, मैं तो जसविन्द्र संधू जी को भी अपनी पार्टी में इन्वार्इट करना चाहता हूँ। अगर ये चाहें तो हमारी पार्टी में इनका भी स्वागत है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं पिछले चालीस साल से चौधरी देवी लाल जी से और उनके आदर्शों पर चलने वाली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और भविष्य में भी जुड़ा ही रहूंगा।

श्री नायब सैनी : स्पीकर सर, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी की बातों से तो ऐसे लगता है कि ये तो वैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल से बंधे हुए हैं जैसे भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे न बोले। टेक चंद शर्मा जी आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, हमारी सरकार द्वारा यहां पर पंचायती राज के सम्बन्ध में एक बिल लाया गया था जिसका कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी विपक्षी साथियों ने विरोध किया था कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला यह बिल ठीक नहीं है। उसकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के फेवर में अपना निर्णय सुनाया जिसके बाद हरियाणा में नये कानून की तहत पंचायतों के चुनाव हुए। इस बात की हम सभी को खुशी है कि हमारी लगभग सभी पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े-लिखे उम्मीदवार चुनाव जीत कर आये। हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ही ये सराहनीय कदम हमारी सरकार द्वारा उठाये गये हैं जो कि प्रशंसनीय हैं। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके कारण भ्रष्टाचार काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। इसमें जो अभी छोटी-बड़ी कमियां रह गई हैं उनको भी समय रहते हुए हमारी सरकार द्वारा दूर कर दिया जायेगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पंचायतों को जो डॉयरेक्ट पैसा जाता है उसमें यह शर्त है कि 10 लाख रुपये तक की राशि को सरपंच अपने स्तर पर खर्च कर सकता है और 10 लाख रुपये से ऊपर की राशि का खर्च पंचायती राज के एक्सिसन के माध्यम किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब पैसा पंचायत के खाते में चला जाता है तो उसको रिलीज़ करने में सरपंच आना-कानी करता है। सरपंच की इस कारगुजारी से विकास कार्य प्रभावित होते हैं जबकि इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि समस्त विकास कार्यों को तेज गति से किया जाये। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 10 लाख की अमाउंट है वही पंचायत के खाते में जानी चाहिए और जो 10 लाख रुपये से ऊपर की अमाउंट है वह सीधे-सीधे एक्सिसन के पास जाये ताकि विकास के कार्यों की तीव्रता से तुरन्त करवाया जा सके। हमारी सरकार का यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से मुक्त हो। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं का भी किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से ऑडिट करवाया जाये। अगर ऐसा होता है तो यह भी विकास के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया है कि "हर खेत को पानी और हर हाथ को काम।" इसी के मद्देनजर सिंचाई विभाग के बजट को 21.2 प्रतिशत बढ़ाया गया है। हमारे यहां एक छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि आज से

[श्री टेक चंद शर्मा]

लगभग 20 साल पहले बनी थी और जिसको बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये गये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी में अब तक एक बूंद भी पानी की नहीं आई है। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि जल्दी से जल्दी इस छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी को ठीक करवाकर चलाया जाये। ऐसे ही जो काडा के द्वारा जिन खालों का निर्माण करवाया गया था वे जहां-जहां से टूटी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाकर फंक्शनल करवाया जाये। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का पहला इंटरनैशनल लेवल का अक्षय उर्जा प्लांट गुडगांव में लगाया है। इस प्लांट का हेड ऑफिस गुडगांव के अन्दर है। हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो पहला इंटरनैशनल लेवल का अक्षय उर्जा प्लांट गुडगांव में लगाया गया, मैं इसके लिए भी सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार हर तरफ पारदर्शिता की बात करती है। चाहे वह नौकरियों के मामले में हो या दूसरे क्षेत्र की बात हो सरकार हर जगह पर पारदर्शिता लाने की बात करती है। आजकल पुलिस की भर्ती चल रही है और पुलिस में ज्यादातर हमारे देहात के बच्चे भर्ती होते हैं। हमारे देहात के बच्चे फिजिकल टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन लिखित परीक्षा में उनको परेशानी होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना चाहूंगा कि देहात के बच्चों को 5-10 अंकों की रियायत देने का प्रावधान रखा जाये। लिखित परीक्षा लेकर मैरिट के आधार पर नौकरियाँ देना हमारी सरकार की मुख्य नीति है।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री टेकचन्द शर्मा जी ने सरकार की नीतियों का जिक्र किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया है कि क्लास-3 और क्लास-4 में **there will be no interview and there will be no written test.** क्लास-3 और क्लास-4 में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और न ही इन्टरव्यू होगा। केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर ही मैरिट बन जायेगी। क्लास-3 और क्लास-4 की नौकरियाँ गरीब लोगों के लिए ही होती हैं और बार-बार लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू के लिए चक्कर लगाने में उनके ज्यादा पैसे खर्च होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सुविधा के लिए उसमें इन्टरव्यू और रिटन टेस्ट को खत्म कर दिया है।

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि इंडस्ट्रीज और स्किल वर्कर को बढ़ावा देकर बेरोजगारी को खत्म किया जाये। मेरा पृथला विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ है और वहाँ पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज राजधानी क्षेत्र वालों की लगती हैं। उसमें जो फेसिलीटीज की बात है तो अभी तक फरीदाबाद का मास्टर प्लान 2031 क्लीयर नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसको तुरन्त लागू करवाया जाये जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 में 1885 एकड़ जमीन आई.एम.टी. के लिए एक्वायर की गई थी और उस समय पर वहाँ पर 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस जमीन का मुआवजा दिया गया था। उसके जो एग्रीमेंट साईन हुये थे उसकी कॉपी मेरे पास है जिस पर उपायुक्त, एस.डी.एम., लोकल रिप्रेजेंटेटिव तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी. के प्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर हैं उसके तहत यह

फैसला हुआ था कि जिन 5 गांवों की जमीन एक्वायर की जा रही है उनको उन इंडस्ट्रीज में नौकरियों में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दी जायेगी। वहाँ पर आज तक जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं उनमें किसी भी लोकल बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, इसकी कॉपी में आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। (इस समय एग्रीमेंट की कॉपी श्री अध्यक्ष को दी गई।) मेरे विधान सभा क्षेत्र से इस्ट्रन पेरीफेरी एक्सप्रेस-वे निकलना है। यह काम पिछले 16-17 साल से पैंडिंग पड़ा हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद उसका काम शुरू हुआ है। उसकी विडम्बना यह है कि उसके दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर के एरिया में हम कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार से के.एम.पी. में प्रावधान है उसी तरह से ई.पी.ई. (इस्टर्न पैरीफेरी एक्सप्रेस वे) जो कि नोएडा से कुण्डली में आ कर मिलेगा, में भी दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर के एरिया में इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जाये जिससे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा एक विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत कम से कम 2 करोड़ रुपये उस गांव के विकास के लिए जरूर मिलने चाहिए ताकि हर विधायक अपनी तरफ से विकास के कार्य करवा सके।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बाकियों का क्या देंगे?

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं संधू साहब को बताना चाहता हूँ कि आदर्श ग्राम योजना सभी विधायकों के लिए लागू की गई थी अगर आप उसमें बढ़चढ़ कर भाग लो तो वह आपको भी मिल जाएगा उसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। अगर एक गांव के विकास के लिए दो करोड़ रुपये मिलते हैं तो यह एक बहुत बड़ी अचिवमेंट होगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, लेकिन बजट में कोई फंड नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये समर्थन देंगे तभी तो फंड मिलेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक परमिन्द्र सिंह ढुल ने बीबीपुर गांव को गोद लिया था जो इनके चुनाव क्षेत्र में है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने क्षेत्र के सारे गांवों को ही गोद ले रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, Hon'ble Modi Ji is a very visionary Prime Minister. जो हर सप्ताह गरीब के कल्याण के लिए कोई न कोई नई योजना बनाते हैं जिनमें से एक योजना का तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से पत्र आया है हरियाणा सरकार के सभी माननीय विधायकों को और सांसदों को **without any party affiliation**. बलकौर सिंह जी आपको भी मिला होगा।

Shri Ranbir Gangwa : Without any grant, Sir.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर शिरोमणि अकाली दल के माननीय साथी बलकौर सिंह जी मेरी बात को हाँ कर दें क्योंकि इनके पास भी हमारी चिट्ठी पहुंची होगी। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चिट्टियां सभी के पास पहुंची हुई है लेकिन पैसा किसी के पास नहीं पहुंचा। यहां पैसे की बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष : खाली पैसे की बात नहीं है।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये हमारी चिट्टियों को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। ये उन चिट्टियों के मजमून को देखते ही नहीं हैं जिस पर लिखा हुआ है भारत सरकार और हरियाणा सरकार। यह उस लिफाफे को खोलते ही नहीं हैं। स्पीकर सर, मैं सभी माननीय विधायकों से कहता हूँ कि उसमें बजट का प्रावधान है। उस चिट्टी में यह लिखा है कि जो विधायक व सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के जिस गांव को गोद लेगा उसमें वह स्वयं जाकर वहां पर जो भी समस्याएं हैं जैसे कहीं पानी की निकासी की दिक्कत है, उसमें लड़कियों की शिक्षा की समस्या है, उसमें कोई पशु चिकित्सालय खोलने की बात है, तो उसके लिए सरकार ने उन विधायकों से उन गोद लिये हुए गांव में स्वयं जाकर उसकी परायर्ती वाईज क्या समस्या है यह पूछा गया है। इसलिए जत्थेदार जी, आप हमारी बात को मानकर कल ही उस चिट्टी को खोल कर पढ़ना जिसमें लिखा हुआ है कि विधायक अपने हल्के के किसी एक गांव को गोद ले कर उसमें विकास करवाये। सरदार बख्शीश सिंह विर्क से पूछो इन्होंने भी एक गांव को गोद लिया हुआ है।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा समय देख लेना क्योंकि ये सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनूप जी, मुझे पता है कि आप क्या कहोगे, सारी बात पैसे की है। इस पत्र में 12 प्वाइंट हैं जिसमें से केवल एक प्वाइंट पैसे का है बाकि सारे प्वाइंट तो आपने ही पूरे करने हैं। इसलिए आप अपने किसी एक गांव को गोद लो और उसमें पहले वे 11 प्वाइंट पूरे करो तभी तो पैसा मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) आपको हाऊस में भी वह चिट्टी दी थी उसमें जो 11 प्वाइंट दिये हैं उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है उसमें एक प्वाइंट ही पैसे का है।

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, यह बात आई थी कि सरदार बख्शीश सिंह ने कौन सा गांव गोद लिया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने असंध विधान सभा क्षेत्र में बादशाह गांव को गोद लिया हुआ है। आप उस गांव में जाकर देख लें उसमें जो भी कमियां थी जैसे वहां स्कूल को अपग्रेड कराना था मैंने उसको लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दिया है कि उस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। मंत्री जी ने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा मेरे उस गांव के साथ दो सड़कें लगती हैं ऐचला से बासा और बासा से कतलैडी उनको मैंने 18 फुट चौड़ी मन्जूर करवाने के लिए मंत्री जी से प्रार्थना की थी उसका भी टेंडर हो गया है जो 9 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार होनी हैं जिस पर अब काम शुरू हो गया है। बाकि उस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, उनके बारे में लिख कर मंत्री जी को देना तो मेरा फर्ज बनता है। जैसे मंत्री जी कह रहे थे कि आप तो चिट्टी को पढ़ते ही नहीं तो काम कैसे होंगे। हमारे तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में पीने के पानी की समस्या केवल मात्र यमुना पर बैराज बनाकर दूर की जा सकती है। फरीदाबाद के सभी क्षेत्रों का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। अगर मोहना क्षेत्र में बैराज

बना दिया जाता है तो निःसंदेह फरीदाबाद को भी पानी मुहैया करवाया जा सकता है अगर बैराज नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से आगे चलकर फरीदाबाद में पानी की समस्या बहुत गहरी होती चली जायेगी और भविष्य में यह एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान अवश्य किया जाये। आज सदन में श्री जाकिर हुसैन, श्री रहीस खान तथा श्री केहर सिंह जी के द्वारा रेनीवेल से संबंधित आवाज उठाई गई है उसी संदर्भ में मैं भी सदन के समक्ष बताना चाहूँगा कि यदि मोहना क्षेत्र में यमुना पर बैराज बना दिया जाता है तो निःसंदेह इससे वाटर लैवल उपर आ जायेगा जो निःसंदेह रेनीवेल स्कीम के लिए वरदान साबित होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 45 गांवों के लिए रेनीवेल स्कीम बनाई जा रही है। बैराज बनाने में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि बैराज के दोनों तरफ जो जमीन होती है वह प्रदेश सरकार की ही होनी चाहिए तभी बैराज का निर्माण संभव हो सकेगा। बरसात के दिनों में बरसाती पानी व्यर्थ ही बह जाता है। यदि बैराज बनाकर बरसाती पानी को रोक लिया जाये तो संभव है कि आटोमैटिकली इससे वाटर लैवल उपर आ जायेगा। अतः इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओर भी अनेक समस्यायें मौजूद हैं जिनको मैं बजट पर चर्चा के दौरान ही बताना चाहता हूँ। यदि इस बजट में उन समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रावधान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र के हरफला, मोहला, भनकपुर, कबूलपुर, लधियापुर, सिकरौना, फिरोजपुर कलां, जखोपुर, बिजोपुर तथा करनेरा आदि दस-बारह गांव वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी सदन में वाटर लॉगिंग की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : टेक चन्द जी, आप वाईड अप करें।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो समय आपके द्वारा मुझे बोलने के लिए दिया जाता है उस दौरान अन्य सदस्य खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार मेरे समय का प्रयोग अन्य सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन अब जबकि आपने मुझे वाईड अप के लिए कह दिया है तो मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी करके बैठ जाऊंगा। वाटर लॉगिंग की जो समस्या है यदि उसके लिए कोई योजना सरकार द्वारा बना दी जाती है तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की काफी भूमि कृषि योग्य बन सकती है। मैं सदन के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस लैवल पर भी संभव हो सके, अधिकारियों की ए.सी.आर. लिखने का अधिकार अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस तरह का प्रावधान पहले हुआ करता था। उस प्रावधान के तहत पहले मिडल स्कूल तक के टीचर्स की ए.सी.आर. जिला परिषद का चेयरमैन लिखा करता था। इसलिए मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ए.सी.आर. के बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाये ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग न. 2 जोकि 6 लाईन का बनने जा रहा है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ अनेक गांव आते हैं जिनमें बघौला, सीकरी, पृथला, कैली तथा बामनी खेड़ा आदि प्रमुख हैं। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग न. 2 के 6 लाईन बनने के बाद इस राजमार्ग के दोनों तरफ बसे गांवों के लोगों को दो-दो किलोमीटर अतिरिक्त

[श्री टेक चन्द शर्मा]

चक्कर लगाकर एक दूसरे गांव में पहुंचना पड़ेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि गांव कैली, सीकरी, पृथला व बघौला में ओवर ब्रिज बनाये जायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव सिकरौना में एक औद्योगिक संस्थान देने के लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि मोहना गांव में आज से 8 साल पहले ग्राम पंचायत की जमीन का आई.टी.आई. के लिए चयन किया गया था लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसको भी दोबारा से परस्यू किया जाये। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावलपुर में एक सी.एच.सी. मौजूद है। यहां पर पूरे स्टॉफ को मिलाकर लगभग 40 पोस्ट्स सैंक्शन हैं परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर अकेला डॉक्टर पूरी सी.एच.सी. को संभाल रहा है। सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि यहां पर डाक्टर तथा अन्य स्टॉफ को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाये। इसके अतिरिक्त पृथला विधान सभा क्षेत्र के लिए स्क्ल डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी की माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की गई थी। यहां के दुधला गांव में स्क्ल डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाना प्रायोजित है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के बनाने के कार्य को जल्द से जल्द शुरू करके क्षेत्र के विकास को चार चांद लगाने का काम किया जाये। धन्यवाद। जयहिन्द

18.00 बजे श्री उमेश अग्रवाल (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बजट के अंदर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि कई तरह के टैक्सों में छुट दी है। जूता उद्योग में अगर हम बात करें तो पांच सौ रुपये से अधिक मूल्य के जूतों पर टैक्स साढ़े 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। खल, बिनौला, बेसन और सूती धागे कुछ चीजों पर टैक्स को समाप्त कर दिया है। इलैक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स साढ़े 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं व्यापारियों की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने आंदोलन के दौरान जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ था, उनको करों में छुट देकर राहत प्रदान की है। ब्याज की राशि माफ की है, जुर्माने की राशि भी माफ की है तथा अन्य अदायगियों में भी छुट दी है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली बोर्ड का जो घाटा 26 हजार करोड़ रुपये सरकार ने अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि हमारी बिजली कम्पनियां बहुत ज्यादा घाटे के दौर से गुजर रही थी और उनको दिन प्रतिदिन ब्याज का भारी नुकसान हो रहा था। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय चेर पर आसीन हुईं।) मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दीन दयाल जन आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर मुहैया करवाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बेहतरीन विशेषकर शहरी क्षेत्र में टी.डी.आर. और टी.ओ.डी. स्कीम निकाली है, जिसके माध्यम से जमीन का स्थानांतरण जो जमीन एक्वायर हो चुकी है उसमें सुविधा मिलेगी। मैट्रो के साथ लगते क्षेत्रों में टी.ओ.डी. को बढ़ाया है उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने गुड़गांव को हरियाणा के तीसरे स्मार्ट सिटी के रूप में केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हरियाणा सरकार ने बजट में 5 सौ करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव शहर का कुछ हिस्सा जो नये

गुड़गांव का हिस्सा है, उसमें 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक स्मार्ट बिजली ग्रिड स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्मार्ट बिजली ग्रिड के प्रोजेक्ट के माध्यम से गुड़गांव के 60 प्रतिशत हिस्से में जो बिजली के खंभे और लाइनें हैं वो पूरी तरह से अंडर ग्राउंड हो जायेंगी। बिजली चोरी और बिजली कट की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इससे गुड़गांव के लोगों को बड़ा भारी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स सम्मिट का सफल आयोजन किया, जिसमें 5 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 359 समझौते हुए हैं। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स सम्मिट में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उपाध्यक्ष महोदया, इस आयोजन में 12 केन्द्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने पूरे हरियाणा के साथ-साथ विशेष तौर पर गुड़गांव के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी। नार्दन और सदरन पेरिफरल एक्स प्रैस-वे जो द्वारिका एक्स प्रैस-वे भी है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की घोषणा की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान एक बात की और भी दिलाना चाहता हूँ कि गुड़गांव आबादी के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में 17 विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपाध्यक्ष महोदया, 3 विश्वविद्यालय रोहतक में, 3 विश्वविद्यालय हिसार में, 3 विश्वविद्यालय सोनीपत में, 2 विश्वविद्यालय करनाल में, 1 विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, 1 विश्वविद्यालय जीन्द में, 1 विश्वविद्यालय भिवानी में, 1 विश्वविद्यालय सिरसा में, 1 संस्कृति विश्वविद्यालय कैथल में और 1 विश्वविद्यालय रेवाड़ी के मीरपुर गांव में है। गुड़गांव शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र प्रतीत होता है। पूरे दक्षिण हरियाणा में देखें तो हरियाणा के नक्शे में गुड़गांव एक त्रिभुज की तरह प्रतीत होता है। जहां रोजगार के संसाधन तो उपलब्ध हैं, औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का कारण पिछले 20 वर्षों का शासनकाल रहा है जिन्होंने गुड़गांव में शिक्षा के क्षेत्र की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। मैं आपके माध्यम से गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हमारे माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक गांव गोद लिया हुआ है और वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का प्रावधान भी करवा दिया है। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे वहां पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें। इससे गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों मेवात, पलवल, झज्जर इत्यादि के सभी युवाओं को वहां शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

डॉ. पवन सैनी (लाड़वा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी सरकार का यह बजट "सबका साथ सबका विकास" के मूल मंत्र के साथ प्रदेश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के संतुलित और समान विकास की सोच को वास्तविकता में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को दोहराता है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। जैसाकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सदन में बताया कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है और अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश में बिजली

[श्री उमेश अग्रवाल]

वितरण कम्पनियों के समुचित घाटे और ऋण की हमें चिंता है और इसके समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने "उदय उज्ज्वल योजना" के तहत केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय तथा डिस्कोम के साथ समझौता किया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार 2 वर्षों में बिजली कम्पनियों के 34,600 करोड़ रुपये के ऋण का 75 प्रतिशत स्वयं वहन करेगी जिससे उनको लाभ मिलेगा। यह वर्ष हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष है। वर्ष 1966 में हमारे हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ था। हरियाणा के अंदर दो तरह की सरकारें रही हैं या तो आई.एन.सी. पार्टी की सरकार रही है या समझौते की सरकार रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को समर्थन देकर सरकार बनाने में सहयोग किया है। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने मन बनाया और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हरियाणा के साथ-साथ पूरे भारत के लोग कांग्रेस से तंग थे और हिंदुस्तान की सवा सौ करोड़ जनता ने केंद्र में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई है। देश की जनता ने कांग्रेस को इतनी कम सीटें दी कि वे विपक्ष के नेता भी नहीं बन सके। हरियाणा में बिना किसी क्षेत्रीय दल के समर्थन के अकेले सरकार बनाने का जो सपना डॉ मंगल सैन ने देखा था उसे हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई है। पिछली सरकार के कामों को देखकर मैं एक लेखक की दो पंक्तियां कहूंगा -

" यावत् जीवेत, घृतम् पीवेत, ऋणम् कृत्वा, सुखम जीवेत, ।"

इन पंक्तियों का अर्थ है कि सत्ता में सुख से जीओ, घी पीओ और ज्यादा से ज्यादा ऋण लो। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों का यही मूल मंत्र था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में जो भी व्यक्ति विधायक और मंत्री रहे हैं, उनके विधायक और मंत्री बनने से पहले और बाद की सम्पत्तियों की जांच होनी चाहिए। उन की सम्पत्तियों की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हरियाणा की जनता का कल्याण करने की बजाय सिर्फ अपना ही कल्याण किया है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय विधायक डा. पवन सैनी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उन्होंने चारवाक ऋषि का एक श्लोक सुनाया है। मैं उसी बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि जब साधू संत तपस्या करते थे तो भगतजन उनसे पूछते थे कि आपके जीवन की फिलोसफी क्या है और आपका मार्गदर्शन क्या है। चारवाक ऋषि जब 4-5 सालों तक जंगलों में तपस्या करके लौटे तो भक्तजन लोगों ने उनसे कहा कि आपका दर्शन क्या है तो उन्होंने कहा कि -

ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत, यावत् जीवेत, सुखम जीवेत,

इह देहि भस्मी भूतस्य, पुनर्जन्म कोउपि।

यानि कि जब तक जीना हो मस्ती से जीओ, कर्जा लेकर भी घी पीओ, पुनर्जन्म की बात है तो यह देह मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जानी है, अगला जन्म किसने देखा है। मेरे कहने का मतलब एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने यह बात कही है। (विघ्न)

डा. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने ऐतिहासिक बात यहां आप सबको बताई। हरियाणा में पहली बार यह सरकार बनी है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष को बड़े हर्षोल्लास से मनाते

हुए सरकार द्वारा हरियाणा की जनता के सुखों की चिंता करते हुए और उनके कल्याण की चिंता करते हुए 1657.04 करोड़ रुपये की 28 स्कीमों की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले जो यह वर्ष 2016-17 का बजट है, इसमें 28.4 परसेंट की वृद्धि की गई है यानि 88781.96 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास ऋण, वाहन ऋण, कम्प्यूटर ऋण और व्यक्तिगत ऋण के लिए भी बैंकों से सम्बन्ध करके उनके लिए स्कीम चलाई है जिससे सरकारी कर्मचारी वर्तमान शर्तों के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार बैंकों से ये ऋण ले सकते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बहुत चर्चा की है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी हस्पतालों में हिमो डायलिसिस और सीटी स्कैन मशीन लगाने का काम किया गया है। हरियाणा सरकार के हमारे क्रांतिकारी और हरियाणा के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले मंत्री श्री अनिल विज जी ने सी.एच.सी. लैवल पर आयुर्वेदिक रजिस्टर लगाने के लिए पहले ही कह दिया था लेकिन अब की बार पी.एच.सी.जी. में भी बी.ए.एम.एस. आयुर्वेदिक ग्रेजुएट लगाने की पहल उनके द्वारा की गई है। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं कृषि क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। बेमौसमी बरसात से किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं उसके बारे में लगभग सभी ने चिंता की है और चर्चा भी की है। हिन्दुस्तान में पहली बार 1092 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि किसानों की खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए दी गई है। गेहूँ खरीदने वाली कम्पनियां किसान का अनाज नहीं खरीद रही थी और कह रही थी कि दाना छोटा है और इसमें लस्टर लौस है तथा चमक कम है। उस समय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सरकार सरकारी रेट पर किसान भाइयों की सारी फसल खरीदने का काम करेगी। चाहे किसान की फसल में किसी भी प्रकार की कमी थी लेकिन सरकार ने किसान भाइयों की सारी फसल खरीदने का काम किया जिसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिजाई के समय उनको न बीज की किल्लत आई, न खाद की किल्लत आई और न ही दवाइयों की किल्लत आई। कांग्रेस को पता था कि शायद आने वाले दिनों में हमारी सरकार आने वाली नहीं है इसलिए उन्होंने खाद की बुकिंग नहीं कराई। कृषि मंत्री जी ने आज सुबह कहा था कि अगली फसल में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कपास पर सफेद मक्खी के प्रकोप से जो नुकसान हुआ उसके लिए हरियाणा सरकार ने 967 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। किसानों के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड की बात सरकार ने की है। हरियाणा में अब तक कोई बागवानी विश्वविद्यालय नहीं था। करनाल के अंदर बागवानी विश्वविद्यालय खोलना और उसके साथ-साथ रिजर्व सेंटर भी खोले गये हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज भी खोले जाएं ताकि बागवानी करने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, इतनी मार पड़ने के बावजूद भी केन्द्रीय पूल में हमारे प्रदेश के किसानों ने खाद्यान का पूरा योगदान दिया है, जिसके कारण भारत के राष्ट्रपति ने हरियाणा को चावल के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर रावी ब्यास का और एस.वाई.एल. का पानी आये, उसके लिए भी हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2004 में वाटर एग्रीमेंट को निरस्त किया था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रपति जी से बात करके और केन्द्रीय नेताओं से बात करके इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो रही है, जिसका परिणाम हम लोगों को अभी देखने को मिला है। इसी तरह से चाहे पशुपालन की बात हो या मत्स्य पालन की बात हो उसके लिए भी वित्तमंत्री जी ने बजट बढ़ाने का काम किया है। जहां तक

[डा. पवन सैनी]

किसान के गन्ने की पेमेंट का सवाल है, चीनी मिलों को सरकार ने पैसा देकर किसानों को गन्ने की पेमेंट देने का काम किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह से पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने गुड़गांव के अंदर भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जिसमें प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपये ईनामी राशि देकर हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का मान बढ़ाने का कार्य किया। इसी तरह से ग्लोबल इनवैस्टमेंट समिट हुई जिसमें 357 एम.ओ.यू. साईन हुए और लगभग उसमें 5.84 लाख करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट की बात हुई। हरियाणा सरकार ने ऐसा समिट पहली बार किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। आरक्षण आंदोलन की आड़ में जिस प्रकार का दंगा हुआ है और उस दंगे से प्रभावित लोगों को 8-10 दिन के अंदर मुआवजा देकर ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। मैं उन प्रभावित एरियाज में दोबारा भी जाकर आया हूँ वहां पर लोगों ने बहुत राहत महसूस की है तथा सरकार का धन्यवाद भी किया है। मुआवजा राशि मिलने से लोगों ने दोबारा से अपने प्रतिष्ठानों को पट्टी पर लाने का काम किया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, व्यापारी प्रदेश के विकास की रीड की हड्डी होते हैं और इस आंदोलन के दौरान व्यापारियों का जितना नुकसान हुआ है मेरे से पहले बोलते हुए कुछ वक्ताओं ने इसका जिक्र किया है। मैं इसमें केवल यही कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों द्वारा उधार भी सामान दिया होता है। आगजनी में उनके बही खाते भी जल गए। इस बारे में व्यापारियों से बात करके सरकार उनके इस नुकसान की भी भरपाई करेगी तो इससे उनको बहुत राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही है। जिस प्रकार से पहले मोटे पैसे लेकर तहसीलदार घर पर जाकर रजिस्ट्री करते थे, अब ऐसा नहीं होता। पहले केवल पैसे देने पर ही रजिस्ट्री होती थी अब तहसीलदार तहसील के अंदर बैठकर बिना किसी पैसे के रजिस्ट्री करते हैं। सरकार ने स्टैंपिंग की ई-टैण्डरिंग की है और सरकार ने जो हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा किया था उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरे से पहले बजट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ. साहब, कृपया करके वाईड-अप करें।

डॉ. पवन सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसके साथ-साथ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लाडवा विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र का आधा हिस्सा पहले रादौर विधान सभा क्षेत्र में आता था और आधा हिस्सा थानेसर विधान सभा क्षेत्र में आता था। जो डिवैल्पमेंट होती थी उन्हीं विधान सभा क्षेत्र के केन्द्रों पर ही होती थी। इसलिए मेरा लाडवा विधान सभा क्षेत्र विकास के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, पेहवा, थानेसर और लाडवा ये चार विधान सभा क्षेत्र हैं। सिर्फ लाडवा को छोड़कर बाकी तीनों विधान सभा क्षेत्रों में सब-डिवीज़न है। मेरा लाडवा विधान सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले के अन्य सभी विधान सभा क्षेत्रों से बड़ा है क्योंकि इसमें 185 पोलिंग स्टेशन हैं मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र को सब-डिवीज़न बनवाया जाये। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि पिपली से लेकर यमुना नगर तक की सड़क को फोर लेन बनाया जाये। लाडवा में पहले बाई पास के लिए सर्वे हुआ था, लेकिन वह सर्वे होने के बाद उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता

हूँ कि लाडवा में जल्दी से जल्दी बाई-पास बने। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी महिला महाविद्यालय नहीं हैं। मैंने पिछले बजट सेशन में भी यह बात उठाई थी। अपनी यह मांग मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी महिला महाविद्यालय की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाये। माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे मेरी इस डिमाण्ड को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी आई.टी.आई. संस्थान नहीं है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आई.टी.आई. संस्थान की स्थापना की जाये। आई.टी.आई. संस्थान के लिए मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र में मथाना गांव में हमारे पास पर्याप्त जगह भी है। मथाना गांव पिपली से यमुनानगर हाई वे पर स्थित है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मथाना में एक आई.टी.आई. संस्थान की स्थापना शीघ्रता से की जाये। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे हल्के के बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कोई भी पॉलिटैक्निक कॉलेज भी नहीं है इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पॉलिटैक्निक कॉलेज की भी स्थापना की जाये। लाडवा में एक स्कूल है जिसकी तीन एकड़ ज़मीन है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री जी से प्रार्थना है कि उसमें लड़कियों के लिए एक पॉलिटैक्निक कॉलेज की स्थापना की जाये। मेरे लाडवा विधान क्षेत्र का जो लाडवा हेड क्वार्टर है वहां पर एक सी.एच.सी. है। उस सी.एच.सी. में किसी भी विषय का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर कोई सर्जन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाया जाये जिससे वहां के निवासियों को फायदा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र से सामान्य अस्पताल, कुरुक्षेत्र बहुत दूर पड़ता है जिससे अगर किसी को हर्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी मरीज़ या एकसीडेंट विक्टिम की हालत बहुत नाजुक है तो पहले उसे सामान्य अस्पताल, कुरुक्षेत्र रैफर किया जाता है और फिर उसको वहां से चण्डीगढ़ के लिए रैफर किया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद हो जाता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कई बार तो उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि पिपली जी.टी. रोड पर स्थित है, वहां पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण भी जल्दी से जल्दी किया जाये और इसी प्रकार से वहां पर जो पी.एच.सी. है उसको अपग्रेड करके वहां पर कोई मैडीकल स्पेशलिस्ट बिठाया जाये ताकि सभी रोगियों का ईलाज़ पिपली में ही हो जाये और अगर उसको चण्डीगढ़ रैफर करना जरूरी हो तो यह कार्य भी जल्दी से जल्दी हो सके। थानेसर ब्लॉक हरियाणा के सबसे बड़े ब्लॉक्स में से एक है, जिसमें 110 पंचायतें आती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के पिपली कस्बे को ब्लॉक बना दिया जाये तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसी प्रकार से बबैन हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहां पर किसानों के लिए विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाये ताकि किसानों को सुविधा हो। पिपली और बबैन अनाज मण्डी में सी.सी. की सड़कें बनाई जायें। लाडवा के अंदर जो राक्षी नदी है, अगर उसकी सफाई हो जाती है तो किसानों की फसलें खराब नहीं होंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक शुगर मिल है जिसकी पिराई क्षमता बहुत कम है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसकी पिराई क्षमता बढ़ाई जाये। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे मेरे क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों का बहुत फायदा होगा। मेरे हल्के में आलू और टमाटर की खेती भी काफी मात्रा में होती है। अगर वहां पर

[डॉ. पवन सेनी]

सरकार कोई प्रोसैसिंग यूनिट लगाये तो उसके लिए मेरे हल्के के पूरे लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि पिपली में जो जी.टी. रोड पर बस स्टैण्ड है उसका जल्दी से जल्दी नवीनीकरण किया जाये ताकि यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें वहां पर प्राप्त हो सकें। इसी के साथ पिपली बस स्टैण्ड से काफी आँटो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि वहां पर एक आँटो स्टैण्ड भी बनाया जाये।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय साथी ने पिपली के बस स्टैण्ड को अपग्रेड करने का यहां पर जिक्र किया है मैं इस बारे में उनको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि वहां पर जो मौजूदा बस स्टैण्ड है वह एक साईड में है जिससे वहां पर बसों को आने-जाने में परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने उस बस स्टैण्ड के साथ लगती हैफेड़ की जमीन को विजिट किया था उस ज़मीन को लेने के लिए हमने फाईल चलाई हुई है। इसलिए यदि वह ज़मीन हमारे विभाग को ट्रांसफर हो जाती है, तो पिपली में नये बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्रता से कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. साहब, कृपया करके वाईड-अप करें।

डॉ. पवन सेनी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने पिछली बार भी उठाई थी और इस बार फिर से उठाना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो पी.ए. हैं वे तो हमारे साथ अन्दर आ जाते हैं और यहाँ आ कर कैन्टीन में चाय-पानी भी पी लेते हैं लेकिन हमारे साथ जो ड्राईवर और गनमैन हैं, सेशन के दौरान बाहर ही रह जाते हैं और उनके लिए बैठने और चाय-पानी का बाहर कोई इंतजाम नहीं है। वे बाहर धूप, बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं। उनके बैठने के लिए किसी शैड का इंतजाम किया जाये तथा उनके लिए चाय-पानी की भी कोई व्यवस्था हो जाये तो यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। उनकी ड्यूटी कोई 8 घंटे की नहीं है उनकी तो ड्यूटी भी 24 घंटे की है और उनकी तनखाह भी बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनको पंजाब के समान वेतनमान दिया जाये ताकि वे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस पर चल सकें। इसी प्रकार गैस्ट टीचरों को सरकार ने दोबारा रखने का कोर्ट में जो ऐफिडेविट दिया है उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे उन गैस्ट टीचरों को दोबारा से नियमित रूप से सेवा में रखा जा सके। इसी तरह से बिजली विभाग में बहुत सी वैकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं। इन खाली पदों पर डी.सी. रेट पर बहुत से नौजवान लगे हुये हैं। इस विभाग में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से उनको कोई क्लेम नहीं दिया जाता है क्योंकि उनसे लिखवा लिया जाता है कि अगर कोई दुर्घटना होगी तो उनको कोई क्लेम नहीं दिया जायेगा। इसलिए जब भी ड्यूटी के समय किसी दुर्घटना में किसी डी.सी. रेट पर लगे हुये कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसको कुछ न कुछ राहत राशि अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी सत्यनिष्ठा से निभा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो हमारे ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद के सदस्य चुन कर आते हैं उनको जो अनुदान राशि मिलती है उसको सरपंच द्वारा खर्च किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से विकास एवं पंचायत मंत्री जी से निवेदन है कि जो अनुदान राशि उनको मिलती है उसका रिकॉर्ड भले ही सरपंच व

ग्राम सचिव के पास रहे लेकिन उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में वह राशि स्वयं अपने विवेक से खर्च करने की शक्तियाँ दी जायें। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ जी, हाँ जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री ने जो वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया है उसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी तथा युवा वर्ग को निराश किया है, हर वर्ग उससे असंतुष्ट है। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। चाहे किसी ने इंजीनियरिंग की हो, एम.ए., बी.एड., एम.बी.ए., जे.बी.टी., पोलिटैक्निक या आई.टी.आई. वगैरह की हो, हायर ऐजुकेशन करने के बाद भी वे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। समय में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में या कॉलेज से घर वापिस आ कर जिसका जो भी व्यवसाय होता था घर में या खेत में काम करते थे। उसमें यह जरूरी नहीं था कि गरीब आदमी ही काम करता था बल्कि जो अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे थे वे भी अपने परिवार के साथ काम करते थे। लेकिन आज का जो युवा है वह स्टेटस कांशयस हो गया है। आज के युवा को पहनने के लिए ब्रांडिड कपड़े चाहिए, टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन चाहिए तथा खर्च के लिए उसको पैसे चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माँ-बाप के सामने एक बड़ी भारी दिक्कत है कि उसका बेटा कोई काम नहीं करता, दूसरा वह खर्चा करता है, तीसरा उसके पास रोजगार नहीं है। ये आज एक माँ-बाप के सामने बड़ी भारी समस्या है। इसलिए काम न होने की वजह से उस बच्चे को कोई चाहे किसी भी दिशा में भटका दे, वह अपने रास्ते से भटक जाता है। यही कारण है कि हाल ही में जो उपद्रव हुए उसमें जो युवा अपने रास्ते से भटक गया था वह बेरोजगार था और बेरोजगारी की वजह से उसके पास काम नहीं था जिसको लोगों ने भटकाने का काम किया और इस तरह भटक कर जो उपद्रव हुआ और वह उसमें शामिल हो गया। आज के युवा को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वह रोजगार की है इसलिए उसको रोजगार दिया जाए। आज के युवा के लिए तो ऐसी किसी ट्रेनिंग का प्रावधान करना चाहिए था। चाहे लघु उद्योग की ट्रेनिंग दी जाए, चाहे स्व-रोजगार की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले सभी ने युवाओं से एक वायदा किया गया था कि हम आपको रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम आपको 6 हजार और 9 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन बजट को देख कर मुझे बहुत दुःख हुआ कि उस बजट में बेरोजगारी भत्ता देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय जी का

[श्री रणबीर गंगवा]

अभिभाषण था उसमें यह कहा गया था कि बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। यह बड़ी अच्छी बात है कि जयंती मनाई जानी चाहिए क्योंकि बाबा साहिब भीम राव अम्बेडकर जी ने हमेशा न केवल दलित व पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने का काम किया बल्कि एस.सी. और बी.सी. वर्ग के लोगों को संविधान के अन्दर आरक्षण की व्यवस्था देकर और उनको राजनीति में और सरकारी सेवाओं में आगे लाने का काम किया। उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। लेकिन केवल जयंती मनाने से एस.सी. और बी.सी. वर्ग का भला नहीं होगा उनके लिए हम जब तक नई-नई कल्याणकारी नीतियां लेकर नहीं आएं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक उन लोगों का भला नहीं हो सकता।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की बात की यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे गुरुओं को सम्मान देने के लिए फैसला लिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, संत गुरु रविदास जयंती, महर्षि बाल्मिकी जयंती, संत कबीर दास जयंती, ये जो जयंतियां हैं ये सरकारी तौर पर मनाई जाएंगी, जोकि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125 वीं जयंती पूरे प्रदेश स्तर पर यमुनानगर में मनाने का फैसला किया है।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि उनके अन्दर कोई नई कल्याणकारी योजना लाने का काम करना चाहिए था जिससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो समाज से दबे कुचले युवा आते हैं उन युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता जिससे वह आगे चलकर अपने आप को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ पाते क्योंकि कोई भी देश व प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह हर वर्ग को साथ लेकर न चले। अतः जो एन.सी.आर. का एरिया है जिसमें सोनीपत, गुडगांव, बहादुरगढ़ तथा पानीपत आदि आते हैं, यहा पर सर्वे करवाया जाये और सर्वे करवाकर भलीभांति तसदीक की जाये कि इस क्षेत्र में रहने वाले युवाओं की किस-किस चीज में रुचि है। जैसे कोई ड्राइवर का काम करना चाहता है, तो कोई कैटरिंग का काम करना चाहता है और फिर कोई अन्य दूसरा काम करना चाहता है, इन युवाओं के लिए उसी तरह के कार्यों से संबंधित प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर डाक्टर भीम राव अम्बेडकर के नाम से खोले जाने चाहिए ताकि बच्चे अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सकें। अगर सरकार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रावधान करके सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूर्णरूप से साबित कर सकती है और निश्चित रूप से डाक्टर भीम राव अम्बेडकर जयंती मनाने के मार्ग में यह कदम औचित्यपूर्ण भी माना जायेगा। महापुरुषों को किसी जाति विशेष के बंधन में बांधना ठीक बात नहीं है। महापुरुष सबके सांझे होते हैं। इसी तरीके से आज प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को देखकर असुरक्षा का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। अभी पिछले दिनों जो प्रदेश में दंगे हुए हैं, उनमें किन लोगों ने आंदोलन को भड़काने का काम किया है, मैं उस पर न जाकर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का माहौल ठीक करने तथा प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए हमें उचित कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाये गये तो संभवतः माहौल फिर से खराब हो सकता है। मैं बम्बई का

उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जब बम्बई में दंगे हुए थे तो वहाँ पर स्पेशल चौकियाँ बनाने तथा थाने बनाने का काम किया गया था। नई गाड़ियाँ खरीदकर गश्त करवाने का काम किया गया था ताकि आमजन में एक विश्वास पैदा हो सके। प्रदेश में जो लूटपाट हुई थी उस दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लूट ले गया, कोई एल.ई.डी. तथा टी.वी. लूट ले गया, कोई कपड़े ले गया तो कोई कम्बल चुराकर ले गया था। मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलों की भी जांच की जानी चाहिए। आपके पास जो लोकल पुलिस है उसके पास तो और भी बहुत से काम होते हैं अतः लोकल पुलिस की बजाय बी.एस.एफ. तथा सी.आर.पी.एफ. जैसी फोर्सिज की मदद लेने के लिए परहेज नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आप बजट पर बोलिये।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस समय इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजट में इन सब चीजों की अनदेखी की गई है। वैसे यह बजट का ही मामला है। पूरा प्रदेश जल गया है लेकिन बजट को पढ़ने से मुझे नहीं लगा कि इस बजट में इसके लिए कोई प्रावधान मौजूद है। यदि सरकार चाहे तो जो आफिसर्ज रिटायर हो रहे हैं उनको छह महीने की एक्सटेंशन देकर उनकी स्पेशल ड्यूटी लगायी जाए और इस आंदोलन की पूरी तरह से इंवेस्टिगेशन की जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आज किसान वर्ग सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। किसान के लिए पानी बहुत बड़ी समस्या बन गया है। किसान के खेत में मोरियां छोटी कर देने से खेत के अन्दर पानी लगाना मुश्किल हो गया है। हमारे एरिया हिसार में जो यमुना का पानी आता था, वह यमुना का पानी यहाँ पर आना बंद हो गया है, इसकी वजह से पीने के पानी व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। मेरे गांव के नजदीक हरिकोट नाम का एक गांव है जहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी मुहैया करवाया जाता है। वहाँ पर पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। सरसाणा और न्यू सरसाणा माईनर की मोरियां और बालसमंद डिस्ट्रिक्ट की मोरियां बिल्कुल छोटी कर दी गई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिजली के दामों में वृद्धि हुई है। सरकार ने बिजली के दाम यह कह कर बढ़ा दिए कि यह तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अधीन है। इस प्रकार बिजली के दाम 3-4 गुणा बढ़ा दिए हैं। इन सबका बोझ गरीब किसानों के ऊपर पड़ा है जो खासकर गांव के रहने वाले हैं। सरकार को बिजली के दाम कम करने पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था खासकर हिसार, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद के क्षेत्रों में ढाणियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा। देश का अन्नदाता किसान अगर अपने दो कमरे खेत में बना लेता है तो उसे अंधेरे में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार आज डिजिटल इण्डिया और मेक इन इण्डिया की बातें करती है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ढाणियों में बिजली के कनेक्शन का जिक्र किया है। हरियाणा सरकार ने बिजली को लेकर एक पॉलिसी बनाई है कि जिस ढाणी में 11 सदस्य होंगे उसे ढाणी माना है। उस ढाणी को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 30 मीटर तक उसकी रेंज होगी तो बाकायदा विभाग उस ढाणी में कनेक्शन देगा। यदि 30 मीटर से ज्यादा रेंज होगी तो उसका सारा खर्चा ढाणी वासियों को देना पड़ेगा।

[श्री रणवीर सिंह गंगवा]

श्री रणवीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, 30 मीटर से कैसे काम चलेगा ? लोग खेतों में घर बनाकर रहते हैं जिससे उनका फासला एक से डेढ़ किलोमीटर पड़ता है। आज देश के किसान का परिवार अंधेरे में रहता है, आज इंटरनेट और मोबाईल का जमाना है। यदि किसान को बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे देश का भविष्य संवरेगा ? यदि सरकार कोई सर्वे करवाए तो पता लगेगा कि बहुत से परिवार आज अंधेरे में सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार को ढाणियों में कनेक्शन देने के लिए गहनता से विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अभी पीछे 5 नगर निगम बने थे, अम्बाला, करनाल, रोहतक, पानीपत और हिसार। इनके आउटर एरिया में जैसे कॉलोनियां और कुछ गांव थे, उनको भी नगर निगम में मिला लिया गया है। मेरे यहां शहरी क्षेत्र का कुछ हिस्सा नगर निगम के अंदर आता है जैसे आजाद नगर, अमरदीप कॉलोनी या कैमी रोड़ का एरिया है। उसकी हालत आज गांव से भी बदतर है। उससे ज्यादा तो गांव के अंदर ज्यादा सुविधाएं हैं। यह एरिया नगर निगम में आने से इनसे टैक्स भी वसूला जाता है। इसलिए उसको स्पेशल पैकेज दिया जाये ताकि लोगों को जो सुविधाएं गांव में मिलती है कम से कम वे सुविधाएं तो मिल पाएं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने कैमी रोड़ पर सीवरेज की व्यवस्था की है। लेकिन सीवरेज की व्यवस्था के साथ-साथ सड़क बनाने और समुचित पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर गरीब आदमी को मकान देने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में है, वहां पर लेबर कॉलोनी बनी हुई है। उस कॉलोनी में बिजली का कनेक्शन भी दिया हुआ है। लगभग 40 वर्षों से लोग वहां पर रह रहे हैं, इस कारण से उनकी अगली पीढ़ी भी आ गई है। लोग बाहर से आकर खून पसीना बहाकर इन कॉलोनियों में बसे हैं। अब उन्हें नोटिस देकर उठाने का काम किया जा रहा है। अगर ये लेबर कॉलोनी उठेगी तो ये बेचारे कहां जायेंगे ? उपाध्यक्ष महोदया, उनको बसाने की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के संबंध में मामला उठाना

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लेकिन अब मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से भ्रष्टाचार से मुक्ति होती जा रही है।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : हाँ जी, हाँ जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के संबंध में मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री टेकचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में सभी विधायकों की सैलरी बढ़ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हरियाणा के विधायकों की सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारी सैलरी बढ़ाने की कृपा करें। प्रदेश में अगर कहीं पर ओलावृष्टि हो जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को तुरंत मुआवजा दे देते हैं। हम सभी विधायक "गऊ के जाये" माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी आस लगाए बैठे हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : टेकचंद जी, आप बैठिये, हमने आपकी बाप सुन ली है।

श्री रणवीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" नारे के तहत प्रदेश में अच्छा काम किया है और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मेरे हल्के में एक गांव भिवानी रोहिल्ला है। उस गांव में पूरी पंचायत महिलाओं की बनी है। वहां पर पंचायत और ब्लॉक समिति आदि सभी की मैम्बर महिलाएं बनी हैं। उस गांव ने महिलाओं की पंचायत बनाकर एक बेहतर उदाहरण पेश किया है। अतः माननीय मंत्री जी को महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए उस गांव को स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए। यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक गांव के कन्या स्कूल को अपग्रेड करने की बजाय उसको डिग्रेड करने का काम किया है। उस स्कूल में बहुत-सी बच्चियां पढ़ती हैं। मेरे क्षेत्र का वह बहुत बड़ा गांव है। अतः आप उस स्कूल को जल्द से जल्द अपग्रेड करने का काम करें ताकि वहां आसपास के गांवों की पढ़ने वाली बच्चियों का भी कल्याण हो सके। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य मुझे उस गांव का नाम लिखकर दे दें। हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मेरा इनसे एक प्रश्न भी है कि क्या ये पंडित टेकचंद के प्रस्ताव के समर्थन में हैं ? (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, सदन के सामने एक प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव की चर्चा पिछले सत्र में भी हुई थी। हमें इस पर ठीक से विचार करना चाहिए और इसे हास्य का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव पर विचार के लिए एक कमेटी बनाता हूं। इस कमेटी में 2 सदस्य भाजपा से, एक सदस्य आई.एन.एल.डी. से और अगर कांग्रेस से सदस्य इसमें भाग लेना चाहेंगे तो एक सदस्य उनका तथा एक सदस्य आजाद उम्मीदवारों में से होगा। भाजपा की ओर से श्री ज्ञानचंद गुप्ता और डॉ. बनवारी लाल इस कमेटी के सदस्य होंगे। (विघ्न)

श्री टेकचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, जब मैंने प्रस्ताव रखा है तो मुझे भी इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, इस कमेटी के सदस्य आपस में मिल-बैठकर हमारे पड़ोस के राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में विधायकों की सैलरी और भत्ते आदि की जानकारी ले लें और सैलरी के साथ-साथ उनको मिलने वाले सभी भत्तों की जानकारी लेकर रिक्मेंडेशन दे दें। कमेटी की रिक्मेंडेशन को हाउस में रखकर अगले सत्र में इस पर फैसला ले लिया जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आज सदन में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बड़ी संख्या में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए थे और वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब को इस संबंध में पत्र लिखकर दे गए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, एक प्रस्ताव आया कि तनखाहें कैसे बढ़ाई जाएं या मैम्बर्ज को फैसिलिटीज कैसे दी जाएं, क्योंकि समय के अनुसार आज इसकी जरूरत भी है। शर्मा जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 मैम्बर्ज इस कमेटी के लिए दिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से भी श्री जाकिर हुसैन का नाम इस कमेटी के मैम्बर के रूप में देते हैं। कमेटी जो भी फैसला करेगी वह हमको मान्य है।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 29 मार्च, 2016 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18.30 बजे (तत्पश्चात सभा मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे तक के लिए * स्थगित की गई।)

©2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha
and printed by the Controller, Printing and Stationery
Department, Haryana, Chandigarh.